लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 11 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XI Contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 18, गुरुवार, 16 मार्च, 1978/25 फाल्गुन, 1899 (शक)

No. 18, Thursday, March 16, 1978, Phalguna 25, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	Oral Answers to Questions	
तारांकित प्रश्न संख्या 327 से 329 और 331 से 333	Starred Questions Nos. 327 to 329 and 331 to 333	1—11
प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions.	1—121
तारांकित प्रश्न संख्या 325, 326, 330, 334 से 336 और 338 से 344	Starred Questions Nos. 325, 326, 330, 334 to 336 and 338 to 344	11—18
अतारांकित प्रश्न संख्या 3087 से 3132, 3134 से 3153, 3155 से 3215, 3217 से 3251, और 3253 से 3273	Unstarred Questions Nos. 3087 to 3132, 3134 to 3153, 3155 to 3215, 3217 to 3251 and 3253 to 3273	18—119
अतारांकित प्रश्न संख्या 4073 दिनांक 15-12-1977 के बारे में शुद्धि करने वाला विवरण	Correcting Statement reg : USQ 4073 dt. 15.12.1977.	119—120
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में	Re. Appointment of Chief Justice of Allahabad High Court	120
बिहार की स्थिति के बारे में	Re. Situtation in Bihar	120
आकाशवाणी द्वारा सदन की कार्यवाही सम्बन्धी प्रसारण के बारे में	Re. Coverage of the Proceedings of the House in AIR Broadcasts	121
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	121
ध्यानाकर्षण सूचनाओं (प्रक्रिया) के बारे में	Re. Call Attention Notices (Procedure)	122
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
प्रधान मंत्री तथा चीन के सद्भावना शिष्टमंडल के बीच हुई बातचीत	Talks between the Prime Minister and the Chinese Goodwill Mission.	122—124
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	122
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	122
सभापति तालिका	Panel of Chairmen	124—127
विदेश मंत्री की मारिशस यात्रा के बारे में वक्तव्य	Statement re. External Affairs Minister's visit to Mauritius	124
श्री अटल बिहारी बाजपेय	Shri Atal Bihari Vajpayee	124
कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Fourteenth Report of Business Advisory Committee	127—128

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था

The sign †marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma	127
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under Rule 377 . .	129
(एक) भागलपुर-बिहपुर-रेलवे स्टीमर सेवा	(i) Bhagalpur-Bihpur-Railway Steamer Service	
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh . . .	129
(दो) बोकारो इस्पात संयंत्र में हड़ताल के समाचार	(ii) Reported strike in Bokaro Steel Plant	
श्री रामदास सिंह	Shri Ram Das Singh . .	129
(तीन) बोट क्लब नई दिल्ली में गन्ना उत्पादकों की गिरफ्तारी का समाचार	(iii) Reported Arrest of Sugarcanes Growers at Boat Club, New Delhi	
श्री चन्द्रशेखर सिंह	Shri Chandra Shekhar Singh .	129
(चार) गुजरात के कच्छ जिले में एक अनजान हेलीकाप्टर के अवतरण का समाचार	(iv) Reported landing of an unknown helicopter in Kutch district of Gujarat	
श्री अनन्त दवे	Shri Anant Dave . . .	130
(पांच) पूर्वता अधिपत्र में किये गये परिवर्तन . .	(v) Changes made in Warrant of Precedence	
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shymanandan Mishra .	130
सामान्य बजट, 1978-79—समान्य चर्चा	General Budget, 1978-79—General Discussion	130—144
श्री धीरेन्द्रनाथ बसु	Shri Dhirendranath Basu . .	130
श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी	Shri Narendra P. Nathwani	131
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	Shri Balwant Singh Ramoowalia	132
श्री कचरूलाल हेमराज जैन	Shri Kacharulal Hemraj Jain	133
श्री मृत्युन्जय प्रसाद वर्मा	Shri Mritunjay Prasad Verma .	134
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति	Shri M.V. Chandrasekhara Murthy	134
श्री फिरंगी प्रसाद	Shri Phirangi Prasad .	135
श्री ए० के० राय	Shri A.K. Roy .	135
श्री हीरा भाई	Shri Heera Bhai .	136
श्री अमर राय प्रसाद	Shri Amar Roy Pradhan	136
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa . .	137
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	138
श्री विनोद भाई बी० सेठ	Shri Vinodbhai B. Sheth .	139
श्री आर० एल० कुरील	Shri R.L. Kureel . .	140
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen . .	140
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel . .	141
लेखानुदानों की मांगें (सामान्य), 1978-79	Demands for Grants on Account (General), 1978-79 . . .	145—148
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1978	Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978	149—150
पुरःस्थापित, विचार तथा पारित करने के प्रस्ताव	Motions to introduce, consider and pass	149
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel	149

लोक सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 16 मार्च, 1978/25 फाल्गुन, 1899 (शक)
Thursday, March 16, 1978/*Phalguna* 25, 1899 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चासनाला खान जांच प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिये बैठक

***327. श्रीमती पार्वती कृष्णन :**

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चासनाला खान दुर्घटना की जांच रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिये विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) संसद में विभिन्न विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक 17 फरवरी, 1978 को हुई थी जिसमें 27 दिसम्बर, 1975 और 5 अप्रैल, 1976 को चासनाला कोयला खान में दुर्घटनाओं की छानबीन के लिए जांच न्यायालयों की रिपोर्टों पर कार्यवाही करने के लिए उनसे परामर्श लिया गया था । बैठक में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों ने यह महसूस किया कि सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए । इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के चार अधिकारियों, जो इन दुर्घचनाओं के लिए उत्तरदायी ठहराए गए थे, की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं । महानिदेशक, खान सुरक्षा, से कहा गया है कि वह खान अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमन के अधीन संबंधित मालिक, एजेंट या प्रबन्धक के विरुद्ध अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के लिए अभियोजन चलाए । खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों, जिन के खिलाफ जांच न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई है, से स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

Shri Ishwar Chaudhury : Chasnala Mine incident was touching. It affected thousands of workers.

The Members of Parliament from both sides have been consulted through a meeting about the report submitted in regard to this incident. The Hon. Minister has said that four persons have been found guilty and the General Manager of Mines safety has been asked to file suits against those persons. Every thing has not been clarified in that meeting. Some other issues are also to be considered. I want to know from the Hon. Minister whether that report would be discussed in the House and whether he will give full information in this regard ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : जांच न्यायालय का प्रतिवेदन कुछ महीने पहले सभा पटल पर रखा गया था और इस सभा के माननीय सदस्यों के पास वह दस्तावेज हैं । प्रक्रिया नियमों के अनुसार निर्धारित तरीके से इस सभा में किसी भी सदस्य को इस संबंध में चर्चा उठाने की पूरी अनुमति है । जहां तक सरकार का सम्बन्ध है , सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि वह प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए सभा में प्रस्ताव पेश करे । प्रतिवेदन में विभिन्न व्यक्तियों पर सदोषता की बात की गई है । उन सब व्यक्तियों के विरुद्ध श्रम मंत्रालय द्वारा कार्यवाही की गई हैं । राज्य सरकार, इस्पात मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय ने भी इस सम्बन्ध में कार्यवाही की है । क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी उन पर पड़ती थी, उन पर उन्होंने कार्यवाही की है ।

Shri Ishwar Chaudhury : There is mention of Provident Fund and necessary help. I want to know whether the families of the victims would be given pension for life ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह एक सुझाव है जो दुर्घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से संबंधित नहीं है ।

Shri Ram Sewak Hazari : There has been discussion on this issue earlier also. At that time we were in Hazari Bagh jail. Many people including workers of that area met us. Wherever the mine is digged, water comes up there. According to official orders that part of mine should have been filled with soil. but it had not been done in that case. As a result, the water moved there where the workers were working and ultimately a number of workers ost their lives. Whenever any worker is killed in such incident, the persons responsible for that incident are given punishment. The Government also know this thing. In the report it has been pointed out the officers are responsible for this incident. If those officers have been found responsible, why they have not been punished ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : मुझे ऐसा लगता है कि शायद माननीय सदस्य ने वह बात नहीं सुनी जो कि मैंने आरम्भ में कही है । मैंने कहा है कि जांच न्यायालय द्वारा जिन चार अधिकारियों को जिम्मेदार समझा गया था, सेवा से हटा दिया गया है ।

श्री चित्त बसु : क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि वह मेरी इस बात से सहमत होंगे कि न्यायालय जांच के कार्य को पूरा करने में असाधारण विलम्ब हुआ है तथा साथ ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में भी अधिक विलम्ब हुआ है । यदि इस संबंध में जानबूझ कर किसी प्रकार का विलम्ब किया गया है तो क्या मंत्री जी सम्बन्धित कानून में समुचित संशोधन करके भविष्य में इस तरह की कठिनाइयों को दूर करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही हेतु सुझाव है ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : श्रीमान् जहां तक प्रतिवेदन को पेश करने में हुए विलम्ब का सम्बन्ध है ,... **(व्यवधान)** मैं केवल उनके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं । मुझे प्रत्येक बात में उनके विश्लेषण उधार लेने की आवश्यकता नहीं है । प्रतिवेदन को पेश करने में विलम्ब 1975 और 1977 के बीच हुआ था जबकि प्रतिवेदन पेश किया गया था । यह स्पष्ट है कि जब जांच आयोग बिठाया जाता है तो वह मामले के सभी पहलुओं पर भली भांति विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है । सरकार चाहती है कि इस तरह के सभी आयोग यथाशीघ्र अपने प्रतिवेदन पेश कर दें । किसी अर्धन्यायिक या न्यायिक निकाय के लिए कुछ निर्धारित तरीके हैं जिनके अनुसार आयोग कार्यवाही करता है और यदि उस में अधिक समय लगता है तो फिर आयोग तथा सरकार उस कार्य को पूरा करते हैं और प्रतिवेदन पेश करते हैं । कठिनाइयों के कारण ऐसा करना आवश्यक हो जाता है । जहां तक सरकार द्वारा प्रतिवेदन पर कार्यवाही करने का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं कि इसमें असाधारण विलम्ब हुआ हैं । प्रतिवेदन पेश किए जाने के तुरन्त पश्चात् प्रतिवेदन पर

विचार किया गया और मेरे परम साथी, इस्पात और खान मंत्री ने इस बारे में सभा में हुई चर्चा के दौरान कहा कि मैं प्रतिवेदन के कतिपय पहलुओं पर विपक्षी दलों के नेताओं के विचारों से लाभ उठाना चाहूंगा ताकि सरकार को पूरी तरह से कार्यवाही करने में सुविधा मिल सके। विपक्षी दलों के नेताओं के साथ परामर्श करके यह बैठक बुलाई गई थी और बैठक के पश्चात् सरकार ने तुरन्त कार्यवाही की थी।

पारपत्र प्राप्त करने में कठिनाइयां

*328. **श्री रशीद मसूद** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको भारतीय नागरिकों की तीन महीनों या इससे अधिक समय में पारपत्र प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

The Minister of External Affairs (Shri Atal Bihari Vajpayee) : (a) Yes, Sir.

(b) 375 additional clerical posts and eight posts of officers have been sanctioned; creation of further additional posts to cope with the increased inflow is under the active consideration of Government. Two new Regional Passport Offices and six sub-Regional Offices are proposed to be opened in 1978-79. In order to simplify the procedures, the sworn affidavit system is being popularised. To provide improved service to the public, enquiry counters are being kept open on all days and replies are being given to enquiries speedily. The passport application form is being simplified and improved.

Shri Rasheed Masood : On 23rd February I wrote a letter to the Regional passport officer, Delhi in which I requested him to make an entry for Quator in Passport No.433009. The Passport officer replied that this passport was issued from Lucknow. But later on a number of persons met him, who are working in the passport office as Agents. They asked me to pay one hundred rupees to get the entry made. They came to me. I gave them one hundred rupees and they made entry for Quator in the passport from this very office. It means that the value of our M.P. is even less than one hundred rupees. After getting the entry made in the passport he complained to the passport officer and asked him as to how it was done. The passport officer did not pay any attention to this matter. whether endorsement could be made at any regional pass port office instead of the issuing office only ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : The serious matter cited by the hon. member should have been brought to my notice at that very moment. Even then I will get the matter examined fully and will try to simplify the whole procedure. New offices are being opened and new recruitment is being made. But even then it will take time to issue passports in a fixed time due to a large number of pending cases.

Shri Rasheed Masood : I wrote about this case to the hon. Minister along with the name of the Agent. Madhya Pradesh and Uttar Pradesh have their passport offices at one place only and as such it sometimes takes one year to get the Pass port. There the staff has not been increased while the work load has increased a lot. Resulting in the fact that only after paying Rs. 500 or Rs. 1000 one could get a passport. It is very easy to make inquiries against private companies. They can be caught very easily. So, whether staff will be increased there and separate office will be opened for both the states ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : It has been decided to open a separate office in Bhopal, staff in the Lucknow office is being increased. Corruption cases are to be dealt with strictness. If such a case comes into light no officer will be spared.

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : जहां तक मेरी जानकारी है चन्डीगढ़ के क्षेत्रीय कार्यालय में काम का भार बहुत है। पंजाब से प्रतिदिन लगभग 1000 लोग आवेदन करते हैं। चन्डीगढ़ कार्यालय में आवेदन करने वाले 93.3 प्रतिशत लोग पंजाब के 2.1 प्रतिशत चन्डीगढ़ के और 3.4 प्रतिशत हरियाणा के होते हैं। इतने कार्यभार को देखते हुए क्या मंत्री महोदय, जालन्धर अथवा लुधियाना में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलेंगे, जिससे पंजाब के लोगों की समस्या आसान हो ?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : हमने पंजाब में जालन्धर या लुधियाना में एक उप क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय ले लिया है ।

डा० वी० ए० सईद मोहम्मद : लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिय क्या मंत्री महोदय कर्मचारी बढ़ाने और संसद सदस्यों के समान विधान सभा सदस्यों को भी अधिकार देने पर विचार करेंगे?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : हमने कर्मचारी बढ़ाने का निर्णय किया है और उन्हें और बढ़ाने के लिए अब और अधिक धन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी भी बढ़ती मांग को पूरा करने को कर्मचारी पर्याप्त नहीं है ।

विधान सभा सदस्यों को अधिकार देने का प्रश्न विचाराधीन है परन्तु मुझे कुछ संसद सदस्यों से ऐसे पत्र मिले हैं कि वे इसे छोड़ना चाहते हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह एक सर्वसम्मत मांग है . . . (**व्यवधान**)

श्री ए० ई० टी० बैरो : संसद सदस्यों को पासपोर्ट फार्मों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया है । परन्तु प्रक्रिया सरल होने के बजाय और जटिल हो गई है । हमारे हस्ताक्षर करने के बाद पासपोर्ट कार्यालय से इस आशय का फार्म आता है कि क्या हमने हस्ताक्षर किए हैं। क्या प्रक्रिया को विस्तार से देखा गया है कि उसे किस प्रकार सरल बनाया जा सकता है ?

एक माननीय सदस्य : बड़ा ही संगत प्रश्न है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : कुछ मामलों में पासपोर्ट कार्यालयों ने देखा कि हस्ताक्षर जाली हैं . . पहले भी जांच की प्रक्रिया थी । यदि सदस्य एक सप्ताह में यह जांच पूरी कर देते हैं तो यह कार्य तेजी से हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 329.

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : क्या उन्होंने मंत्री मंडल से त्याग पत्र दे दिया है?

श्री के० लकप्पा : प्रधान मंत्री ने उन्हें झाड़ा है ऐसा समाचार पत्रों में छपा है . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है । (**व्यवधान**) इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राज नारायण : कृपया आप इसे कार्यवाही से निकाल दें । अन्यथा मुझे उत्तर देना होगा . . . . . (**व्यवधान**)

इन्दिरा गांधी का प्रत्येक एजेन्ट ऐसा कहेगा । . . . . (**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा : * *

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही में शामिल न किया जाए ।

कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया ।

Not recorded.

मेडीकल कालेजों में शिक्षा का माध्यम

†*329. **श्री हितेन्द्र देसाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न मेडिकल कालेजों में शिक्षा का माध्यम क्या है; और

(ख) मेडिकल कालेजों में शिक्षा के माध्यम के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) & (b) The medium of instruction in all the medical colleges in the country is English as the Indian Medical Council has laid down English as the medium of instruction for all the medical colleges in India. The Government of India is considering to bring about a change in the said policy by introducing the Indian languages as medium of instructions in Medical Colleges.

Mahatma Gandhi Medical Institute, Wardha.....

Shri Hukam Chand Kachhwai : It is not in the answer provided to us. As such he should read only that much.

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । लिखित उत्तर में यह सब नहीं है । पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी जा सकती है ।

Shri Raj Narain : What is the harm if I give some special information. We have written a letter to Smt. Sushila Nayar who is Director of Mahatma Gandhi Medical Institute that at least there the medium of instruction should be Hindi.

श्री हितेन्द्र देसाई : प्राइमरी, माध्यमिक और बहुत स कालेजों में भी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है ऐसी स्थिति में मेडिकल कालेजों में जाकर उनके लिए अंग्रेजी सीखना कैसे संभव हो सकता है? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या अभी विचार ही कर रही है या उसने यह निर्णय ले लिया है कि मैडिकल कालेजों में शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएं होंगी ?

Shri Raj Narain : Government have not taken any such decision so far.

श्री हितेन्द्र देसाई : इस बात पर विचार करने से पहले क्या सरकार ने यह अनुभव किया है कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने पर कालेजों में स्थानान्तरण पाठ्य पुस्तकों के निर्माण और प्रोफेसरों को पढ़ाने में भी कठिनाई होगी ?

Shri Raj Narain : The Government had realised this and hence this delay. We have declared prizes for writing books in regional languages. We will reward all those persons who will translate books from English. In this way we are triing to replace English.

श्री हितेन्द्र देसाई : आपने कोई निर्णय तक नहीं लिया है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मेरा यह पक्का विश्वास है कि उच्च शिक्षा समेत सभी स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा है । धीरे-धीरे मेडिकल शिक्षा मातृ भाषा में देने की सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने ऐसे कोई ठोस प्रस्ताव बनाए हैं जिससे अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् के विरोध के बावजूद मातृभाषा में शिक्षा देने से मेडिकल शिक्षा में कोई हानि न हो, डाक्टरों के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण पर उसका असर न हो तथा विश्वव्यापी दृष्टि से चिकित्सा क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ? सरकार ने इन सब बातों की दृष्टि से क्या प्रस्ताव तैयार किए हैं ।

Shri Raj Narain : I have already answered this. The government will take the decision after keeping those things in mind and at that time hon. Member's opinion will also be taken. It may be circulated for obtaining public opinion, because it is a very important matter.

Prof. P.G. Mavlanker: I asked what is the opinion of the Government and what is their plan.

Mr. Speaker : He has been said that it is under considered and your opinion will also be sought.

Shri B.P. Mandal : The Hon. Minister while saying that they propose to switchover to regional language from English also said that the matter is under consideration. I want to know the time by which a decision is likely to be taken.

Shri Raj Narain : We are considering the matter and we have also enquired from al the State Governments about the Professors and students who can translate these books into their regional language so that syllabus could be prescribed accordingly. It is not possible to say the time by which decision will be taken.

श्री ओ० वी० अलगेशन : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । हम सभी चाहते हैं कि सभी राष्ट्रीय भाषाएं विकसित हो जायें । यह देखा गया है कि किसी भाषा विशेष के चाहने वाले अन्य भाषाओं के प्रति सूखी हमदर्दी दिखाते हैं । वे कहते है कि सभी राष्ट्रीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाये । हम अनुभव के आधार

पर कह सकते हैं कि अनेक कालिजों तथा विश्वविद्यालयों में मातृभाषा का उपयोग प्रयोग के रूप में किया गया है क्योंकि उन भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें का अनुवाद नहीं हो पाया । इसलिये अंग्रेजी को पुनः लागू करना पड़ा । इस प्रकार के प्रयोग लोगों के जीवन के साथ हो रहे हैं । इसके लिये तैयारी जरूरी है । यदि विभिन्न कालेज विभिन्न भाषाओं में पढ़ाना शुरू करें तो वे सब एक प्लेटफार्म पर कैसे आ सकते हैं ? वे विभिन्न देशों के साथ ज्ञान तथा अनुभव का आदान-प्रदान कैसे कर सकते हैं । मैं कहता हूं कि सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है और पर्याप्त तैयारी नहीं कर रही है । क्या सरकार मामले को और अधिक पेचिदा नहीं बना रही है ?

Shri Raj Narain : I have already stated that Dr. Sushila Nayar, Doctors and students of the Mahatma Gandhi Medical Institute have said that they are prepared to teach in their regional language. We have agreed to that but all what was said why the hon. members is likely to create difficulties. We want to remove all these difficulties.

Our Government will work with full capacity and will power and will not back out from the decision.

Shri Vijay Kumar Malhotra : I want to know whether Hindi and English is going to be introduced in the All India Medical Colleges ? Presently, only English is there in these institutes and students studying in their regional languages in the states cannot compete in these competitive examinations because examinations are held in English medium. The All India Institute of Medical Sciences, Delhi is one of such Institutes, where there is no place for Hindi.

Expenditure worth crores of rupees is involved in the translation of these books. I want to know whether some provision has been made in this year's budget for this purpose, is not, whether the provision on is going to be made ?

Shri Raj Narain: I am greatful to the hon. member for throwing light on various aspects of this question. The language issue is a camplicated issue. If we remove English from the centrally run medical colleges, then why not to remove the same from other aided institutions. This is so complicated an issue which could not be solved even by the founding fathers of the constitution and retained English for 15 years. So far as budget for translation is concerned it will the considered later on.

Absorption of Extra Departmental Employees

†*331 **Shri Raj Keshar Singh** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the non-Departmental employees in Post and Telegraph Department are absorbed permanently in the Department;

(b) if so, the number of years service after which such employees are absorbed permanently in the Department;

(c) the number of such non-Departmental employees in Simla District who have since been absorbed permanently in the Department;

(d) the number of such employees who have not been absorbed permanently even after rendering the requisite service; and

(e) the reasons therefor ?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sukhdev Sai) : (a) It is presumed that 'non-departmental employees' has been mentioned in the question for 'extra departmental employees'. Extra Departmental Employees get certain facilities for permanent absorption in the department in due course in regular cadres.

(b) The number of years for permanent absorption has not been laid down. They, however, become eligible to appear for a Test for absorption after 3 years service and within 40 years of age.

(c) The number of extra departmental employees in Simla district who have been absorbed permanently in the department during the last 3 years is 19.

(d) & (e) The number of extra departmental employees employed at present in Simla district is 751. They are considered for permanent absorption in the department in order of merit after their psssing the prescribed test and according to the available vacancies.

Shri Rajkeshar Singh : I want to know whether a conference of extra departmental employees was held in Meerut recently which was attended by the Minister of State for Communications also. If so, whether the demands of the Conference are being considered by the Government ?.

Shri Narhari Prasad Sukhdev Sai : These demands are under consideration.

Shri Rajkesher Singh: May I know whether there is some scheme for the permanent abosrption of these employees in the Department. If so, by what time and if not, the reasons for the same ?

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know whether there are 3½ lakh casual employees in the Telephone Department who are not being confirmed even after rendering more than 3 years Service. Even temporary employees in the private industries are confirmed within 3 months. Why are you not confirming them according to the rules ?

Shri Narhari Prasad Sukhdev Sai : This question pertains to extra departmental employees and not the casual labour.

अध्यक्ष महोदय : ये इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं ? आपने नोटिस नहीं दिया है । यह प्रश्न इस प्रश्न से नहीं उठता । अतः आपको इसके लिये पृथक् नोटिस देना पड़ेगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai : It arises from his reply.

श्री ए० सुन्ना साहिब : केरल में हजारों लोग विभागेत्तर कर्मचारी के रूप में काम कर रहे है । क्या मंत्री महोदय उन्हें स्थायी बनाने के लिये कदम उठायेंगे ताकि उन्हें स्थायी कर्मचारियों की सुविधायें मिल सकें ।

श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साई : मैं उनके प्रश्न को सुन नहीं सका ।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने कहा है कि केरल में हजारों ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिन्हें स्थायी नहीं किया गया है । क्या आप उन्हें स्थायी करने के लिये कदम उठायेंगे ?

Shri Narhari Prasad Sukhdev Sai : We are considering that.

श्री जी० एस० रेड्डी : विभागीय तथा विभागेत्तर सेवाएं काफी वर्षों से साथ-साथ क्यों चल रही हैं ?

Shri Narhari Prasad Sukhdev Sai : This question relates to Simla District only. I require a separate notice for this question.

Shri Manohar Lal : The hon. Minister has stated that those having rendered more than 3 years service and crossed 40 years age are given opportunity in the P and T Department. The position is quite opposite to it. There are 450 casual labourers in Kanpur and D.M.T. is retrenching them. Will the Minister take steps to confirm them. ?

Shri Narhari Prasad Sukhdev Sai : As already stated this question relates to extra-departmental employees and the question raised by the Hon. member pertains to casual labour. Therfore, a separate notice is required for it.

Red Cross Society Fund Missing from S.B.I., New Delhi

***332. Shri Vasant Sathe :**

Shri Ugrasen :

Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to refer to the reply given to USQ No. 4880 on the 22nd December, 1977 regarding Red Cross Society Fund Missing from S.B.I., New Delhi and state :

(a) whether the investigations in the case have been completed;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) by when the same is likely to be completed ?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) According to the information furnished by the Indian Red Cross Society, the Police have investigated the case and the matter is now sub-judice.

(b) & (c) Do not arise.

Shri Vasant Sathe : I want to know the amount that is missing according to the C.B.I. enquiry. This has nothing to do with the case being sub-judice.

Shri Raj Narain: According to the information supplied by the Indian Red Cross Society, 8 cheques were stolen in March, 1975. Out of these, 6 cheques amounting to Rs. 50,100 were encashed under forged signatures. The Indian Red Cross Society informed the police and the Bank about the loss of these cheques and their unauthorised encashment. The State Bank of India has made provisional payment to the Society of the sum of Rs. 50,100 which was withdrawn from the Society's account under forged signature in February, 1975.

Shri Vasant Sathe: I want to know the names of the persons who forged these cheques and the persons in whose names they were prepared.

Shri Raj Narain: If the hon. Member had heard my reply, the matter would have been cleared. I am saying something, but while he is nothing here, his mind is somewhere else.

Shri Vasant Sathe: Your mind is not here.

Shri Raj Narain: You did not listen to what I said. There were 8 cheques, out of which six were encashed. In regard to the rest of the two, how and why they were not encashed or who encashed them or in whose name they were when a cheque did not reach, how it be encashed?

Shri Vasant Sathe: Against whom the case has been filed them?

Shri Raj Narain: That is why I said that the matter was being fully investigated. The C.B.I. handed over the matter to the Police and we are asked, as to why this matter is sub-ji dice and why I am opening it although this 'why' has never been explained. How we can explain 'why' (interruptions). We were told that Rs. 50,100 were returned by the Bank to the Red Cross Society and now the Bank has asked the Red Cross Society to return that money; and for that purpose, they have taken steps I cannot say anything in that regard.

Shri Vasant Sathe: Sir, I need your protection. The Bank's action in giving the money and asking for its return as well as the C.B.I. enquiries were completed. The case went to the court. Does it all happen in the air? I am asking 'who are the persons against whom you filed the case'? The case being sub-judice does not stand in the way of going the information.

Mr. Speaker : Who are the accused persons?

Shri Raj Narain: The Indian Red Cross Society is an autonomous body getting grants from various sources. The Ministry of Health of Govt. of India gives assistance to the Red Cross Seciety for the following purpose. This society is not under us.

Shri Vasant Sathe: He is not telling what I have asked. He is telling all irrelevant things. I have asked him the names, but his mind is neither here not outside (interruptions).

Mr. Speaker: He wants to know the names of the accused. Nothing more than that. Kindly give the names of the accused and nothing more.

Shri Raj Narain : Sir, I have already said..(Interruptions)

Shri Vasant Sathe: All I said was 'it is neither here nor outside'.

Shri Raj Narain: I have no objection. He may say about me whatever he likes....

Shri Vasant Sathe: I have said that the mind exists, but it is not here..*(interruptions)*

Shri Raj Narain: According to the information supplied by the Indian Red Cross Society, the matter has been investigated by the police and it is sub-judice.

Mr Speaker: He is asking the names of the accused.

Shri Raj Narain: That Department is not directly under my control. whatever information has been supplied to us by the Indian Red Cross Society. I have read that out here.

Shri Vasant Sathe: He did not give the names.

Mr. Speaker: Have you got the names of the accused persons?

Shri Raj Narain: No, I do not have.

* * * *

Shri Raj Narain : The Indian Red Cross Society has not given us the names so far. We will treat Shri Sathe's question as notice and get the names from the Red Cross Society ....*(interruptions)*. I have listened to his question.

* * * *

Shri Raj Narain: My submission is that we tried to know the names, but these were not supplied to us (interruptions). We will ask them again*(interruptions)*. We will get the names from them *(interruptions)*

* * * *

Shri Raj Narain: We will give the names *(interruptions)*.

बालाघाट में एक फैरो संयंत्र

*333. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज ओर इण्डिया लिमिटेड को जिला बालाघाट में एक फैरो संयंत्र स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसमें असाधारण विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) देश में कुल कितने फैरो संयंत्र हैं और वे कहां-कहां पर हैं;

(घ) मैंगनीज ओर इण्डिया लिमिटेड का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ङ) इन फैरो संयंत्रों को कुल कितना मैंगनीज अयस्क सप्लाई किया जाता है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) फैरो मैंगनीज तथा फैरो मैंगनीज की अन्य मिश्रित धातुओं के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिए मैसर्स मैंगनीज ओर इण्डिया लि० के आवेदन-पत्र पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और दिसम्बर, 1977 में इसे अस्वीकार कर दिया गया था । उनके आवेदन-पत्र को प्रथम दृष्टि में अस्वीकार कर देने के विरुद्ध फर्म द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) देश में फैरो मैंगनीज के संयंत्र कहां-कहां पर हैं तथा उनकी कुछ संख्या इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	इकाई का नाम	स्थान
1.	फैरो एलायज कारपोरेशन लि०	गुरीविड़ी (आन्ध्र प्रदेश)
2.	खाण्डेवाल फैरो एलायज लि०	कानहन (महाराष्ट्र)
3.	यूनिवर्सल फैरो एलायज कैमीकल्स लि०	तूमसर (महाराष्ट्र)
4.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि०	जोड़ा (उड़ीसा)
5.	विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लि०	भद्रावती (कर्नाटक)
6.	जयपुर सूगर कम्पनी लि०	रायगाड़ा (उड़ीसा)
†7.	महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेल्ट लि०	चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)
8.	यूनिवर्सल फैरो फिलिप ब्रादर्स (इण्डिया) लिमिटेड	थाना (महाराष्ट्र)
9.	डंडेली फैरो एलायज (प्रा०) लि०	डंडेली (कर्नाटक)

†3 वर्ष के लिए अस्थायी अनुमति प्रदान की गई है । उन्होंने स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है ।

(घ) मैंगनीज ओर इण्डिया लि० का सभी किस्मों के मैंगनीज अयस्क का कुल उत्पादन लगभग 4 लाख टन प्रतिवर्ष है ।

(ङ) मैसर्स मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि० द्वारा उपर्युक्त क्रम संख्या 1 से 4, 6 तथा 7 पर दिए गए फैरो मैंगनीज संयंत्रों को कुल मिलाकर लगभग 2,60,000 टन मैंगनीज अयस्क की सप्लाई की गई है ।

Shri Kacharumal Hemraj Jain: This is a very important question. When India became free we had only two things to export—tea and manganese. The Government has nationalised the manganese mine which was run by an English man. Now the Central Government has 51 percent shares and the State Governments of Madhya Pradesh and Maharashtra have 24½ percent shares each. The nine firms manufacturing ferro-manganese have a head office of their association in Delhi.

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछें ।

Shri Kacharumal Hemraj Jain: Manganese ore India Limited have an annual production of 4 lakh tonnes and they have represented for a licence. But because private firms have also applied for licence so the former are being denied this licence. My district produces one half of the world's total manganese production. May I know the reasons why Manganese ore India Limited are not being allowed to set up a ferro manganese factory?

श्री बीजू पटनायक : इस बारे में किसी सन्देह की गुंजाइश नहीं । इस समय फैरो मैंगनीज के लिए इस्पात संयंत्रों की मांग 1.44 लाख टन है और लाइसेंस क्षमता पहले ही 2.47 लाख टन है । अतः अभी फैरो मैंगनीज की क्षमता बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं । पर जब भी नया लाइसेंस देना होगा तो वह एम०ओ०आई०एल० को ही दिया जायेगा जो सार्वजनिक क्षेत्र में है

Shri Kacharumal Hemraj Jain: Sir, MOIL is forced to sell raw material to private ferro factory at the rate of Rs. 260 per ton. Whereas this private firm is reselling the raw material at the rate of Rs. 1800 per ton. Eleven thousand workers are working in this factory but they pay only Rs. 5.60 to labourers who work 1300 feet underground

Whereas in other mines workers are getting Rs. 12 to Rs. 14 for the same work. I have learnt that the association of private firms have complete domination over the Ministry. In case no new factory is set up May I know if the wages of workers working in MOIL will be regulated by the Wage Board or Iron Wage Board?

श्री बीजू पटनायक : यह प्रश्न नहीं है । क्षमता तो पहले से ही है । इस सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र को यह क्षमता प्रदान नहीं की । लेकिन चाहे कोई भी क्षेत्र हो वह राष्ट्रीय क्षेत्र ही है । फैरो मैंगनीज संयंत्र गहन शक्ति पर आधारित उद्योग है और इस समय बिजली की कमी है । फैरो मैंगनीज की इस्पात संयंत्रों द्वारा मांग भी नहीं की जा रही । 1982-83 तक यह मांग तीन लाख टन होगी और वर्तमान क्षमता उसे पूरा कर सकेगी । यह तो राष्ट्रीय निवेश है चाहे किसी भी क्षेत्र में हो । शायद सदस्य उद्योग के राष्ट्रीयकरण की बात पर जोर देना चाहते हैं और मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि सरकार की नीति यह नहीं है । मैंने पहले ही कहा है कि मांग और बढ़ जाने पर लाइसेंस एम०ओ०आई०एल० को ही दिया जायेगा ।

Dr. Laxmi Narain Pandey: The hon. Minister has said that there will be more demand for ferro manganese in future and today the existing capacity is not being utilised. May I know if Government of Madhya Pradesh have asked for review of the case because a factory set up today will commence production after 3 or 4 years.

श्री बीजू पटनायक : मैंने उत्तर में बताया है कि उनके आवेदन-पत्र को प्रथम दृष्टि में अस्वीकार कर देने के विरुद्ध फर्म द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है ।

Shri Kishore Lal: The hon. Member had asked whether the difference between the raw material and finished goods is so much that the private firms purchasing raw material at the rate of Rs. 260 per ton sell it at the rate of Rs 1800 per ton. They are enjoying heavy margin.

श्री बीजू पटनायक : क्या सदस्य महोदय ने कच्चे माल से तैयार माल बनाने की लागत का अनुमान लगाया है ? जैसा कि गन्ने और चीनी के मामले में होता है, निवेश और लाभ का हिसाब लगाकर चीजें खरीदी जाती हैं ।

Chaudhary Balbir Singh: The question about the big difference in prices has again been asked. Is this difference justified or it is a pure loot.

श्री बीजू पटनायक : लागत के हिसाब से यह फर्क ठीक है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कुद्रेमुख लोह अयस्क परियोजना के पूरा होने में विलम्ब

*325. **श्री के० मालप्पा :**

श्री धर्मवीर वशिष्ट :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिष्ठित कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना के पूरा होने में, जिसे वर्ष 1979 के अन्त तक पूरा होना चाहिए दो वर्ष और लगेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Verification of Doctors Practising in Villages

*326. **Shri Arjun Singh Bhadora:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether Government propose to arrange for verifications in respect of doctors practising in villages so as to ascertain that they are genuine doctors;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) if not, reasons therefor?

The Minister of Health and Family Welfare (Shri Raj Narain) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Considering the magnitude of the task of verification in respect of doctors practising in villages so as to ascertain that they are genuine doctors, the proposal is not considered feasible.

श्रमिक अशांति रोकने के लिये स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन द्वारा सुझाई गई विपक्षीय समिति

*330. **श्री एम०एन० गोविन्दन नायर** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के चेयरमैन ने औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक पास किये जाने तक देश में वर्तमान श्रमिक स्थिति का समाधान खोजने के लिये आन्तरिक उपाय के रूप में एक उच्चस्तरीय द्विपक्षीय समिति बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) पता चला है कि भारतीय कार्मिक प्रबन्ध संस्थान की दिल्ली शाखा के अध्यक्ष, श्री आर० पी० बिल्लीमोरिया ने उक्त संस्थान के 28वें राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए नियोजकों और श्रमिकों के बीच विवादों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए "उच्च स्तरीय द्विपक्षीय समिति" का जिक्र किया था ।

(ख) और (ग) सरकार को श्री बिल्लीमोरिया के सुझाव के बारे में और कोई जानकारी नहीं है । लगातार वार्ता की उपयोगिता के बारे में सरकार के विचार सभी को भली भांति मालूम हैं ।

Labour Welfare Committee

*334 **Shri Yagya Datt Sharma** :

Shri Bharat Singh Chowhan :

Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a scheme to constitute a L abour Welfare Committee.

(b) if so, the outlines thereof; and

(c) the reasons for delay in implementing this scheme?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) Several Welfare Advisory Committees set up under the various Mines Labour Welfare Schemes are already functioning. There is no proposal at present to set up any other Labour Welfare Committee.

(b) & (c) Does not arise.

Expansion of Office of P.F. Commissioner, Indore (M.P.)

*335. **Shri Hukam Chand Kachwai** :Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) Whether the Office of Provident Fund Commissioner, Indore (M.P.) is very small and if so, whether he had inspected this office and assured its early expansion; and

(b) whether small size of this office is stated to be the main cause of delay in the disposal of work?

Minister of State in the Ministry of Labour and Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kripal Sinha): (a) The shortage of accommodation is about 2500 sq. ft. The Provident Fund Authorities are taking steps for hiring additional accommodation.

(b) No complaints of delay on account of the office accommodation in this Region have come to the notice of Government.

एल्यूमीनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को पुन : चालू करना

*336. **श्री समर मुखर्जी**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, आसनसोल को पुनः चालू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) इस मामले में निर्णय करने में असामान्य विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार जनहित में इस कम्पनी को अपने हाथ में लेने पर विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (घ) सरकार ने सिद्धान्ततः एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया, आसनसोल के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने का फैसला किया है लेकिन उसका कार्य गढ़ाई सुविधाओं तक ही सीमित रहेगा । इस सम्बन्ध में अपेक्षित आगामी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं ।

काश्मीर

*338. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शेख अब्दुल्ला ने मांग की है कि काश्मीर के प्रश्न को हल करने के लिये पाकिस्तान के साथ जब कभी बातचीत हो तो उन्हें उसमें अपनी बात कहने का अवसर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी मांग के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेशी मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) और (ख) सरकार ने नई दिल्ली के एक प्रेस सम्मेलन में जम्मू और काश्मीर के मुख्य मंत्री, शेख अब्दुल्ला द्वारा दिए गए वक्तव्य पर गौर किया है जिसमें उन्होंने यह कहा था कि काश्मीर की जनता ने "अपनी नियति को शेष भारत की नियति के साथ बांध रखा है और वे हर स्थिति में भारत के साथ बने रहेंगे और जब कभी काश्मीर पर कोई चर्चा की जाये तो उनके दृष्टिकोण का अवश्य प्रतिनिधित्व होना चाहिए । उपर्युक्त वक्तव्य मेरी

पाकिस्तान यात्रा के सन्दर्भ में दिया गया था जिस यात्रा पर मैं बाद में गया था । बताया गया है कि शेख अब्दुल्ला ने बाद में यह स्पष्ट किया कि उनकी कभी भी यह मंशा नहीं थी कि इस विषय पर वार्ता के दौरान जम्मू और काश्मीर की जनता को तीसरा पक्ष" समझा जाए ।

चीन के साथ संबंध

339. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में एक सार्वजनिक सभा अथवा संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि सरकारी तौर पर आमंत्रित किये जाने पर वे चीन जनवादी गणतन्त्र का सद्भाव दौरा करेंगे;

(ख) यदि हां, तो कब और कहां; और क्या पीकिंग सरकार ने इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1978 में एक अर्द्ध-सरकारी और/अथवा एक संसदीय शिष्ट-मण्डल चीन भेजने का है;

(घ) यदि हां, तो मोटे तौर पर उसका क्या ब्यौरा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) और (ख) अखिल भारतीय डा० कोटनीस स्मारक समिति के निमंत्रण पर विदेशों के साथ मैत्री के लिए चीनी लोक संघ का प्रतिनिधिमण्डल जो इस समय भारत में आया हुआ है उसके नेता श्री वांग पिन-नान ने शिष्टाचार के नाते की गई भेंट में यह कहा था कि चीन के विदेश मंत्री, महामान्य श्री हुआंग हुआ ने उनसे और चीनी राजदूत से यह अनुरोध किया था कि वे हमारे विदेश मंत्री को परस्पर सुविधाजनक समय पर चीन की यात्रा करने का निमंत्रण दें जो बाद में राजनयिक सूत्रों के माध्यम से तय कर लिया जाएगा । इसके उत्तर में विदेश मंत्री ने सिद्धान्त रूप से इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए यह इच्छा व्यक्त की कि वे इसके लिए चीन के विदेश मंत्री को उनकी ओर से धन्यवाद प्रकट कर दें । यह यात्रा यथोचित और सावधानीपूर्ण तैयारी के बाद राजनयिक माध्यमों के जरिए निर्धारित उपयुक्त समय पर की जाएगी ।

(ग), (घ) और (ङ) वर्ष 1978 के दौरान किसी संसदीय प्रतिनिधिमण्डल द्वारा चीन की यात्रा किए जाने का तो कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन कार्यात्मक स्तर पर कई एक प्रतिनिधिमण्डलों ने चीन की यात्रा की है जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारी शामिल थे । सरकार की यह नीति है कि पारस्परिक लाभ और पारस्परिकता के सिद्धान्त के आधार पर ऐसे आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जाए ।

उड़ीसा में बाक्साइट निक्षेप

*340. **श्री के० प्रधानी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सबसे बड़े बाक्साइट निक्षेपों का हाल में उड़ीसा में पता चला है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निक्षेप कहां पर मिले हैं और निक्षेपों की अनुमानित मात्रा कितनी है; और

(ग) वाणिज्यिक आधार पर इन निक्षेपों से बाक्साइट निकालने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) उड़ीसा में पाए गए बाक्साइट भण्डार भारत के विशालतम भण्डारों में से है ।

(ख) उड़ीसा के पूर्वी तट क्षेत्र के बाक्साइट भण्डार उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित हैं । इस क्षेत्र में अब तक के संकेतों के अनुसार बाक्साइट के अनुमानित भण्डार लगभग दस हजार लाख टन हैं ।

(ग) सरकार ने फैसला किया है कि पूर्वी तट बाक्साइट भण्डारों के विकास और समुपयोजन का काम भारत सरकार के प्रतिष्ठान भारत एल्यूमिनियम कम्पनी (बालको) द्वारा किया जाएगा । भारत एल्यूमिनियम कम्पनी ने सर्वप्रथम लगभग 600,000 से 800,000 टन वार्षिक क्षमता वाले एल्यूमिनियम कारखाने और 1,60,000 से 1,80,000 टन एल्यूमिनियम धातु का वार्षिक उत्पादन करने वाले एक प्रद्रावक हेतु साध्यता अध्ययन का काम फ्रांस के मै० एल्यूमिनियम पेचीनी को सौंपने का फैसला किया है । आशा है यह अध्ययन अप्रैल, 1979 तक पूरा हो जाएगा और तभी आगे की कार्यवाही की जाएगी ।

नामीबिया और जिम्बाबवे को स्वतंत्रता के लिए कार्यवाही

*341. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत नामीबिया (दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका) तथा जिम्बाबवे (रोडेशिया) को साम्राज्यवादी-जातिभेद वाले कुशासन से मुक्त कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में और उसके बाहर होने वाली बातचीत तथा अन्य कार्यवाही में भाग ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विदेश मन्त्री (श्री अटल विहारी बाजपेयी) : (क) से (ग) दक्षिणी अफ्रीका के मुक्ति संघर्ष के प्रति अपने निरन्तर और सैद्धान्तिक समर्थन के अनुरूप भारत संयुक्त राष्ट्र से विचार-विमर्श में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सदस्य के रूप में, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध प्रतिबन्धों से सम्बद्ध सुरक्षा परिषद् समिति के अध्यक्ष के रूप में, दक्षिण रोडेशिया के विरुद्ध प्रतिबन्धों से सम्बद्ध सुरक्षा परिषद् समिति के सदस्य के रूप में, नामीबिया परिषद् के उप-प्रधान के रूप में, जातीय पृथक्वासन विरोधी समिति के रेपरटियर के रूप में और उपनिवेश समाप्त करने से सम्बद्ध समिति के सदस्य के रूप में भारत सक्रिय रहा है ।

जिम्बाबवे में अफ्रीकी बहुसंख्यक शासन की सत्ता का समयबद्ध हस्तान्तरण करने से सम्बद्ध आंग्ल-अमरीकी प्रस्तावों का भारत ने स्वागत किया है क्योंकि उनमें निम्नलिखित ठोस तत्व हैं :

(1) मुक्त एवं निष्पक्ष चुनावों में एक व्यक्ति एक वोट;

(2) समयबद्ध स्वाधीनता;

(3) बहुसंख्यक शासन;

(4) उपनिवेशवाद समाप्त करने में युनाइटेड किंगडम द्वारा अपनी भूमिका की जिम्मेदारी पुनः ग्रहण करना;

(5) यूनाइटेड किंगडम द्वारा इयान स्मिथ को हटाने की आवश्यकता की स्वीकृति; और

(6) आंग्ल-अमरीकी प्रस्तावों में संयुक्त राष्ट्र का शामिल होना ।

हमारा विश्वास है कि ये सिद्धान्त जिम्बाबवे में समाधान के लिए बातचीत का उचित आधार हैं ।

बहुत से अफ्रीकी राज्य जिनमें कुछ अग्रेरखी राज्य भी शामिल हैं, इन आंग्ल-अमरीकी प्रस्तावों में ठोस तत्व निहित मानते हैं। उधर इयान स्मिथ और बिशप मुजोरेवा, रेवरंड सिथाल और चीफ चीरा के बीच, जो कि जिम्बाबवे में ही स्थित हैं, प्रकटत: "अन्तर्राष्ट्रीय समाधान" पर एक समझौता हो गया है। पैट्रिआटिक फ्रन्ट इसमें शामिल नहीं था और असल में तो उसने इसकी निन्दा की है। हमारे विचार से यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड नेशन्स के इसमें शामिल हुए बिना और अग्रेखी राज्यों तथा पैट्रिआटिक फ्रन्ट द्वारा स्वीकृति मिले बिना ऐसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय समाधान को अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने की सम्भावना नहीं है।

गैर-कानूनी अल्पसंख्यक शासन के विरुद्ध जिम्बावे के लोगों के संघर्ष में नैतिक और भौतिक समर्थन जारी रखते हुए भारत यह मानता है कि वास्तविक अफ्रीकी बहुसंख्यक शासन को सत्ता का कारगर, समयबद्ध और संवैधानिक हस्तान्तरण करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

नामीबिया के प्रश्न का कोई सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस, कनाडा और पश्चिम जर्मनी, इन पांच पश्चिमी राष्ट्रों का एक दल दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी लोक संगठन तथा दक्षिण अफ्रीकी सरकार दोनों ही से बातचीत कर रहा है।

नामीबिया की स्वतन्त्रता के लिए "स्वापो" के संघर्ष में भारत ने हमेशा ही उसका समर्थन किया है।

'रीजनल कोलोक्युम आन डिसआर्मामेंट'

*342. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त:**
श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'रीजनल कोलोक्युम आन डिसआर्मामेन्ट एण्ड आर्मस कन्ट्रोल' में हाल ही में हिन्द महासागर क्षेत्र की सुरक्षा करने को सामूहिक दायित्व का मामला माना गया है और सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए उपयोग में लाने हेतु सैन्य बजटों में 10 प्रतिशत की कटौती करने की सिफारिश की है;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था; और

(ग) उनके विचारों पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : (क) न्यूयार्क के अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति अकादमी ने नई दिल्ली में 12 से 17 फरवरी, 1978 तक निस्त्रीकरण के विषय में एक क्षेत्रीय गोष्ठी का आयोजन किया था जिसने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा (i) हिन्द महासागर, और (ii) सैनिक बजटों के विषय में निम्नलिखित वक्तव्य दिया है :

(i) "संक्षेप में, हिन्द महासागर की सुरक्षा प्रथमत: इस क्षेत्र के राज्यों की ही सामूहिक जिम्मेवारी है।"

(ii) "इस बात पर व्यापक सहमति हुई कि सैनिक बजट कम किए जाने चाहिए—विशेष रूप से प्रमुख सैनिक शक्तियों के बजट। इसमें भाग लेने वाले कुछ सदस्यों ने सैनिक बजटों में एकसार सीधी कमी की जाने की सम्भाव्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया और इस सिलसिले में दस प्रतिशत के अंक का उल्लेख किया गया ..... नियंत्रण के लिए किए गए उपायों से इस बात का सुनिश्चय होगा कि सैनिक बजटों में इस दस प्रतिशत की कमी के परिमाणस्वरूप जो बचत हो वह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विकास के प्रयत्न में लगाई जाए।"

(ख) निम्नलिखित 18 देशों के लोगों ने अपनी निजी हैसियत से इस गोष्ठी में भाग लिया था, न कि अपने देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों के रूप में :

अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, बंगलादेश, जर्मन संघीय गणराज्य, भारत, इण्डोनेशिया, ईरान, जापान, कीनिया, मलयेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, सोमालिया, श्रीलंका, स्वीडन, तंजानिया, थाईलैण्ड, और संयुक्त राज्य अमरीका ।

(ग) भारत सरकार शस्त्र परिसीमन और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र के विभिन्न पक्षों पर गम्भीर स्वरूप के किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श का स्वागत करती है, जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति अकादमी गोष्ठी में विचार-विमर्श हुआ था । हिन्द महासागर, सैनिक बजट तथा शस्त्र परिसीमन और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र के दूसरे प्रश्नों के सम्बन्ध में भारत की स्थिति सुविदित है और विभिन्न मंचों से समय-समय पर बताई जा चुकी है ।

पूर्वी तट में बाक्साइट के निक्षेपों की खोज

*343. **श्री पी० के० कोडियन :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी तट में बाक्साइट के निक्षेपों की खोज के सम्बन्ध में सोवियत रूस के साथ कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कनाडा और पश्चिम यूरोप के कुछ देश भी इसी क्षेत्र में बाक्साइट के निक्षेपों की खोज करना चाहते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) भारत सरकार के प्रतिष्ठान भारत एल्यूमिनियम कम्पनी ने आन्ध्र प्रदेश में बाक्साइट भण्डारों का भारतीय भू-सर्वेक्षण और खनिज गवेषण निगम द्वारा पहले से एकत्र अन्वेषण आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन करने हेतु सोवियत सरकार के प्रतिष्ठान स्वेतमेतप्रोमएक्सपोर्ट के साथ हाल ही में एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं। इस करार में मोटे तौर पर उक्त क्षेत्र में बाक्साइट ग्रेडों और विशेषताओं के बारे में उपलब्ध आंकड़ों के अध्ययन हेतु सोवियत विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान है ताकि इन बाक्साइट भण्डारों के आधार पर बनाये जाने वाले एक एल्यूमिनियम कारखाने के लिये सम्भाव्यता और फ्लो शीट प्रक्रिया का निर्धारण किया जा सके । भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० ने 600,000 टन वार्षिक क्षमता वाले एक एल्यूमिनियम कारखाने के लिए सम्भाव्यता अध्ययन करने हेतु सोवियत एजेन्सी के साथ एक और करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं । आशा है बाक्साइट मूल्यांकन अध्ययन 4 से 5 महीनों में पूरा हो जाएगा । भारत सोवियत संयुक्त आयोग की बैठक के समापन पर भारत और सोवियत सरकारों के बीच एक प्रोतोकोल पर भी 6-3-78 को हस्ताक्षर किये गये हैं जिसमें उपर्युक्त दोनों करार शामिल हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) व (ङ) सवाल नहीं उठता ।

श्रमिकों की संसद

*344. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **संसदीय कार्य और श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने और उन्हें सुलझाने हेतु श्रमिकों की सलाह लेने के लिये श्रमिकों की संसद आयोजित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मचारी प्रशिक्षणयोजना भूली, धनबाद में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये भेजे गए गैर-मैट्रिक कर्मचारियों को वापिस भेजा जाना

3087. **श्री ए० के० राय** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कर्मचारी प्रशिक्षण योजना, भुली, धनबाद में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए भेजे गये अभ्यर्थियों को इस दलील पर वापिस भेजने के बारे में कि वे गैर-मैट्रिक थे बिहार कोयला खान कर्मगढ़ संघ, भाडीह कोयला खान के ब्रांच सेक्रेटरी से दिनांक 7 जनवरी, 1978 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो शिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में सरकार की क्या नीति है और उक्त प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम अपेक्षित अर्हतायें क्या हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : **(क) और (घ)** बिहार कोलियरी खान कामगर यूनियन, भाडीह कोलियरी से तारीख 7-1-1978 को अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी है, चलाए गए विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों में श्रमिक-अध्यापकों को प्रशिक्षण देता है । श्रमिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का निर्णय क्षेत्रीय सहालकार समितियों द्वारा लिया जाता है जो कि श्रमिक शिक्षा योजना लागू करने के लिए गठित की जाती हैं । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रत्येक केन्द्र में भिन्न-भिन्न होती हैं । धनबाद केन्द्र में क्षेत्रीय सहालकार समिति ने न्यूनतम योग्यता मैट्रिक निर्धारित की है, यद्यपि मैट्रिक से कम शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी, यदि वे अन्यथा योग्य हों, चयन समिति द्वारा दाखिल किए जाते हैं ।

एच० एस० सी० एल० कर्मचारी संघ के संयुक्त सचिव द्वारा ज्ञापन

3088. **श्री रोबिन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें एच०एस०सी०एल० कर्मचारी संघ, भिलाई के संयुक्त सचिव से दिनांक 30 जनवरी, 1978 का मांगपत्र प्राप्त हुआ; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय अथवा एच०एस०सी०एल० के प्रबन्धकों ने उपर्युक्त ज्ञापन में उठाई गई समस्याओं तथा मांगों, विशेषकर कर्मचारियों के दुर्भावना से स्थानान्तरण किए जाने और एम० एम०आर० कर्मचारियों की मजूरी निर्धारित करने में असमानताओं के समाधान हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि० के प्रबन्धकों ने ज्ञापन में दी गई मांगों पर विचार किया है और कुछ मांगें स्वीकार कर ली हैं । शेष मांगों पर बातचीत की जा रही है तथा आपसी बातचीत से हल की जा रही हैं । जहां तक कर्मचारियों के स्थानान्तरण के आदेश वापस लेने की मांग का सम्बन्ध है, ये आदेश किसी बुरे इरादे से जारी नहीं किए गए थे क्योंकि इन कर्मचारियों की बदली एच०एस०सी०एल० वर्कमैन यूनियन, भिलाई के बनने से पहले जारी किए गए थे और उनकी बदली के आदेश जारी होने के पश्चात् यूनियन ने उनके नाम यूनियन के पदधारियों की सूची में शामिल किए थे । जब यूनियन ने इन बदलियों के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया तो महाप्रबन्धक, एच०एस०सी०एल०, भिलाई ने इस बारे में यूनियन से कई बार बातचीत की । एच०एस०सी०एल० के प्रबन्धकों और यूनियन में एक समझौता भी हुआ जिसमें यह तय हुआ कि बदली के मामले पंच फैसले के लिए अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय, मध्य प्रदेश को भेज दिये जायें । ऐसा कर दिया गया है और अब यह मामला पंच के पास है ।

जहां तक एन०एम०आर० कामगारों की मजदूरी तय करने की मांग का प्रश्न है, एच०एस० सी०एल० वर्कमैन यूनियन, भिलाई, ने मासिक तथा दैनिक मजदूरी पाने वाले कामगारों के वेतनमान में संशोधन के बारे में 10-10-1977 को एक करार पर हस्ताक्षर किए थे । एच०एस०सी०एल० ने इस करार के अनुसार वेतन में संशोधन आदेशों को कार्यान्वित करने के बारे में एक कार्यालय आदेश जारी कर दिया था लेकिन एच०एम०सी०एल० वर्कमैन यूनियन तथा भिलाई की दो दूसरी यूनियनों ने दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी नियत करने के बारे में कुछ बातें उठाई थीं । ये बातें भी मंजूर कर ली गई थीं और एच०एस०सी०एल० ने 3 फरवरी, 1978 को आदेश जारी कर दिए थे ।

Principles for serving Foreign Dignitaries

†3089. **Shrimati Parvati Devi:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) Whether any rules have been framed or any principles have been laid down in regard to eatables, meals and drinks etc. served in the parties hosted by Government in honour of heads of States, leaders and other V.I.Ps. during their visit to India from foreign countries; and

(b) whether Government will consider the proposal to serve only juice of Indian fruits and pure vegetarian meals to these foreign dignitaries?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu): (a) Alcoholic drinks will not be served at such functions. In regard to eatables and soft drinks there is no fixed menu but an appropriate standard of hospitality is ensured.

(b) Discretion is left to the host in this regard.

Full time Direct Telephone Service between Delhi and Surat

†3090. **Shri Chhitubhai Gamit:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to introduce full time direct telephone service between Delhi and Surat and if so, the details thereof; and

(b) when this service is likely to be introduced there and the steps being taken in this regard?

The Minister of State for Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) & (b) Yes Sir. Full time STD service between Surat and Delhi is likely to be introduced in 1979-80. Circuits linking Delhi and Bombay Taxes are being increased for the purpose.

Vacancies in Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy

3091. **Shri O.P. Tyagi:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that in the absence of a full time Director and a technical committee in Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy the work of the council is not being done properly and desired progress is not being achieved by the Council in the field of research;

(b) if so, the reasons for not appointing a full time Director and a technical Committee so far; and

(c) the time by which Government propose to appoint a full time Director and the said Committee?

The Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) to (c) Taking into account the fact that research in the various traditional systems of medicine under a single Council have not achieved the desired results, it has been decided to re-organise the Central Council for Research in Indian Medicine and Homoeopathy into 4 Councils, indicated below:—

1. Central Council for Research in Ayurveda and Siddha.
2. Central Council for Research in Unani.
3. Central Council for Research in Homoeopathy.
4. Central Council for Research in Yoga and Nature Cure.

It is also intended that the proposed new Councils shall have whole time Directors.

उड़ीसा के आदिवासियों क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विकास

3092. **श्री गिरिधर गोमांगो**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उड़ीसा सरकार से इस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वे प्रस्ताव तथा कार्यक्रम क्या हैं;

(ग) वर्ष 1978-79 के लिए आदिवासी उप-योजना के अधीन आदिवासी क्षेत्रों हेतु उड़ीसा राज्य द्वारा कितनी राशि निश्चित की गई है; और

(घ) उक्त राज्य द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिये उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (मंत्रालय में राज्य मंत्री) श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां। उड़ीसा सरकार ने स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए 1978-79 के लिए 455.00 लाख रुपये का वार्षिक योजना प्रस्ताव भेजा है, जिसमें से 84.52 लाख रुपये का खर्च राज्य योजनाओं के लिए और 65.90 लाख रुपये राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए है।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

राज्य योजनाएं		केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	64.70	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	50.10
चिकित्सा राहत	13.94	राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम	8.25
अन्य योजनाएं	0.15	राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम	7.55
स्वदेशी चिकित्सा पद्धति	2.88		
होम्योपैथी	2.85	योग	65.90
योग	84.52		

(ग) और (घ) इस राज्य की आदिवासी उप-योजना के लिए योजना आयोग ने 1978-79 के लिए 103.32 लाख रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। इसमें 73.32 लाख रुपये राज्य योजना से और 30.00 लाख रुपये विशेष केन्द्रीय सहायता से हैं।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा भविष्य निधि न जमा कराया जाना

3093. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा सरकार के पास भविष्य निधि जमा कराये जाने के बारे में अनियमितताएं हो रही हैं;

(ख) क्या केवल नियोजकों के अंशदान जमा कराने के बारे में ही नहीं बल्कि कर्मचारियों का अंशदान जमा कराने में भी उक्त संगठन उपेक्षा कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाई न करने के क्या कारण हैं?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि यह प्रतिष्ठान नियोजकों और कर्मचारियों दोनों के अंशदान नियमित रूप से जमा कर रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय राष्ट्रमंडल सम्मेलन

3094. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रमण्डलीय देशों के क्षेत्रीय ग्रुप के हाल ही में आस्ट्रेलिया में आयोजित हुए सम्मेलन के क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या इस सम्मेलन में एशिया तथा प्रशान्त महासागर के देशों के लिए एक आर्थिक तथा सामाजिक आयोग गठित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में आम राय क्या थी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) प्रधानमंत्री ने 24-2-78 को लोक/राज्य सभा में जो वक्तव्य दिया था उसमें इस बैठक का विवरण और निष्कर्ष बताया गया था।

(ख) और (ग) एशियाई और प्रशान्त के देशों के लिए एक नए संगठन की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं था क्योंकि यह महसूस किया गया कि विद्यमान संस्थाओं का ही उपयोग किया जा सकता है। बहरहाल, इस बैठक में क्रमशः व्यापार और ऊर्जा के सम्बन्ध में दो सलाहकार दल और क्रमशः आतंकवाद तथा अवैध औषधियों के सम्बन्ध में दो कार्यकारी दल गठित करने का निश्चय किया गया था।

Survey report of Mehrama Mehajama Blocks of Bhagalpur District and Santhal Pargana By GSI

3095. **Dr. Ramji Singh:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) how many years have passed since the Geological Survey Report of Mehrama Mehajama was prepared and the special features of the report of the survey being conducted these days *vis-a-vis* the old report;

(b) the estimated quantum of coal deposits in Lalmatia coal area;

(c) the names of other minerals discovered by Government in South Bhagalpur and Mehrama Mehajama area in addition to coal and the scheme of Government of their utilisation; and

(d) whether Government gave any scheme for the development of the means of transport for the transportation of the minerals and if so, the details thereof and the time by which it would be completed?

The Minister of State in the Ministry of steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) Geological Survey of India prepared its first interim report on regional exploration for coal in Hura (Lalmatia) block near Mehrama and Mehajama villages two years ago.

(b) A total reserve of 1120 million tonnes of coal has been estimated in Lalmatia block on the basis of drilling carried out upto 30-9-1977.

(c) There are significant deposits of mica and china-clay while minor occurrences of garnet, quartz, glass sand, lead-zinc, and copper ores are reported. According to State Government some of the mica deposits are already being worked.

(d) The Government of Bihar have informed that due to constraint in financial resources and limited provision for development of roads in the mineral sector, it is not possible to take up road development in this area during the next year.

विदेशों में भारतीय मिशनों की संख्या

3096. **श्री के० लकप्पा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थिति भारतीय मिशनों में भारतीय राजदूतों तथा वाणिज्य दूतों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या वे (एक) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं; (दो) गैर-व्यवसाय के कूटनीतिज्ञ हैं अथवा (तीन) अन्य केन्द्रीय सेवाओं के व्यक्ति हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) इस समय राजदूत, हाई कमिश्नर, संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि, प्रतिनिधि तथा कमिशनर के पदनाम से 90 मिशन-प्रमुख हैं, और विदेश-स्थित भारतीय मिशनों में 36 परामर्शदाता हैं।

(ख) मिशन-प्रमुख इन सभी तीन श्रेणियों में से हैं जबकि परामर्शदाता भारतीय विदेश सेवा के हैं।

राजकोट जिले के अपलेटा नगर में बेहतर संचार सुविधाओं की मांग

3097. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में राजकोट जिले के अपलेटा नगर के व्यापारी संघों तथा तेल-मिल मालिकों ने राजकोट डी०ई०टी० द्वारा सुचारू तथा नियमित तार, टेलीफोन तथा दूरसंचार सेवायें उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि उनको हो रही कठिनाइयां दूर हों और इन सेवाओं से प्राप्त राजस्व में भी वृद्धि हो;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इस बारे में अभ्यावेदन कब पेश किया था और उसमें क्या मांगें रखी थीं;

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(घ) इस बारे में अपलेटा नगर के व्यापारी तथा मिल मालिक कब से शिकायतें करते आ रहे हैं और सरकार ने उन पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सांय) : (क) और (ख) जी हां। अपलेटा नगर के व्यापारी संघ और तेल-मिल मालिकों ने 23-1-1978 को एक अभ्यावेदन दिया है। उनकी मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :—

(1) बम्बई और अपलेटा के बीच सीधा डायलिंग सर्किट।

(2) अपलेटा से कलकत्ता, दिल्ली, सम्बलपुर, जयपुर, इंदौर और सुमेरपुर के लिए सीधा आउटलेट।

(3) डाक-तार विभाग के अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें।

(4) आपरेटरों की कमी के कारण उनको समयोपरि-भत्ता देना।

(ग) इनके सम्बन्ध में जो कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) अपलेटा और बम्बई के बीच एक सीधा डायलिंग सर्किट देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(2) अपलेटा से कलकत्ता, दिल्ली, सम्बलपुर, जयपुर, इंदोर, सुमेरपुर के बीच इतना यातायात नहीं है कि इनके लिए सीधे मैनुअल ट्रंक सर्किट देने का औचित्य सिद्ध हो सके।

(3) घोरजी के उपमन्डल अधिकारी, तारको जो अपलेटा एक्सचेंज के इंचार्ज हैं, उचित हिदायतें दे दी गई हैं। पिछली बैठक 25-2-78 को हुई थी।

(4) जब कभी समयोपरि का औचित्य होता है, आपरेटरों को समयोपरि-भत्ता दिया जाता है।

(घ) सर्किटों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में पहला अभ्यावेदन मई, 1975 में प्राप्त हुआ था। जूनागढ़, जामनगर, माणवाडांर और अहमदाबाद के लिए अतिरिक्त सर्किटों की व्यवस्था की जा चुकी है।

निरस्त्रीकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन

3098. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निरस्त्रीकरण के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी विशेष अधिवेशन के बारे में भारत द्वारा सभी गुटनिरपेक्ष देशों को लिखे गये पत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इन में से किसी देश से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ग) परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में अपने दृष्टिकोण के प्रचार के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) विदेश मंत्री ने गुट निरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो के अध्यक्ष की हैसियत से श्रीलंका के विदेश मंत्री को 24 दिसम्बर, 1977 को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने यह सुझाव दिया कि चूंकि गुटनिरपेक्ष देशों ने निरस्त्रीकरण पर पूर्ण रूप से विचार करने के लिए विशेष अधिवेशन बुलाने के अनुरोध के सम्बन्ध में मूल रूप से पहल की थी, अतः उनके लिए यह आवश्यक है कि वे नाभिकीय निरस्त्रीकरण सहित सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण के पक्ष को बढ़ावा देने के लिए एक समान नीति और ठोस कदम उठाये जाने के लिए पारस्परिक सहयोग से काम करें। यह भी सुझाव दिया गया कि इस समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तर की जो बैठक मई, 1978 के प्रारम्भ में काबुल में होने वाली है, उसमें निरस्त्रीकरण विषयक विशेष अधिवेशन की तैयार की प्राथमिकता देनी चाहिए।

(ख) अब तक जो उत्तर प्राप्त हुए हैं, वे अनुकूल हैं।

(ग) संयुक्त राष्ट्र में गुट निरपेक्ष देशों के समूह ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन की तैयारी समिति के विचारार्थ एक घोषणा पत्र का मसौदा और इस सम्बन्ध में काम करने के लिए कार्यक्रम का मसौदा प्रस्तुत किया है। इन मसौदों में अन्य बातों के साथ-साथ नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इस सदर्भ में भारत ने गुट निरपेक्ष समूह और तैयारी समिति के विचार विमर्शों में सक्रिय भूमिका अदा की है।

विलिंगडन अस्पताल के नर्सिंगहोम में कमरे

3099. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित विलिंगडन अस्पताल के नर्सिंग होम में नर्सिंग होम आवास के पात्र रोगियों की आवश्यकता पूरी करने के लिये पर्याप्त कमरे उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो आवेदक द्वारा इस नर्सिंगहोम में आवास के लिये आवेदन-पत्र देने के कितने दिन पश्चात्, उसे उक्त आवास प्रदान किया जाता है;

(ग) क्या छठी योजना के दौरान इस नर्सिंग होम में कमरों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस नर्सिंग होम में आवास की वर्तमान आवश्यकता के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) विलिंग्डन अस्पताल के नर्सिंग होम में रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति देखते हुए प्राथमिकता के अनुसार भर्ती किया जाता है। मोटे तौर पर भर्ती के लिए जितने मामले भेजे जाते हैं उनमें से आधे मामलों को समुचित समय के अन्दर ही भर्ती किया जा सकता है। मेडिकल केसों के लिए प्रतीक्षा का औसत समय लगभग एक सप्ताह का होता है जिसमें कम से कम समय उसी दिन भर्ती का होता है। यह मामले की गम्भीरता और नर्सिंग होम में कमरे की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सर्जरी के इरादे वाले मामलों को लगभग एक से तीन सप्ताह के भीतर भर्ती कर दिया जाता है। सर्जरी के संगीन मामलों का इलाज उसी प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है जिस पर मेडिकल के संगीन मामलों का किया जाता है। संसद सदस्यों, हकदार मामलों और उनके अपने परिवार के सदस्यों को अन्य मामलों की अपेक्षा उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली से सम्बद्ध नर्सिंग होम में 76 अतिरिक्त कमरों की व्यवस्था करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

Inadequate Telegraph facilities in the Country

†3100. **Shri Sukhendra Singh:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that with the rise in the population of the country the Telegraph Department, as it exists today is finding it difficult to provide timely serivce;

(b) whether it is also a fact that telegrams also take considerable time in reaching their destination; and

(c) if so, the steps being taken by Government to improve the position?

The Minister of State for Communication (Shri Narhari Prasad Sai): (a) No, Sir.

(b) The telegrams generally reach the destination within a few hours of their booking. In certain cases which are rare, there is a possibility of the telegrams getting delayed.

(c) (i) Direct outlets are being provided on more routes to reduce transit operation.

(ii) Alternate channels are being built up on maximum routes to further improve the availability of telegraph circuits.

(iii) Coaxial/Microwave links are being introduced on more and more routes to provide stable talegraph channels.

Publication of Books on Homoeopathy

3101. **Shri Daya Ram Shakya:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether most of the books on Homoeopathy available and being published in the country are encouraging such regulations as are contradictory to the 'Organon of Medicine' which is harmful both to Homoeopathic system of medicine and the people and whether new syllabus also encourages such tendency which will prove fatal to Homoeopathy; and

(b) if so, the steps being taken by Government for introducing such syllabus and books for homoeopathy as are scientifically prepared to check the use of faulty books?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) and (b) There are large number of books and publishers of books on Homoeopathy in India. It is difficult to say with certainty whether these publications conform to the Rules and Regulations laid down in the 'Organon of Medicines' or not. However an attempt will be made to conduct a sample survey to find out the actual position.

As regards the new proposed syllabus, it will be ensured that there is nothing which is in controdiction to the 'Organon of Medicines' or harmful to the Homoeopathic System of medicine.

Indo-USSR Agreement on Health

3102. **Shri Hargovind Verma:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether any Indo-USSR agreement on health services is likely to be concluded; and

(b) if so, when and the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) and (b) The following two agreements are already in operation which provide for co-operation in the field of medicine and public health between India and USSR:—

1. Programme of co-operation between India and USSR in the fields of Science & Technology for 1975-80. The co-ordinating organisations under this Agreement are the Indian Council of Medical Research and Research Institutions of the USSR, Ministry of Health.
2. Indo-Soviet Cultural Exchange Programme 1976-78. This agreement provides for exchange of delegations between India and USSR relating to organisation of health services and research work, study of labour rehabilitation practices of the deaf, problems of physically handicapped and aged, and problems concerning work for the blind.

In addition a proposal to enter into a separate bilateral Indo-USSR agreement on Health matters is under preliminary examination.

पूर्णिया जिला, बिहार में टेलीफोन कनेक्शनों का दिया जाना

3103. **श्री हलीमुद्दीन अहमद:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पूर्णिया जिले में उप-मुख्यालयों और उप-डाकघरों को टेलीफोन कनेक्शन किन-किन स्थानों पर दिये जायेंगे और इस समय कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ख) उप-मंडल में कार्यालयों में कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत हैं; और

(ग) निदेशक, टेलीफोन, जिला बिहार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में कितने टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) पूर्णिया जिले के तीन खंड मुख्यालयों और एक उप डाकघर में टेलीफोन सुविधा देने का प्रस्ताव है। उनके नाम नीचे दिए गए हैं :—

(I) खंड मुख्यालय

बैसा

बैसी भरगामा

कोचाधामां

(II) उप-डाकघर

सरसी

(ख) उपर्युक्त सभी प्रस्तावों का कार्यान्वयन उप मंडल द्वारा किया जाना है।

(ग) उपर्युक्त स्थान चालू वित्तीय वर्ष के कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं। उनका कार्यान्वयन अगले वित्तीय वर्ष में करने का कार्यक्रम है।

महाराष्ट्र में सहकारी अस्पतालों को वित्तीय सहायता

3104. **श्री आर०के० महालगी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में महाराष्ट्र राज्य में कितने सहकारी अस्पतालों को वित्तीय सहायता दी गई;

(ख) क्या सरकार के पास कोई ऐसे आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं जिनमें महाराष्ट्र राज्य में सहकारी अस्पतालों को वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो कितने तथा किसकी ओर से और कब से; और

(घ) उनका निपटान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) किसी भी अस्पताल को नहीं दी गई।

(ख) जी नहीं। फिर भी सुश्रुषा सिटिजन्स कोआपरेटिव अस्पताल लिमिटेड, बम्बई से एक आवेदन-पत्र मिला था। इस संस्था को यह सलाह दी गई थी कि वे अनुदान लेने के लिए निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करने के उपरान्त अपना आवेदन-पत्र राज्य सरकार के माध्यम से भेजवाएं।

(ग) यह लागू नहीं होता।

(घ) यह लागू नहीं होता।

Most Backward Districts of North Bihar given top priority for provision of postal Facilities

3105. **Shri Surendra Jha Suman** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the names of the most backward districts in North Bihar in which the work providing postal and telecommunication facilities has been given priority by the Ministry; and

(b) if none, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai):

(a) **Postal:** No district in North Bihar has been declared as backward for providing postal facilities..

(b) Considering the existing postal facilities, no district in North Bihar justifies for declaration as backward.

Telecommunications :

(a) and (b) For providing telecommunication facilities, the following 5 districts in North Bihar have been declared as backward areas:

(1) Champaran
(2) Darbhanga
(3) Muzafarpur
(4) Purnea, and
(5) Saharsa.

There is no separate category as most backward districts for provision of telecommunication facilities. All the backward districts in the country get the same priority.

टेलीफोन निदेशिका आदि की मुद्रण लागत

3106. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन जिलों/सर्किलों द्वारा (1) टेलीफोन निदेशिका डाक तार विभाग अधिकारियों की टेलीफोन निदेशिका सहित; (2) टेलेक्स निदेशिका (कागज, भाड़े तथा कर्मचारियों को छपाई करने वाले नगर में अस्थायी रूप से रहने के लिए दिए गए अतिरिक्त वेतन सहित) की छपाई पर कितना वार्षिक व्यय किया जा रहा है;

(ख) क्या उनका मंत्रालय निदेशिकाओं, डाक तार विभाग के लेखन सामग्री फार्मों को समय पर छपाई तथा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अपना स्वयं एक मुद्रणालय स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करेगा;

(ग) उनके मंत्रालय के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सत्य) : (क) अपेक्षित ब्यौरे अनुबन्ध में दे दिये गए हैं। दूरसंचार सर्किलों/टेलीफोन जिलों की अन्य सेवाओं की डाइरेक्टरियों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) और (ग) विभाग की छपाई संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विभागीय छापेखाने स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है; इस प्रस्ताव के ब्यौरों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

	छपाई	कागज	ढुलाई	छपाई के स्थान पर ठहरने के लिए कर्मचारियों को दी गई अतिरिक्त परिलब्धियां
	रु०	रु०	रु०	
1. अखिल भारतीय डाक-तार अधिकारियों की टेलीफोन डाइरेक्टरी।	27,570	13,230	कुछ नहीं	कुछ नहीं (क्योंकि छपाई मद्रास में स्थानीय रूप से हुई थी) योग रु० 40,800
2. अखिल भारतीय टेलेक्स डाइरेक्टरी।	40,813	36,693	2,358	3011 रु० योग 82,875 रु०

केरल में अल्लीपाड़ी में पाया गया रजत अयस्क

3107. **श्री वयालार रवि** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में राज्य भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा केरल की अट्टीपाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में रजत अयस्क (गेलेना) पाये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास औद्योगिक निष्कर्ष के लिये खानों की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) राज्य सरकार के खनन और भूतत्व विभाग ने पालघाट जिले की अट्टीपाड़ी घाटी में हाल ही में किए गए खोज कार्यों के दौरान गेलेना होने का पता लगाया है जिसके साथ कुछ चांदी होने की भी सूचना है। अभी खोज कार्य चल रहे हैं।

(ख) और (ग) औद्योगिक निष्कर्षण हेतु खनन के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी ।

उच्च प्रबन्धकीय पदों पर आसीन अधिकारियों को गोपनीय रिपोर्ट लिखने की पद्धति

3108. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें उच्च प्रबन्धकीय पदों पर आसीन अधिकारियों के गोपनीय रिपोर्ट लिखने के लिए स्टील एग्जीक्यूटिव्स फेडरेशन द्वारा निकाले गये तरीके को कार्यान्वित करने के बारे में हाल के निर्णय का पता है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) क्या योजना को कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय की अनुमति मांगी गई थी और प्रदान की गई थी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय 9 फरवरी, 1978 को इकनामिक टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट से है। सरकार का इस बारे में औपचारिक रूप से काई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

एम० सी० डी० द्वारा खरीदी गई डाईलेसिस मशीन का उपयोग

3109. **श्री यशवन्त बोरोले** :

श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस आशय की प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली नगर-निगम के एक अस्पताल में डाइलैसिस नामक किडनी मशीन में धूल जमा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस कीमती तथा लाभप्रद मशीन, जिसके बिना बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है, की ओर उपेक्षा के लिए कोई जिम्मेदारी नियत की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां। हिन्दू राव अस्पताल में।

(ख) और (ग) : दिल्ली नगर निगम को कह दिया गया है कि वे इस मामले की पूरी जांच करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

बैंकों में हड़तालें तथा तालाबंदियां

3110. **श्री डी० बी० चन्द्र गोड़ा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 में अब तक बैंकों में राज्यवार, कितनी हड़तालें और तालाबन्दियां हुई हैं, और

(ख) इनके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) : कुछ केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों और अन्यों द्वारा "बन्द" के लिए दिए गए आह्वान पर महाराष्ट्र राज्य के हड़ताली कर्मचारियों तथा अध्यापकों की सहानुभूति में महाराष्ट्र में बैंक कर्मचारियों ने 24 जनवरी, 1978 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। अन्य किसी राज्य में हड़ताल या तालाबन्दी की कोई सूचना नहीं मिली है।

तमिलनाडु में प्रस्तावित तारघर

3111. **श्री सी०एन० विश्वनाथन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978 में तमिलनाडु में खोले जाने वाले प्रस्तावित नये तारघरों की संख्या कितनी है और वे किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : ऐसा प्रस्ताव है कि वर्ष 1978 के दौरान तमिलनाडु में 210 स्थानों पर नए तारघर खोल दिए जाएं। इन स्थानों के नाम अनुबन्ध में दिए गए हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 1825/78]**

ट्रैवल एजेंटों द्वारा रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को ठगना

3112. **श्री एन० श्रीकान्त नायर** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बेईमान ट्रेवल ऐजेंटों द्वारा विदेशों में रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों के मामले में देश में बड़े पैमाने पर ठगी की जा रही है;

(ख) क्या इस मामले में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ग) क्या इस ठगी को बन्द करने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) : सरकार को समय-समय पर भर्ती एजेंटों द्वारा रोजगार चाहने वालों से पैसे लेने, रोजगार वाले देश में भारतीय श्रमिकों के शोषण/से दुर्व्यवहार, चयन किए गए पद के बजाए निम्न पदों पर नियुक्ति, असंतोषजनक कार्य/रहन-सहन की दशाएं, निम्न वेतन आदि के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अपंजीकृत भर्ती एजेंटों, ट्रेवल एजेंटों आदि द्वारा अनधिकृत भर्ती करने तथा जाली अनापत्ति पत्रों से श्रमिकों को बाहर भेजने के संबंध में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त की गई शिकायतों की उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जांच कराई जाती है और जांच के परिणाम पर उचित कार्रवाई की जाती है।

विदेशों में रोजगार के लिए भारतीय श्रमिकों की भर्ती को विनियमित करने के लिए सरकार ने जून, 1976 में यह निर्णय लिया है कि निजी भर्ती एजेंसियों द्वारा विदेशों में कुशल, अर्ध कुशल तथा अकुशल कार्य के लिए व्यक्तियों की भर्ती विनियमित की जाएगी तथा ये एजेंसियां श्रम मंत्रालय द्वारा पंजीकृत तथा अनुमोदित की जाएंगी।

विदेशों में मुख्य या उप ठेकेदार के रूप में परियोजनाओं पर परामर्शदाता/निष्पादन के काम में व्यस्त ऐसी भारतीय फर्मों/संगठनों को उनकी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों में कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल कामगारों को सीधी भर्ती करने की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते कि ऐसे कामगारों को दिए गए रोजगार की शर्तें उनकी वास्तविक नियुक्ति से पूर्व श्रम मंत्रालय से अनुमोदित हों।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेशों में जाने वाले भारतीय कामगारों की रोजगार की शर्तें संतोषजनक हैं, भर्ती अभिकरणों को अपने विदेशी नियोजकों की ओर से रोजगार करार करना पड़ता है जिसमें रोजगार के विभिन्न पहलु होते हैं।

एक भर्ती अभिकरण का अनन्तिम पंजीकरण रद्द किया गया था और कुछ मामलों में कामगारों को नियुक्त करने के लिए अनुमति को रोक लिया गया था। उन मामलों में जिनमें शिकायतों पर जांच पड़ताल की जा रही है, अनन्तिम पंजीकरण की स्वीकृति को भी रोके रखा गया है।

अमरीका में नियुक्त भारतीय पत्रकारों की समस्यायें

3113. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जनवरी, 1978 के टाइम्स आफ इण्डिया में इसके वाशिंगटन संवाददाता द्वारा "नो इल विल टुवार्डस देसाई" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित रिपोर्ट तथा अमरीका में नियुक्त भारतीय पत्रकारों की समस्याओं की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) **और (ख)** : सरकार ने 14-1-78 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में यह रिपोर्ट देखी है। अमरीकी अधिकारियों द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसा कोई नियम नहीं है जो 'हवाइट हाऊस' के प्रेस सम्मेलनों में विदेशी पत्रकारों को प्रश्न पूछने से रोकता हो। फिर भी, वास्तविक व्यवहार में विदेशी पत्रकारों का अनुभव यह है कि इन प्रेस सम्मेलनों में सीधे प्रश्न नहीं पूछ पाते। ऐसा समझा जाता है कि यह बात सभी विदेशी संवाददाताओं पर लागू होती है और इसमें अमरीका में भारतीय पत्रकारों के विरुद्ध जानबूझ कर अथवा अनजाने में कोई भेदभाव नहीं किया जाता।

इस्पात संयंत्रों को विद्युत और कोयले की सप्लाई

3114. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिजली और कोयले की पूरी सप्लाई न होने से पूरे इस्पात उद्योग के सामने संकट आया हुआ है, और

(ख) प्रत्येक इस्पात संयंत्र में कोयले की स्टाक की स्थिति क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) इस्पात कारखानों को पर्याप्त मात्रा में अपेक्षित किस्म के कोककर कोयले की सप्लाई तथा दामोदर घाटी निगम से बिजली की सप्लाई में कुछ कठिनाइयां अनुभव की गई हैं।

(ख) 1-3-1978 को प्रत्येक इस्पात कारखाने में कोककर कोयले के स्टाक की स्थिति नीचे दी गई है :—

कारखाना	(हजार टन)
भिलाई	98
दुर्गापुर	48
राउरकेला	52
बोकारो	36
टिस्को	59
इस्को	43
कुल	336

Non-utilization of Machine purchased for Expansion of Hindustan Zinc Ltd.

3115. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state:

(a) whether machines purchased for expansion of the zinc smelter of the Hindustan Zinc Ltd. at Debari in Uraipur, Rajasthan are lying in open unutilised for the last two years and are rusting;

(b) if so, the number and cost of the machines lying unutilised; and

(c) whether work of expansion thereof has since been completed or is yet to be completed.

The Minister of State in the Ministry of Steel & Mines (Shri Karia Munda): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Expansion of zinc circuit of Debari zinc smelter has been completed. The erection of the Phosphoric Acid Plant is expected to be completed by end of May, 1978.

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा कर्मचारियों को उचित समय से पूर्व पुनर्भुगतान की स्वीकृति

3116. **श्री चतुर्भुज :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, पूसा रोड़, नई दिल्ली को आई० सी०ए० आर० आई०ए० आर० एस० और आई० ए० आर० आई० के कर्मचारियों के कुछ ऐसे मामले मिले हैं जिनमें अत्यधिक कठिनाइयों के आधार पर समय से पूर्व ए० ई० सी० डी० के पुनः भुगतान के लिए अनुरोध किया गया है ।

(ख) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली ने इनमें से कुछ मामले उचित सिफारिश के साथ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त मयूर भवन, नई दिल्ली के स्वीकृत हेतु भेजे थे, और ये मामले लम्बे समय से केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में विचाराधीन पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने इन मामलों पर अपनी स्वीकृति अब तक क्यों नहीं दी है जब कि जरूरतमंद कर्मचारियों के अपनी पत्नी, माता जैसे आश्रितों के मामले में उचित उपचार न प्राप्त होने के कारण बहुत अधिक परेशानी ही रही है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) जी हां, ।

(ख) और (ग) : क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली द्वारा भेजे गए सभी मामलों का निपटान केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किया जा चुका है ।

Mismanagement in C.M.I. Company Limited

3117. **Shri R.L.P. Verma :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state:

(a) whether because of complete mismanagement in C.M.I. Company Limited, Domchanch (Bihar) and non-Payment of arrears of rupees 45 lakhs by the Company to 4000 workers the latter are facing starvation; and

(b) if so, the measures taken by Government and by when the decision in the matter of taking over the company would be taken?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma): (a) Due to alleged mismanagement in the C.M.I. Company Limited, the wages of about 1800 workers in the mines and 1200 workers in the factories and workshops were not being paid regularly.

(b) Several attempts were made to arrange payment of wages to workers but without success. The ALC(C) has sought permission of the Calcutta High Court to file claim application under Payment of Wages Act, 1936 against the Members of the Board of Management. The State Government of Bihar are reported to have initiated similar action for recovery of wages of workers employed in Mica Factories. The Department of Company Affairs have ordered investigation under Section 237(b) of the Companies Act, 1956 in the affairs of the Company.

उच्चतम न्यायालय द्वारा समाचारपत्र मालिकों की याचिकाओं पर विचार

3118. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य समाचारपत्र कर्मचारियों को सांविधिक अंतरिम राहत देने के बारे में समाचारपत्र-मालिकों द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर की गई विभिन्न याचिकाओं पर केवल उच्चतम न्यायलय द्वारा विचार किये जाने के लिए उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है जिस से इस मामले के महत्व को देखते हुए इस पर शीघ्र फैसला हो सके ; और

(ख) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर अभी आदेश पास करने हैं।

Cultural Institutions

†3119. **Shri Subhash Ahuja:**
Shri Yagya Datt Sharma:
Dr. Laxminaryan Pandeya:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the names and locations of such cultural institutions in the country as are being run by foreign countries;

(b) the annual grants or other financial assistance provided to those by each country; and

(c) the names of the countries where Indian Cultural institutions are functioning?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu): (a) The Information and Cultural Wings of foreign missions in India undertake cultural programmes and activities in this country in accordance with International diplomatic practice.

Besides, the following cultural institutions in India are maintained/aided by the Missions of UK, FRG and Soviet Union. These institutions are either run by the Indian Council for Cultural Relations or the ICCR maintains liaison with them:

(i) Seven British Libraries located at Bangalore, Bhopal, Lucknow, Pune, Patna, Ranchi and Trivandrum. (Two more are being opened in Ahmedabad and Hyderabad.)

(ii) Eight Max Muller Bhavans located at Bangalore, Bombay, Calcutta, Delhi, Hyderabad, Madras, Pune and Rourkela.

(iii) House of Soviet Culture in Trivandrum.

In addition, 8 branches of Aliance Francaise located at Bombay, Delhi, Calcutta, Madras, Pondicherry, Karikal, Pune and Bangalore, which are registered as Indian Societies, get assistance from the French Embassy in New Delhi.

(b) The following grants were received during 1976-77 by the Indian Council for Cultural Relations in respect of the foreign cultural centres which are being run directly by the Council on behalf of the respective foreign Governments:—

(i) For 8 British Libraries	Rs. 7,00,000
(ii) For the House of Soviet Culture in Trivandrum	Rs. 3,40,000

(c) (i) Fiji

(ii) Guyana.

Indian Doctors and Engineers in Libya

†3120. **Shri Rajendra Kumar Sharma:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Indian doctors, engineers and other prominent business experts in Libya have drawn the attention of the Government of India that they were not being given proper status there; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu): (a) & (b) No, Sir. The Government have, however, received a few grievances by individuals which were looked into and whatever assistance was possible was rendered. It may also be mentioned that recruitment of Indian experts—doctors, engineers etc. is generally permitted only after the terms and conditions offered are found to be satisfactory and reasonable as also acceptable to the concerned individuals.

निरस्त्रीकरण के लिए भारत का समर्थन

3121. **श्री प्रसन्नभाई** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री ने स्पेशल नान-गवर्नमेंट आर्गेनाइजेशन कमेटी आन डिसआर्मामेंट के चेयरमैन के प्रेषित पत्र में लिखा था कि भारत निरस्त्रीकरण के लिए किये गये प्रयासों का समर्थन करेगा ;

(ख) यदि हां, तो पत्र में क्या लिखा गया था ;

(ग) उस पर चेयरमैन की क्या प्रतिक्रिया थी ; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये भारत ने किस प्रकार की सहायता देने की पेशकश की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समेरन्द्र कुन्डू) : (क) जी, हां।

(ख) प्रधान मंत्री ने अपने पत्र में नाभिकीय हथियारों के सतत परीक्षण, नाभिकीय हथियारों के बहुत बड़ी मात्रा में संचयन और विश्व भर में शिक्षा और स्वास्थ्य पर किये जा रहे खर्च की तुलना में बहुत बड़े अनुपात में विश्व भर में बढ़ते हुए सैनिक खर्च पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने नाभिकीय निरस्त्रीकरण सहित सामान्य एवं पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए भारत के समर्थन को दोहराया है; और यह आशा व्यक्त की है कि निरस्त्रीकरण संबंधी संयुक्त राष्ट्र के आगामी विशेष अधिवेशन में इस विषय पर रचनात्मक और सक्रिय रूप से कार्रवाई की जाएगी ।

(ग) प्रधान मंत्री के इस संदेश का स्वागत किया गया और इसे इसे सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के बीच वितरित किया गया ।

(घ) जैसा कि प्रधान मंत्री ने बताया है, भारत सरकार उन सभी सार्थक उपायों का समर्थन करने के लिए वचनबद्ध है जिनका उद्देश्य सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण स्थापित करना है।

Setting up of Primary Health Centres in Bihar

3122. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state:

(a) whether the information in respect of Primary Health Centres set up for medical facilities in the rural areas in the backward State like Bihar has not been made available to his Ministry;

(b) whether thousands of these centres are lying incomplete for years together;

(c) whether the Central allocation for Bihar is not utilised for providing medical facilities in the State but is utilised specially under the head "establishment expenditure"; and

(d) if so, the time by which arrangements will be made to complete the said centres and to ensure the working of the Health Department of the State as per rules and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav): (a) The Ministry of Health and Family Welfare are aware of the position regarding the Primary Health Centres in Bihar State. There are 587 Blocks and 537 Primary Health Centres in the State.

(b) Of the 537 Primary Health Centres 185 have got buildings. In 238 Primary Health Centres, buildings are under construction and in 114 cases, buildings have not been constructed.

(c) The Central allocation for Bihar is utilised for medical facilities for the people and not on "establishment expenditure" only.

(d) It is expected that during the next 5 years, the shortages of buildings for the Primary Health Centres in the State will be removed.

कश्मीर

3123. **डा० कर्ण सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जम्मू तथा कश्मीर के मुख्य मंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का इस आशय का वक्तव्य देखा है कि कश्मीर प्रश्न का समाधान नहीं किया गया था परन्तु दबा दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस वक्तव्य के प्रति भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी, हां ।

(ख) कश्मीर के बारे में भारत सरकार की नीति सुविदित है। पूरा जम्मू एवं कश्मीर संवैधानिक तथा विधिक रूप से भारत का अभिन्न अंग है।

जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज में की जाने वाली शिकायत

3124. **श्री डी० जी० गवई** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज को की जाने वाली अधिकांश शिकायतें डी० आई० जेड० क्षेत्र के बहुमंजिली फ्लैटों की होती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र से की जाने वाली शिकायतों की प्रतिशतता अन्य शिकायतें की तुलना में क्या हैं ;

(ग) इनके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) टेलीफोन के असंतोषजनक कार्यकरण के बारे में इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को स्थायी आधार पर हल करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) से (ग) जी, नहीं। डी० आई० जेड० एरिया के टेलीफोन उपभोक्ताओं से रोजाना जो शिकायतें प्राप्त होती हैं, वे कुल प्राप्त होने वाली शिकायतों के लगभग 4 से 5 प्रतिशत तक हैं। तथापि, डी० ब्लाक के आस-पास बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चलने के कारण केबुल में दो बार दोष आ गए थे---एक बार जनवरी 1978 में और दूसरी बार फरवरी 1978 में । इन केबुलदोषों के कारण कुछ टेलीफोन खराब हो गए थे।

(घ) इस बात की निगरानी रखने के लिए कि उस इलाके में काम करने वाली निर्माण पार्टियां टेलीफोन केबुलों को कोई क्षति न पहुंचाएं, गश्त लगा दी गई है।

Recording of Calls Booked but not Materialising

†3125. **Shrimati Chandravati:** Will the Minister of Communications be pleased to state whether Government have some such record which can reveal about a call booked in the morning but not materialised even till evening?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai): (a) No, Madam. All tickets, whether calls are effective, or ineffective, are sent to the Accounts Office the following day for billing purpose. No separate record is maintained which could reveal later about calls booked in the morning but not materialised even till evening.

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में इस्पात के उत्पादन में कमी

3126. **डा० बापू कालदाते** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में इस्पात के उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) उत्पादन में कमी मुख्यतः बिजली और अच्छी किस्म के कोयले की कमी तथा कुछ हद तक कारखाने के कुछ विभागों में मालिक-मजदूर संबंधों में तनाव की स्थिति के कारण हुई है।

(ग) कोयले और बिजली की कमी की समस्याओं के बारे में संबंधित अभिकरणों से लिखा-पढ़ी की जा रही है। मालिक-मजदूर सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए भी हर कोशिश की जा रही है।

बेरोजगार परिवारों के व्यक्तियों को नौकरी

3127. **श्री शशांकशेखर सान्याल** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बेरोजगार परिवारों के एक एक व्यक्ति को यदि इसमें कोई अन्य बाधा न हो तो सार्वजनिक नियुक्तियों में प्राथमिकता देने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : सार्वजनिक सेवाओं की भर्ती को शासित करने का सामान्य सिद्धांत यह है कि देश में उपलब्ध सर्वोत्तम योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक सेवाओं में लगाया जाए। संविधान की कुछ व्यवस्थाओं को पूरा करते हुए और कुछ सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न सेवाओं में 25 से 50 प्रतिशत पद नागरिकों की कुछ श्रेणीयों के लिए आरक्षित किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय लिया है कि किसी भी सेवा में पदों के 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण को असांविधानिक माना जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न में निहित प्रस्ताव व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता।

विदेशों द्वारा आनन्द मार्गियों के प्रवेश पर रोक

3128. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देशों ने आनन्द मार्गियों के अपने देश में प्रवेश पर रोक लगा दी है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) जी, हां। हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार आस्ट्रेलिया सरकार ने आस्ट्रेलिया के नागरिकों अथवा आस्ट्रेलिया में बहुत लम्बी अवधि से रहने वाले ऐसे निवासियों, जो किसी हिंसक कार्रवाई में शामिल नहीं हैं अथवा जिन्होंने हिंसक कार्रवाई की योजना नहीं बनाई है, को छोड़कर आनन्द मार्ग के सभी सदस्यों अथवा इस संगठन से सक्रिय रूप से संबद्ध अन्य लोगों के आस्ट्रेलिया में प्रवेश को निलम्बित करने का निर्णय किया है।

Provision of Special postal Facilities in Hilly, Backward, Desert, Rural and Forest Areas

†3129. **Shri Meetha Lal Patel:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government recently formulated a new policy for providing and expanding special post, telegraph and telephone facilities in the hilly, backward, desert, rural and forest areas of the country;

(b) if so, the extent to which these facilities have been provided in the said areas of Rajasthan; if not, the reasons therefor; and

(c) whether the higher officers of the Department are not showing any interest in this regard and if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai) :

(a) to (c) **Postal** : The Government are already following a policy for opening of post offices in the rural areas with relaxed standards in respect of post offices to be opened in the backward/hilly areas and the same is laid on the table of the House. The forest areas which fall in the areas declared as backward for the purpose of extension of postal facilities also enjoy the relaxed standards.

The concept of opening of new mobile post offices and conversion of existing statically Extra Departmental Branch Offices into mobile post offices has recently been evolved with a view to providing postal counter facilities to the villages which do not justify the opening of exclusive post office as per norms. Such mobile post offices will cover villages in backward areas. Greater emphasis will be given to provide postal facilities in hilly/tribal/backward areas during the Plan 1978—83.

(ii) In Rajasthan Circle 54 post offices have been opened in the backwad areas in the current financial year and at present 686 post offices are functioning in backward areas in this Circle.

Telecommunication

(a) A policy decision was taken in August, 1977 to provide telephone and telegraph facilities, even on loss, at all places with a population of 5000 or more in ordinary areas and 2500 or more in backward and hilly areas, without any condition of minimum revenue. Forest and desert areas are expected to be covered under the above categories though a special mention was not made about them.

(b) Since August, 1977, proposals for opening Public Call Offices (PCOs) at 53 places and Telegraph Offices at 12 places have been sanctioned in backward areas of Rajasthan and 11 PCOs and 2 Telegraph Offices have already been opened in such areas during this year so far.

(c) The above facts will show that higher officers are taking interest in this regard.

STATEMENT

Norms for opening of Post Offices in Rural Areas

FOR RURAL AREAS

Post Offices to be opened in rural areas have been classified into the following eight categories:—

(i) Remunerative or self-supporting.

(ii) To be opened on payment of N.R.C.

(iii) To be opened in villages with a population of 2000 or more.

(iv) To be opened for a compact group of villages with a population of less than 2000 or more.

(v) To be opened for a village or a compact group of villages with a population of less than 2000.

(vi) To be opened at villages which are headquarters of community projects, or where there are schools run by District Boards, Local Boards or Schools run by private parties with the said of State Government or where there are Block Headquarters.

(vii) To be opened at villages which are the headquarters of administrative units like Tehsils, Talukas, Thanas etc.

(viii) To be opened in areas which are scheduled as very backward from the point of view of postal development.

2. The above categories are desired in the then Ministry of Transport and Communications letter No. I-16/56-Plg dated 18-2-59. There are certain conditions which have to be fulfilled by all proposals in all categories before a post office can be opened. There are certain additional conditions which have to be fulfilled by certain categories in addition to the general conditions. The two categories of conditions are discussed below:

(A) Conditions Applicable to all Proposals :

(i) No post office can be opened within a distance of 3.2 Kms. (2 miles) if the proposal falls under any of the categories (i), (ii), (vi), (vii) or (viii).

(ii) No post office can be opened within 4.8 Kms. or 3 miles of an existing post office if the proposal falls in categories (iii), or (iv) or (v).

Note: The distance condition can be relaxed by the Director-General in special cases, for example, if there is a natural barrier as unbridged river or hill or forest intervening between the proposed post office and the nearest existing post office.

(iii) Except in case of proposals under category (ii), no proposal for opening of a post office can be sanctioned unless the anticipated revenue or minimum guranteed income of the proposed post office is at least 25% of its anticipated cost.

Note (i) The minimum guranteed income is not required for post offices proposed to be opened for Defence requirements in border areas.

Note (ii) The minimum guranteed income required in very backward area is 15% of the estimated cost of the proposed post office.

Note (iii) The minimum guaranteed income required in hilly areas (regardless for the category) is 10% of the anticipated cost.

(iv) Except in the case of proposals to be opened in N.R.C. the opening of a new post office should not result in the parent office working at a loss beyond the permissible limit of Rs. 500.

(B) Special Conditions Applicable to Various Categories:

(a) Category (i) : **Remunerative or self-supporting :**

(i) The anticipated income should be more than or equal to the anticipated cost.

(ii) The parent office should also be self-supporting.

(b) Category (ii) :

Post Offices on NRC are classified as in 'General Interest' or in 'Limited Interest' as defined below:—

(i) A post office is in 'General Interest' when it is justified under the prescribed standards of distance and population even if not justified according to financial standards.

(ii) A post office is in 'Limited Interest' when it is established to meet specific requirements of Governments, individuals, commercial interest or in places where opening of post offices is not justified under the prescribed standards.

In case of an office opened in 'General Interest' the NRC recoverable will be an amount over and above the permissible limit of loss prescribed for the category under which the said office would have been opened otherwise.

As regards an office opened in 'Limited Interest', the amount of NRC will be amount equal to the entire anticipated loss of the proposed office subject to the condition that this amount will not exceed the total cost of the proposed post office.

Note: If the parent office of the proposed post office was opened on NRC, the proposed post office or any other office in account jurisdiction of such parent office can not be opened on NRC.

(c) Category (iii): **To be opened in villages with a population of 2000 or more:**

The loss should not exceed Rs. 750 per annum.

(d) Category (iv): **To be opened for a compact group of villages with a population of 2000 or more :**

(i) Villages to be grouped for purposes of proposals under this category should be within a radius of 2 miles (3.2 Kms) from the proposed post office.

(ii) The loss should not exceed Rs. 750 per annum.

(e) Category (v): **To be opened for a village or a compact group of villages with a population of less than 2000:**

(i) Post offices can be opened in this category at the discretion of the Head of Circle if due to spare population and location of villages at long distances. it is not possible to form a group of villages with a population of 2000 within a radius of 2 miles (3.2 Kms).

(ii) The loss should not exceed Rs. 500 per annum.

(f) Category (vi): **To be opened at villages which are the Headquarters of administrative units like Tehsils, Talukas, Thanas etc.**

The loss should not exceed Rs. 750 per annum.

(g) Category (vii): **To be opened at villages which are headquarters of community projects or where there are schools run by District Boards, Local Boards or Schools run by private parties with the aid of State Governments or where there are Block Headquarters.**

(i) If the population to be served by the post office within a radius of 2 miles is 2000 or more, the loss should not exceed Rs. 750 per annum.

(ii) If the population to be served within a radius of 2 miles is less than 2000 the loss should not exceed Rs. 500 per annum.

(h) Category (viii): **To be opened in areas which are scheduled as very backward from the point of view of postal development.**

(i) The permissible limit of loss is Rs. 1000 and Rs. 2500 per annum under the powers of the Heads of the Circle and the Director General respectively provided the nearest post office is at a distance of at least 3.2 Kms. (2 miles).

Note: Since the loss of parent office has been fixed at the maximum of Rs. 500 per annum and loss of the proposed post office at a maximum of Rs.2500 p.a. a post office in this category can be opened if the combined total loss of the proposed post office and the parent office does not exceed Rs. 3000 regardless of the component of the loss of the parent office being less or more than Rs. 500 per annum.

FOR URBAN AREAS :

There are no conditions except that the proposed post office should be self supporting and have minimum work-load of 5 hrs. per day.

भारत-वियतनाम करार

3130. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वियतनाम के प्रधान मंत्री के भारत के दौरे के क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या यात्रा करने वाले नेताओं और भारत सरकार के बीच बातचीत केवल द्विपक्षीय सहयोगों तक ही सीमित रही अथवा उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर भी विचार विमर्श किया;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों का अन्तिम रूप से पता लगा लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और भारत सरकार के विचार में कुछ पड़ोसी देशों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) वियतनाम के प्रधान मंत्री की 24 फरवरी से 2 मार्च, 1978 तक भारत की राजकीय यात्रा के परिणाम-स्वरूप दोनों देशों के नेताओं के बीच व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो सका है और कई करार सम्पन्न हुए हैं जिनसे दोनों देशों के बीच मैत्री एवं सहयोग के संबंध सुदृढ़ होंगे।

(ख) और (ग) इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के मसलों पर बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान दक्षिण-एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में हाल की घटनाओं, हिन्द महासागर को शान्ति-क्षेत्र का प्रश्न तथा पश्चिम एशिया एवं दक्षिणी-अफ्रीका की स्थिति, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की भूमिका, विशेषकर निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देने तथा एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने में, जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार किया गया। यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में इस बातचीत के ब्यौरे का सारांश दिया गया है।

(घ) सामान्य हित के मसलों पर अन्तर्राष्ट्रीय मंच में सहयोग के अतिरिक्त दोनों देशों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि-अनुसंधान, व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को परस्पर सहयोग के मुख्य क्षेत्र के रूप में चुना। भारत-वियतनामी राष्ट्रिकों को विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी प्रशिक्षण देने की सुविधाओं पर भी सहमत हुआ है।

(ङ) भारत सरकार यह समझती है कि वियतनाम के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा और उसके परिणाम का इस क्षेत्र के सभी देशों ने स्वागत किया है।

आनन्द मार्ग द्वारा विश्व व्यापी आन्दोलन

3131. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनन्द मार्ग ने धमकी दी है कि यदि उनके अध्यक्ष श्री पी० आर० सरकार को मार्च के अन्त तक जेल से रिहा न किया गया तो वे विश्व-व्यापी आन्दोलन आरम्भ कर देंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है और आनन्द मार्ग द्वारा विदेशों में किये जा रहे झूठे प्रचार का मुकाबला करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां।

(ख) हमारे मिशनों ने जहां कहीं भी आवश्यक समझा है, वहां अपने प्रत्यायन की सरकारों को आनन्द मार्ग के बारे में संक्षेप में बताया है। आवश्यकतानुसार उक्त क्षेत्र के सम्पर्क-माध्यमों को

भी पक्षसार प्रस्तुत किया गया है। समाचार-पत्रों, समाचार एजेन्सियों और पत्र-पत्रिकाओं को इस संगठन के बारे में आधार-सामग्री भी गयी दी है, जिससे इसकी सही तस्वीर पेश करने के लिए उसका उपयोग किया जा सके।

बंगलौर में चल डाकघर सेवा

3132. **श्री सी० के० जाफर शरीफ**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर में चल डाकघर सेवा की व्यवस्था है परन्तु डाक अधिकारियों ने तेजी से बढ़ते हुए शहर के लिए यह सेवा और अधिक क्षेत्रों से चालू नहीं की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार शहर में और अधिक चलते फिरते यूनिटों की व्यवस्था करेगी ताकि इस सुविधा का बंगलौर के और अधिक क्षेत्रों के और अधिक लोगों द्वारा उपयोग किया जा सके?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) जी हां। बंगलूर में एक चलता फिरता डाकघर है। यह डाकघर अपराह्न में काम करता है और छह महत्वपूर्ण स्थानों/व्यापारिक बस्तियों में रुकता है। इस डाकघर के प्रचालन क्षेत्र का विस्तार करने के प्रश्न पर विचार किया गया था किन्तु उसके और अधिक स्थानों पर रोकने का औचित्य नहीं सिद्ध हुआ।

(ख) एक और चलता फिरता डाकघर खोलना इस समय व्यवहार्य नहीं है।

मदिरा-लत छुड़ाने के लिये सुविधायें

3134. **डा० सुशीला नायर**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र तथा अन्य राज्यों में मदिरा पान करने वालों की मदिरा की आदत छुड़ाने हेतु क्या सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) क्या मदिरा के आदी लोगों को चिकित्सा सहायता के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक सहायता देने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या मदिरा पान के जिगर, गुर्दों, 'केरियो-वैसल्क्यूलर' प्रणाली तथा समान्यतः स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव के मूल्यांकन के लिए कोई अनुसंधान किया गया है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली के केन्द्र शासित क्षेत्र में व्यसन छुड़ाने वाले क्लिनिक जय प्रकाश नारायण अस्पताल और हिन्दू राव अस्पताल में चल रहे हैं। अन्य राज्यों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

(ख) सूचना एकत्र जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) अभी नहीं। लेकिन "मनुष्य द्वारा विभिन्न प्रकार के एलकोहल पीने से स्वास्थ्य और पोषण के स्तर पर क्या असर पड़ता है" इस प्रश्न पर विशेषज्ञों के एक दल ने एक अध्ययन किया और मार्च, 1974 में उसने सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार अधिक शराब पीने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। यह असर समाज के अधिक गरीब वर्गों पर, जो पोषण की कमियों का शिकार होते हैं, और भी बुरा हो सकता है।

आजाद हिन्द सरकार का वृत्त चित्र

3135. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजाद हिन्द फौज के वृत्त चित्र जो सिंगापुर और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य क्षेत्रों में लाये गये थे, कांग्रेस कमेटी द्वारा वर्ष 1946 में भारतीय जनता को दिखाये गये थे;

(ख) क्या आजाद हिन्द सरकार के वे वृत्त चित्र गायब हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उनको ढूंढ निकालने के लिये आवश्यक प्रयत्न करेगी;

(घ) यदि हां, तो क्या कदम उठाने का विचार है;

(ङ) क्या जापान पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और अमरीका के युद्ध अभिलेखागारों से आजाद हिन्द फौज और नेताजी के बारे में वृत्त चित्र तथा अन्य प्रचार सामग्री एकत्र करने का सरकार प्रयत्न करेगी; और

(च) यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : **(क) से (घ)** विदेश मंत्रालय को इस विषय में कोई सूचना नहीं है।

(ङ) और (च) : इन देशों में स्थित हमारे मिशनों को पहले ही अनुदेश दिए जा चुके हैं कि वे आजाद हिन्द फौज तथा नेताजी के बारे में सूचना, प्रलेख और अन्य सामग्री एकत्र करने के लिए सम्बद्ध सरकारों के साथ मिलकर प्रयत्न करें।

कर्मचारियों के लिए कानूनी सहायता और निर्वाह भत्ते की व्यवस्था

3136. **श्री चित्त बसु** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह वांछनीय और आवश्यक समझती है कि कर्मचारियों के लिये कानूनी सहायता और निर्वाह भत्ते की व्यवस्था तब तक के लिये की जाये जब तक उनके मामलों में श्रमिक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय न दे दिये जायें;

(ख) क्या यह आवश्यक और वांछनीय समझती है कि एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाये जिसके अन्तर्गत प्रत्येक मामला निपटाया जाये; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) श्रमिकों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रश्न गरीब लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने संबंधी सामान्य प्रश्न का एक भाग है और कानूनी सहायता संबंधी भगवती समिति ने इसके बारे में भी सिफारिश की हैं। इन सिफारिशों के संबंध में सरकार ने अभी निर्णय लेना है। औद्योगिक संबंध विधेयक के समग्र संदर्भ में (i) श्रम अभिकरणों द्वारा श्रमिकों के मामले तय न किये जाने तक उन्हें निर्वाहक भत्ते का लगातार भुगतान और (ii) प्रत्येक विवाद को तय करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने संबंधी प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

निस्त्रीकरण के बारे में फ्रांस-ब्रिटेन वार्ता

3137. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन्** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस और ब्रिटेन ने निस्त्रीकरण के प्रश्न पर एक सबसे बड़े सम्मेलन की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया है; और

(ग) क्या भारत को भी उक्त सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) **और** (ग) इस संबंध में तथ्य यह है कि गुट-निरपेक्ष देशों की पहल पर 28 मई से 29 जून, 1978 तक न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक विशेष अधिवेशन होगा जिसमें निरस्त्रीकरण पर पूर्ण रूप से विचार किया जाएगा। महासभा के इस विशेष अधिवेशन की तैयारी के संबंध में विभिन्न सुझाव दिए गए हैं जिनमें से कुछ अन्य पश्चिमी देशों के साथ यूनाईटेड किंगडम के तथा स्वतन्त्र रूप से फ्रांस के और गुट-निरपेक्ष देशों के समूह के सुझाव भी शामिल हैं। भारत इस विशेष अधिवेशन में भाग लेगा।

जहां तक भारत की जानकारी है फ्रांस और यूनाईटेड किंगडम ने निरस्त्रीकरण के संबंध में कोई अन्य सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव नहीं किया है।

तिब्बती लोगों द्वारा ज्ञापन

3138. **श्री अहसान जाफरी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानव अधिकारों तथा राष्ट्रीय स्वायतता गारण्टी सम्बन्धी भारत और चीन के बीच तिब्बत के बारे में हुये वर्ष 1954 के समझौते का चीन द्वारा उल्लंघन के विरूद्ध भारत में रहने वाले तिब्बती लोगों ने भारत सरकार को कोई ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री: (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) भारत सरकार और चीन लोक गणराज्य की सरकार के बीच 1954 में हुआ करार सिर्फ सीमावर्ती व्यापार, तीर्थयात्रा और भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच लोगों के आवागमन और इस संबंध में दोनों पक्षों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में ही था। यह करार 1962 में समाप्त हो गया।

(ख) ऊपर जो कुछ कहा गया है उसे देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

बेतूल में निरोध तथा रबड़ चिकित्सा उपकरण कारखाना

3139. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार कल्याण विभाग के विपणन एक्जीक्यूटिव ने इस बात का पता लगाने के लिये बेतूल (मध्य प्रदेश) का दौरा किया था कि क्या यह निरोध तथा रबड़ चिकित्सा उपकरण बनाने के लिये उपयुक्त स्थान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां। अन्य जगहों के साथ-साथ बेतूल का भी दौरा किया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) इस प्लांट को देहरादून (उत्तर प्रदेश) में खोलने के बारे में अन्तरिम रूप से निर्णय किया गया है।

Implementation of Official Language Act in attached and subordinate offices of the Ministry

3140. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether this Ministry/Department have drawn the attention of all the attached and subordinate offices to the provisions of Official Language Act, 1968 and the Rules framed thereunder in June, 1976 and issued instructions to them for their implementation;

(b) if so, whether this Ministry/Department is satisfied that the said Act and the Rules made thereunder are being implemented faithfully; and

(c) if not, the reasons therefor and the steps being taken to ensure that these are implemented faithfully ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda): (a) to (c) The Ministry of Steel and Mines consists of two Departments—Department of Steel and Department of Mines. The position of both the Departments is given separately at Annexure I and II.

Statement I

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) There is only one attached office of the Department of Steel viz. Iron and Steel Control Organisation, Calcutta. This office has six regional offices at New Delhi, Kanpur, Bombay, Calcutta, Hyderabad and Madras. In so far as the Head Office of this organisation is concerned, most of the officers and staff of this office were recruited during the Second World War and will be retiring within next one or two years. The remaining staff is being sent for training in Hindi/Hindi Typewriting/Hindi Stenography and as soon as these employees are trained, it is hoped that administrative orders, circulars etc. will be issued both in Hindi and English. In so far as the regional offices are concerned, these are very small offices and their total strength is 10—12. In the Regional Offices situated in Hindi-speaking-States, all letters received in Hindi are being generally replied to in Hindi and Hindi is also being used for writing small and routine notes and drafts.

Statement II

(a) Yes, Sir.

(b) and (c): There are two subordinate offices of the Department of Mines i.e. Geological Survey of India, Calcutta and Indian Bureau of Mines, Nagpur. The work of these offices is of scientific and technical nature. Most of the employees are Geologists and Engineers who are not accustomed and proficient in writing technical reports etc. in Hindi. However, to the extent possible the provisions of the Official Language Act and Rules made there under, are being implemented in routine administrative matters. The Offices of these two Organisations situated in Hindi-speaking areas generally use Hindi in replies to the correspondence received in Hindi and issue different circulars and ordeurs etc. both in Hindi and English. Forms, Letter Heads etc. and other procedural literature are prepared and used both in Hindi and English.

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् का कार्यकरण

3141. **श्री महीलाल :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्, नई दिल्ली के कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिये उनके द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो परिषद् के कार्य में सुधार करने के लिये इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय सांस्कृतिक परिषद् के कार्य के बारे में समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :--

(1) विदेशों में सरकार के सांस्कृतिक संवर्धन कार्यकलापों को लागू करने के लिए परिषद् ही मुख्य ऐजेंसी होगी।

(2) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् के कार्यों के साथ कुछ प्रसिद्ध गैर-सरकारी सांस्कृतिक संगठनों को भी सम्बद्ध करना चाहिए।

(3) विभिन्न क्षेत्रों में अर्जित विशेष ज्ञान और विश्वविद्यालयों तथा इस कार्य में लगे हुए अन्य निकायों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखने पर विशेष बल देना चाहिए।

(4) सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विषय-वस्तु निर्धारित करने तथा उनके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए विशेषज्ञों के सलाहकार अथवा परामर्शदायी दल होने चाहिए।

(5) परिषद् के कर्मचारियों के लिए मकान, पेंशन, पदोन्नति की संभावनाओं तथा ऐसे ही अन्य लाभों से सम्बद्ध स्थिति पर पुनर्विचार कर उसे युक्तियुक्त बनाया जाना चाहिए।

(ग) सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन काल करनेवाला गिरोह

3142. **श्री कंवर लाल गुप्ता** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस गिरोह के बारे में जानकारी है जो 'कालर्स मीटर' पर कुछ भी दर्ज किये बिना सीधे डायल घुमा कर टेलीफोन करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) सरकार को गत तीन महीनों में दिल्ली में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ मामलों को जांच के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है;

(ङ) यदि हां' तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(च) दिल्ली में गत तीन महीनों के दौरान टेलीफोन सेवा में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली टेलीफोन ने तीस हजारी एक्सचेंज इलाके के कमला नगर में एक ऐसे मामले का पता लगाया है जिसमें एक प्राइवेट उपभोक्ता के लिए एक अनधिकृत एस०टी०डी० सर्किट लगा हुआ था। यह मामला दिल्ली पुलिस को ता० 6-2-78 को एफ०आई०आर० 84 के जरिए सौंप दिया गया है।

(ग) एस०टी०डी० के बारे में अभी तक दो मामले विभाग की जानकारी में आए हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) ऊपर (घ) में दिए गए उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) इस संबंध में निम्नलिखित उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं:--

(1) एक्सचेंज उपस्करों की निरन्तर जांच करना और उनकी खराबियां दूर करना।

(2) टेलीफोन सेवा की क्वालिटी के प्रेषण के एक दल के जरिए प्रत्येक एक्सचेंज के कार्यकरण की नियमित जांच करना।

(3) नये उपस्कर लगाकर और कुछ इलाकों को नए एक्सचेंजों के अन्तर्गत ट्रांसफर करके जो कि क्रमिक रूप से खोले जा रहे हैं, एक्सचेंज के मौजूदा अधिक भार को धीरे-धीरे कम किया जा रहा है।

(4) रखरखाव संबंधी सभी अधिकारियों को एक अतिरिक्त मैनेजर के नियंत्रण में रखा गया है ताकि रखरखाव पर कारगर नियंत्रण रखा जा सके।

अस्पतालों में काम कर रहे कर्मचारियों के कार्मिक संघ संबंधी अधिकारों को शासित करने वाले श्रम संबंधी विधान

3143. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा जीवन बीमा निगम (समझौता उपान्तरण) अधिनियम, 1976 को रद्द किये जाने पर अस्पतालों आदि में काम कर रहे विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के कार्मिक संघ संबंधी अधिकारों का शासित करने वाले विभिन्न श्रम विधानों को कितना महत्व दिया जा रहा है;

(ख) क्या उक्त निर्णय को देखते हुए सभी के लिए "उद्योग" तथा "बोनस" की परिभाषा में कोई परिवर्तन होगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) प्रस्तावित व्यापक औद्योगिक सम्बद्ध कानून और मजदूरी, आय तथा मूल्यों से संबंधित नीति के समग्र संदर्भ में इन पहलुओं की जांच की जा रही है।

नसबन्दी से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा

3144. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नसबन्दी से प्रभावित सभी व्यक्तियों को मुआवजा दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितना मुआवजा दिया गया; और

(ग) राज्यवार ऐसे कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार प्रति महिला नसबन्दी पर 120 रुपये (एक सौ बीस रुपये) और प्रति पुरुष नसबन्दी पर 100 रुपये (एक सौ रुपये) राज्य सरकारों को खर्च के लिए देती है। इस धनराशि में से 70 रुपये (सत्तर रुपये) प्रत्यक आपरेशन कराने वाले स्त्री/पुरुष को मुआवजे के तौर पर दिये जाते हैं। यह

मुआवजा प्रत्येक व्यक्ति को आपरेशन कराने के तुरन्त बाद ही दे दिया जाता है । 1 अप्रैल, 1977 से 30 दिसम्बर, 1977 तक अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 5,69,031 व्यक्तियों के आपरेशन हुए हैं, जो मुआवजा पाने के हकदार हैं। राज्यवार-किये गये आपरेशन और आपरेशन करवाने वाले व्यक्तियों को उस आधार पर दिये गये मुआवजे की अनुमानित धनराशि का विवरण संलग्न है। स्वैच्छिक नसबन्दी करवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नकद मुआवजा देने के अलावा एक ऐसी योजना भी है जिसके अन्तर्गत उन व्यक्तियों के आश्रितों को 5,000 रुपये (पांच हजार रुपये) की अनुग्रहपूर्वक राहत दी जाती है जिनकी दुर्भाग्यवश नसबन्दी आपरेशन के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है । राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत अप्रैल, 1977 से सितम्बर 1977 तक 1,15,000 रुपये (एक लाख पन्द्रह हजार रुपये दिए जा चुके हैं ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र/एजेंसियां	स्वैच्छिक नसबंदी आपरेशन 1977-78 (अप्रैल, 77 से दिसम्बर, 77)	दिए गए मुआवजे की अनुमानित राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	84,237	5,896,590
2.	असम	9,396	657,720
3.	बिहार	11,500	805,000
4.	गुजरात	62,232	4,356,240
5.	हरियाणा	3,139	219,730
6.	हिमाचल प्रदेश	732	51,240
7.	जम्मू व कश्मीर	2,364	165,480
8.	कर्नाटक	73,255	5,127,850
9.	केरल	53,870	3,770,900
10.	मध्य प्रदेश	20,827	1,457,890
11.	महाराष्ट्र	83,989	5,879,230
12.	मणिपुर	356	24,920
13.	मेघालय	186	13,020
14.	नागालैण्ड	28**	1,960
15.	उड़ीसा	40,028	2,801,960
16.	पंजाब	7,348	514,360
17.	राजस्थान	8,814	616,980
18.	सिक्किम	956†	66,920
19.	तमिलनाडु	56,091	3,926,370
20.	त्रिपुरा	150	10,500
21.	उत्तर प्रदेश	8,414	588,980
22.	पश्चिम बंगाल	20,353	1,424,710
23.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	186	13,020

1	2	3	4
24.	अरुणाचल प्रदेश	27†	1,890
25.	चण्डीगढ़	491	34,370
26.	दादर और नगर हवेली	79	5,530
27.	दिल्ली	4,111	287,770
28.	गोवा, दमन व दीव	1,438	100,660
29.	लक्षद्वीप	4	280
30.	मिजोरम	488	34,160
31.	पांडिचेरी	1,944	136,080
32.	रक्षा मंत्रालय	8,320*	582,400
33.	रेल मंत्रालय	3,678*	257,460
	अखिल भारत	569,031	39,832,170

*नवम्बर, 1977 तक के आंकड़े

**जुलाई, 1977 तक के आंकड़े

†अक्तूबर, 1977 तक के आंकड़े।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से पारपत्रों के लिए आवेद

3145. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारपत्र जारी करने की उदार नीति हाल में लागू होने के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारियों के पारपत्र जारी किये जाने के लिए कितने आवेदन पत्र मिले;

(ख) उनमें से कितनों पर निणर्य ले लिया गया है और कितने अभी तक विचाराधीन है; और

(ग) आवेदन पत्रों के निपटान में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

इस्पात संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग

3146. **श्री सरत कार :**

श्री यज्ञदत्त शर्मा :

श्री सुभाष आहूजा :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा रहा है, और यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कितनी हानि हो रही है; और

(ख) भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो संयंत्रों की अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता की प्रतिशतता कितनी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) : अप्रैल, 1977 से फरवरी, 1978 की अवधि में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात के रूप में उत्पादन क्षमता का उपयोग इस प्रकार था :

विवरण

कारखाना	प्रयुक्त क्षमता (प्रतिशत)	अप्रयुक्त क्षमता (प्रतिशत)
भिलाई इस्पात कारखाना	98.1	1.9
दुर्गापुर इस्पात कारखाना . .	69.4	30.6
राउरकेला इस्पात कारखाना .	94.5	5.6
इस्को .	61.6	38.4
टिस्को	105.2	—

चूंकि बोकारो इस्पात कारखाने की कुच्छेक इकाइयां अभी स्थापित की जानी हैं/जेरटेशन अवधि में हैं अतः बोकारो इस्पात कारखाने में क्षमता का उपयोग नहीं दिखाया गया है।

इस्पात कारखाने में क्षमता का उपयोग उपस्करों की उपलब्धि, माता और क्वालिटी की दृष्टि से आदानों की उपलब्धि, उत्पादों की बाजार में मांग आदि जैसी कई बातों पर निर्भर करती है। फिर भी, अगर अप्रैल, 1977 से फरवरी, 1978 की अवधि में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला और इस्को के इस्पात कारखानों में पूरी क्षमता पर उत्पादन होता तो विक्रेय इस्पात का 7,28,000 टन अतिरिक्त उत्पादन हो जाता।

होमियोपैथिक अस्पताल स्थापित करना

3147. **श्री सुशील कुमार धारा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि ग्रामीण लोगों को किसी भी रूप में अथवा किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण इस मद के लिए धन की कमी है अथवा इसका कारण कुप्रबंध है अथवा दोनों ही इसके कारण हैं;

(ग) क्या हमारी सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि होमियोपैथी विश्व भर में मान्यता प्राप्त एक सफल वैज्ञानिक इलाज है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक गांव में होमियोपैथिक अस्पताल (भीतर बिस्तर वाले अथवा केवल बाह्य रोगी विभाग वाले) खोलने का है जो कि बहुत ही कम लागत पर संभव हो सकता है क्योंकि इस इलाज के लिए खर्च की प्रत्येक मद देश में उपलब्ध अन्य इलाज पद्धति की अपेक्षा बहुत सस्ती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं, यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक जो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे निश्चय ही अपर्याप्त है।

(ख) "चिकित्सा और स्वास्थ्य" राज्य का विषय है किन्तु यह कहा जा सकता है कि इस स्थिति की खराबी के अनेक कारण हैं जिनमें धन की कमी भी शामिल है।

(ग) होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को सरकार द्वारा इस देश की एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता दी गई है।

(घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने जनवरी, 1978 में हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्ताव पारित किया कि तालुक और जिला स्तरों पर भारतीय चिकित्सा पद्धतियों (होम्योपैथी सहित) के अस्पतालों की क्रमिक स्थापना की जानी चाहिए। इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करना संबंधित राज्य सरकारों का काम है।

घातक विषाणु

3148. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
डा० वसन्त कुमार पंडित :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री नवाब सिंह चौहान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 फरवरी, 1978 के 'पेट्रियट' में छपे इस समाचार की ओर गया है कि घातक विषाणुओं के भारत में आने की आशंका है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) लासा ज्वर मुख्यतया पश्चिम अफ्रीका में ही होता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के वाइरस अनुसंधान केन्द्र, पूणे द्वारा 1976 में किये गये अध्ययन से पता चला कि लासा वाइरस संभवतः भारत में मौजूद नहीं है। फिर भी, बन्दरगाह/हवाई अड्डा के स्वास्थ्य अधिकारियों को ये हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि वे लासा ज्वर से मिलते जुलते किसी ज्वर की रोकथाम के लिए पश्चिम अफ्रीका से भारत आने वाले यात्रियों की जांच करें।

भारतीय दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या

3149. **श्री शिव सम्पत्ति राम :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में प्रत्येक भारतीय दूतावास तथा हाई कमीशन में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासी तथा समाज के अन्य कमजोर तथा अल्पसंख्यक वर्गों के अलग-अलग कुल कितने व्यक्ति है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुंण्डू) : (क) और (ख) सदन की मेज पर एक वक्तव्य रख दिया गया है जिसमें विदेश स्थित प्रत्येक भारतीय मिशन अथवा केन्द्र में भारत में कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या बताई गई है।

आदिवासी तथा समाज के दूसरे कमजोर और अल्प संख्यक वर्गों के संबंध में अलग से कोई सूचना नहीं रखी जाती लेकिन आदिवासी तथा कमजोर वर्गों के और अल्पसंख्यक समुदायों के कुछ अन्य लोग अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों में शामिल हैं।

विवरण

विदेश स्थित भारतीय मिशनों में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों की संख्या

क्रम सं०	मिशन	कर्मचारियों की संख्या			
		कुल	अनुसूचित जाति	उपजाति	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	आबुधाबी	13	3	—	—
2.	अकरा	12	1	—	—
3.	आदिस अबाबा	9	2	—	—
4.	अदन	9	—	—	—
5.	अल्जीयर्स	11	—	—	—
6.	अम्मन	4	—	—	—
7.	अंकारा	14	1	—	—
8.	बगदाद	28	1	—	—
9.	बहरिन	7	—	1	—
10.	बैंकाक	30	2	—	—
11.	बसरा	4	—	—	—
12.	बेस्त	12	—	—	—
13.	बेलग्रेड	4	1	—	—
14.	बर्लिन (पश्चिमी जर्मनी)	5	—	—	—
	बर्लिन (पूर्वी जर्मनी)	9	—	—	—
16.	बर्न	9	1	—	—
17.	बरमिंघम	4	1	—	—
18.	बगोटा	3	—	1	—
19.	बोन	21	—	—	—
20.	ब्रजीलिया	10	3	—	—
21.	ब्रसल्स	26	1	1	—
22.	बुखारेस्ट	8	2	—	—
23.	बुडापेस्ट	7	1	—	—
24.	बियोनस आर्यस	9	—	—	—
25.	काहिरा	29	4	—	—
26.	केनबरा	12	1	—	—
27.	कराकस	5	—	—	—
28.	चियांगमई	3	—	—	—
29.	चिटागंग	8	—	—	—
30.	शिकागो	6	—	—	—
31.	कोलम्बो	36	4	—	—
32.	कनाकरी	4	—	—	—

1	2	3	4	5	6
33.	कापनहेगन	6	—	1	—
34.	ढाका	77	5	3	—
35.	डकार	6	—	—	—
36.	दमिसक	12	—	—	—
37.	दार-ए-सलाम	16	—	—	—
38.	दोहा	6	—	—	—
39.	दुबई	7	—	—	—
40.	डबलिन	6	—	—	—
41.	फ्रेन्कफ्रट	4	—	—	—
42.	जनेवा (पी०एम०आई०)	17	—	—	—
43.	जनेवा (सी०जी०आई०)	4	—	—	—
44.	जार्जटाउन	7	—	—	—
45.	दी हेग	10	1	—	—
46.	हेम बर्ग	4	—	—	—
47.	हनोई	11	—	1	—
48.	हवाना	3	—	—	—
49.	हेलसिंकी	4	—	—	—
50.	हांगकांग	18	—	—	—
51.	इस्लामाबाद	58	6	—	—
52.	जकारता	25	—	—	—
53.	जलालाबाद	17	1	—	—
54.	जेदाह	23	1	—	—
55.	काबुल	43	3	2	—
56.	कम्पाला	8	1	—	—
57.	कन्धार	16	1	—	—
58.	कैन्डी	12	1	—	—
59.	काठमान्डु	103	3	1	—
60.	खारतूम	11	—	1	—
61.	खुर्रमशहर	5	—	—	—
62.	किंगस्टन	3	—	—	—
63.	किंसासा	7	—	—	—
64.	कोब	2	—	—	—
65.	क्वालालमपुर	20	1	1	—
66.	कुवैत	23	1	—	—
67.	लागोस	15	1	—	—
68.	लीलांगवे	4	—	—	—
69.	लिमा	6	1	—	—
70.	लिसबन	10	1	—	—
71.	लिवरपूल	1	—	—	—

1	2	3	4	5	6
72.	लन्दन	266	9	—	—
73.	लुसाका	13	—	—	—
74.	मदरिद्र	7	1	—	—
75.	माली	2	1	—	—
76.	मांडले	5	—	—	—
77.	मनीला	9	1	—	—
78.	मापूतो	9	1	—	—
79.	मेदान	3	2	—	—
80.	मेक्सिको सिटि	8	—	—	—
81.	मोगंडोसू	5	—	—	—
82.	मुम्बासा	5	1	—	—
83.	मास्को	53	—	1	—
84.	मस्कट	9	1	—	—
85.	नैरोबी	19	2	1	—
86.	न्यूयार्क (पी०एम०आई०)	30	2	—	—
87.	न्यूयार्क (सी०जी०आई०)	13	1	—	—
88.	ओडेसा	4	1	—	—
89.	ओसलो	7	—	1	—
90.	ओटावा	14	1	—	—
91.	पनामा	3	—	—	—
92.	पेरोबीजी	3	—	—	—
93.	पेरिस	27	—	—	—
94.	पीकिंग	29	4	—	—
95.	फुन्टशोलिंग	3	—	—	—
96.	पोर्ट लुई	15	1	—	—
97.	पोर्ट आफ स्पैन	13	—	—	—
98.	पोर्ट सेईद	4	—	—	—
99.	प्राग	13	1	1	—
100.	पियोगंयांग	7	1	—	—
101.	रबात	13	1	—	—
102.	राज शाही	7	1	1	—
103.	रंगून	25	—	—	—
104.	रोम	16	—	—	—
105.	साना	6	1	—	—
106.	सहन-फ्रांससिस्को	7	—	—	—
107.	संत्यागा	7	2	—	—
108.	सियोल	6	—	—	—
109.	सिंगापुर	17	1	—	—
110.	सोफिया	12	3	—	—

1	2	3	4	5	6
111.	स्टाकहोम	12	—	—	—
112.	सूवा	8	—	—	—
113.	सिडनी	6	—	—	—
114.	तनानारिव	7	—	—	—
115.	तेहरान	35	2	—	—
116.	थिम्पू	17	—	—	—
117.	टोकियो	28	1	—	—
118.	टोरोन्टो	6	—	—	—
119.	त्रिपोली	13	—	—	—
120.	ट्यूनिस	8	—	—	—
121.	उलन बटोर	5	—	—	—
122.	वेनकोवर	7	1	—	—
123.	वियना	13	—	—	—
124.	वियेनतिपेन	7	—	—	—
125.	वारसा	14	—	—	—
126.	वाशिंगटन	90	6	—	—
127.	वेलिंग्टन	7	—	—	—
128.	जौहदान	4	—	—	—
129.	जन्जीबार	44	—	1	—
130.	ऐथेन्स	1	—	—	—

Telephone Exchange and Post Offices in Tribal Areas

†3150. **Shri S.S. Somani** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether a scheme has been formulated by Government regarding setting up of telephone exchanges and opening Post Offices in tribal areas particularly in tribal development blocks during the current year ; and

(b) if so, state-wise details in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) & (b) :

(i) **Telephone Exchanges** :

There is no specific scheme for opening of telephone exchanges in tribal areas to provide telephone connections to private parties. However, it is proposed to open Public Call Offices (PCOs) for general use of public, irrespective of revenue considerations at all block headquarters including tribal development blocks and all places with a population of 2,500 or more in hilly and backward areas including tribal areas. It is proposed to provide Public Call Offices at all these places during the next five years. As far as telephone exchanges are concerned, these are opened only when adequate demands are registered for a telephone exchange to become remunerative.

(ii) **Post Offices** :

As far as Post Offices are concerned, during the current financial year, 3100 new Post Offices were to be opened in rural areas (including backward, hilly and tribal areas). Out of these, 2030 Post Offices were opened between 1-4-77 and 31-12-77. 430 of these have been opened in tribal areas.

A statement indicating the State-wise distribution of post offices opened in the tribal areas is placed at Annexure-I.

Statement—I

Statement showing Post Offices opened from 1-4-77 to 31-12-77 in Tribal Areas.

	P.Os opened in tribal areas/tribal development blocks from 1-4-77 to 31-12-77	Existing in tribal areas on 31-12-77
1. Andhra	18	470
2. Bihar	12	1056
3. Delhi	..	..
4. Gujarat	12	918
5. Diu	..	..
6. Daman	..	7
7. D.N. Haveli	..	7
8. J & K	..	..
9. Kerala	1	12
10. Lakshadwip	..	..
11. Karnataka	..	309
12. Maharashtra	7	190
13. Goa	..	..
14. Madhya Pradesh	193	1355
15. N.F. Assam	37	377
16. Arunachal	6+2	16
17. Meghalaya	7	15
18. Mizoram	3	6
19. Manipur	8	12
20. Nagaland	5	10
21. Tripura	11	27
22. Punjab	..	..
23. Haryana	..	..
24. Himachal Pradesh	2	11+25
25. Chandigarh	..	..
26. Orissa	44	1732
27. Rajasthan	27	756
28. Pondicherry	1	24
29. Uttar Pradesh	..	93
30. West Bengal	34	..
31. Sikkim	..	..
32. Andaman Nicobar Islands	..	..
	430	..

Unemployed Harijans

3151. **Shri Ram Sagar** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) the upto-date number of unemployed Harijans registered with the various employment exchanges in the country ; and

(b) whether Government will set up relief camps for them because there is no possibility that they will ever get any employment ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindara Varma) : (a) Available information relates to the number of Scheduled Caste job-seekers on the Live Register of Employment Exchanges (all of whom are not necessarily unemployed) which was 12.08 lakhs at on 30th June, 1977.

(b) There is no proposal to set up any relief camps Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates are sponsored both for reserved and for unreserved vacancies. There is also a scheme of coaching-cum-guidance for Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidtes to equip them better for employment.

बीड़ी मजदूर कल्याण उपकर अधिनियम तथा बीड़ी मजदूर कल्याण निधि अधिनियम का प्रशासन तथा प्रवर्तन

3152. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीड़ी मजदूर कल्याण उपकर अधिनियम तथा बीड़ी मजदूर कल्याण निधि अधिनियम को लागू करने का काम केन्द्रीय सरकार को सौंप दिया गया है ;

(ख) इस व्यवस्था का आधार क्या है क्योंकि बीड़ी उद्योग में औद्योगिक संबंध बनाये रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गयी हैं;

(ग) क्या वे उद्योग, जिनके लिए अब तक मजदूर कल्याण निधियां गठित की गई हैं, केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में आते हैं, जबकि बीड़ी उद्योग राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार उक्त दो कानूनों का प्रशासन और प्रवर्तन राज्य सरकारों को सौंपने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के लिये यह अपेक्षित है कि वह संसद द्वारा पारित अधिनियमों को लागू करें । इसलिए बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि का प्रशासन भी केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा रहा है ।

(ग) कोयला, लोहा, अयस्क, चूना-पत्थर और डोलोमाइट तथा अभ्रक खानें, जिनके लिये कल्याण निधियां स्थापित की गई हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आती हैं । बीड़ी तथा सिगार कार्यक्रम (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है।

(घ) एक राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए एकत्रित उपकर राज्य सरकारों को कल्याण कार्यों की व्यवस्था करने के लिए हस्तांतरित किया जाना चाहिये। इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है ।

Increase in Salary of Class IV Employees (Postman, Etc.) in P. & T.

†3153. **Shri Ramji Lal Suman** : Will the Minister of **Communications** be plesed to state :

(a) whether there is any proposal to increase the Salary of Class IV employees (Postman, etc.) in the Department ; and

(b) if so, by what time ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) No.

(b) Does not arise.

भारत-बंगलादेश सम्बन्ध

3155. **श्री पूर्णो सिन्हा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा बंगलादेश की फरक्का जल संबंधी मांग को स्वीकार किये जाने और आगे ऐसी रियायतों का आश्वासन दिये जाने, जिनसे उस देश के लोगों की कठिनाइयां दूर हो सकेंगी, के परिणामस्वरूप भारत-बंगलादेश संबंधों में सुधार हुआ है और वे सामान्य हो गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सीमाओं के पार भारत और बंगलादेश के लोगों के आने जाने पर लगी रोक को समाप्त करने का है जैसा कि भारत और नेपाल और भारत और भूटान के बीच है ताकि दोनों देशों के लोगों के बीच संचार में सुधार होने से भारत-बंगलादेश के संबंध और घनिष्ठ हो सकें;

(ग) यदि नहीं, तो किसी भी सरकार द्वारा पारपत्र पद्धति को समाप्त करने में क्या बाधाएं हैं; और

(घ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बंगलादेश के अल्पसंख्यकों का भारत में आना निरन्तर जारी है, उनका विचार समान हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिये पाकिस्तान की भांति बंगलादेश भी जाने का है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों में पड़ोसियों के साथ अपने संबंध सुधारने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की भारत सरकार की नीति के अनुपालन में भारत सरकार ने बंगलादेश के साथ संबंध सुधारने के लिए अपनी ओर से कदम उठाये हैं । इसके परिणामस्वरूप दूसरी बातों के अलावा फरक्का पर गंगा के पानी के बंटवारे के बारे में और इसका प्रवाह बढ़ाने के बारे में एक करार सम्पन्न करना सम्भव हो सका है । यह करार परस्पर त्याग और सहिष्णुता के सिद्धांत पर आधारित है, एक पक्ष द्वारा एक पक्षीय ढंग से दूसरे पक्ष को दी गई रियायतों पर नहीं । दूसरे उपायों के साथ-साथ इस करार के कारण दोनों देशों के बीच संबंधों के वातावरण में सुधार आया है :

(ख) जी, नहीं

(ग) भारत और बंगलादेश के बीच एक विशेष पासपोर्ट और वीज़ा पद्धति चलती है । इस समय संबंधों का जैसा वातावरण और जो परिस्थिति है उसे देखते हुए इस पद्धति को समाप्त करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

(घ) विदेश मंत्री की बंगलादेश यात्रा का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बोलानगिर जिला मुख्यालयों के डाक अधीक्षक के कर्मचारियों के लिए आवास सुविधाएं

3156. **श्री एन्थू साहू :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोलानगिर (उड़ीसा) में जिला मुख्यालयों के डाक अधीक्षक के कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बोलानगिर जिले में डाक कर्मचारियों के लिए कुछ क्वार्टरों का निर्माण करने का है और निर्माण कार्य कब आरंभ होगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीनरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) जी हां आशा है कि क्वार्टरों के निर्माण का कार्य अगली योजना (1978-83) के मध्य तक आरंभ कर दिया जाएगा।

वर्ष 1976-77 के दौरान 'हाट रोल्ड' और 'कोल्ड रोल्ड' इस्पात चादरों का निर्यात

3157. **श्री लक्ष्मनलाल कपूर :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1978 तक 85,000 हाट रोल्ड/कोल्ड रोल्ड, इस्पात की चादरों का निर्यात किया गया है जबकि वर्ष 1976-77 के दौरान लगभग 3,000 टन का निर्यात किया गया;

(ख) क्या उक्त इस्पात का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में देश के बाजार में विद्यमान मूल्य की तुलना में लगभग 350 रुपये प्रति टन कम था;

(ग) यदि हां, तो आयात-निर्यात करने वाली फर्मों के नाम क्या हैं और कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ;

(घ) क्या इस्पात के उक्त पद के निर्यात का निर्णय इस्पात मंत्रालय में एस० ए० आई० एल० इंटरनेशनल की सलाह के विरुद्ध किया था, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) वर्ष 1978-79 के दौरान इस्पात मंत्रालय का इस पद के निर्यात का लक्ष्य क्या है और उक्त लक्ष्य निर्धारित करने का क्या औचित्य है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) अप्रैल, 1977 से जनवरी, 1978 के दौरान 78,238 टन गर्म वेलित क्वायलों का निर्यात किया गया था । इस अवधि में 9,864 टन ठंडी वेलित चादरों का निर्यात किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं । यह मंत्रालय सेल इन्टरनेशनल लिमिटेड के वाणिज्यिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है।

(ङ) अभी तक इस मद के लिये वर्ष 1978-79 के लिये निर्यात के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

गया जिले (बिहार) में जहानाबाद में डाक-तार विभाग का कार्यालय भवन

3158. **श्री एच० एल० पी० सिन्हा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया जिले (बिहार) में जहानाबाद में डाक-तार विभाग का अपना कार्यालय भवन है;

(ख) क्या उसकी मरम्मत करने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या डाकघर किराये के भवन में कार्य कर रहा है यद्यपि इसका वहां अपना भवन है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख), (ग) और (घ) यह इमारत अनुपयोगी घोषित कर दी गई है । इसके स्थान पर एक नई इमारत बनाने का प्रस्ताव है । यही कारण है कि मौजूदा इमारत खाली कर दी गई है । इस इमारत में मरम्मत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इसलिये, डाकघर किराए की एक इमारत में काम कर रहा है।

पीड़ित किये गये पत्रकार

3159. **श्री एडुआर्ड़ों फैलीरो** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत नौ महीनों में कितने पत्रकारों को पीड़ित किया गया अथवा उनकी नौकरियां समाप्त की गई;

(ख) उनके नाम और पदनाम क्या थे; और

(ग) उनके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) यह मामला वस्तुतः राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है और इसे उपयुक्त कार्रवाई के लिये राज्य सरकारों / संघ शासित राज्यों के ध्यान में लाया गया है । जहां तक औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन राहत के प्रश्न का संबंध है, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले असंतुष्ट पत्रकार संबंधित राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं और अपने-अपने राज्य औद्योगिक संबंध तंत्र के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं।

ईंटों के भट्टों के श्रमिकों द्वारा धरना और उनका गिरफ्तार किया जाना

3160. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद** :
डा० वसन्त कुमार पंडित :

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समाचार-पत्रों के प्रकाशित समाचारों के अनुसार 20 फरवरी, 1978 को ईंटों के भट्ठों के श्रमिकों ने अपनी मांगों के समर्थन में श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली के सामने धरना दिया था और ईंटों के भट्ठों के 2000 श्रमिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और क्या सरकार का विचार उनकी मांगों पर विचार करने का है और यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) यह मामला वस्तुतः राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । दिल्ली प्रशासन, जो इस मामले में समुचित सरकार है, द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार भट्टा-श्रमिक मजदूरी-दरों में वृद्धि से संबंधित अपनी मुख्य मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे । दिल्ली प्रशासन ने 21 फरवरी, 1978 को एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति नियुक्त की है, ताकि वह दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के "भट्टा उद्योग" में रोजगार के संबंध में न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करने के प्रश्न पर प्रशासन को सलाह दे सके । पता चला है कि न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति की सिफारिशों की प्रत्याशा में दक्षिणी दिल्ली के कुछ नियोजकों ने 7 मार्च, 1978 को हुए एक समझौते के द्वारा दक्षिणी दिल्ली के भट्टों के कुछ श्रेणियों के श्रमिकों की मजदूरी दरों में वृद्धि करना स्वीकार किया है ।

सरकार द्वारा सक्रैप आई बी० एम० मशीनें खरीदने का प्रस्ताव

3161. **श्री के० ए० राजन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड स्टाफ यूनियन, बम्बई से दिनांक 18 फरवरी, 1978 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उन सक्रैप आई० बी० एम० मशीनों को खरीदने का विरोध

किया गया है जो भारत सरकार के सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीज, एम्पलार्ज प्रोविडेंट फंड आर्गनाइजेशन द्वारा बम्बई स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय, में लगाई गई थी;

(ख) क्या सरकार को पता है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय ने वर्ष 1964 से किराये तथा रख-रखाव के रूप पहले ही 74,46,861 रुपये का भुगतान कर दिया हुआ है जो वास्तविक मूल्य से अधिक है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि प्रतिष्ठान के लिये यह व्यवहार्य और लाभप्रद नहीं पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार आई० बी० एम० मशीनों को खरीदने का विचार छोड़ देगी ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) आई० बी० एम० मशीनों के किराये तथा रख-रखाव के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि का हिसाब लगाया जा रहा है।

(ग) ये मशीनें क्षेत्रीय कार्यालय, महाराष्ट्र, बम्बई में हिसाब-किताब रखने में लाभप्रद साबित हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

National Trust for Cancer, Heart and Kidney Diseases

3162. **Shri Aghan Singh Thakur:** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether a national trust has been created for treatment of Cancer, Heart ailments and Kidney diseases ; and

(b) if so, the details in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) No. But a private Lok Chikitsa Trust has recently been set up.

(b) Prime Minister, Shri Morarji Desai is the Chairman of the Lok Chikitsa Trust and the other members are :

(i) Shri Charan Singh, Minister for Home Affairs ;

(ii) Shri Raj Narain, Minister of Health and Family Welfare ;

(iii) Shri Ravi Ray, Member of Parliament ; and

(iv) Shri Jagdish Gupta.

This Trust would provide assistance to the poor to get treatment in diseases like cardiac disorders, kidney troubles and cancer to start with.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कार्यालय के लिये किराये पर उपयुक्त आवास दिया जाना

3163. **श्री मनोहर लाल** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जो एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है, राजधानी में अपने दो कार्यालयों के लिये, जिसमें केवल 400 कर्मचारी हैं, प्रति वर्ष दस लाख रुपये से अधिक राशि का बहुत भारी किराया दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार श्रमिकों की धनराशि बचाने के लिये इस संगठन को उचित किराये पर आवास क्यों नहीं देती है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) जी नहीं । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दिल्ली में अपने केन्द्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए किराए पर लिए गए भवनों के लिए, 9,80,647 रु० की राशि प्रति वर्ष अदा की जा रही है ।

(ख) संगठन यह चाहता है कि उसका अपना आवास-स्थान हो और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त प्लाट के आबंटन हेतु निर्माण और आवास मंत्रालय के साथ प्रयास किये जा रहे हैं।

Foreign Minister's Visit to Pakistan

†3164. **Shri Bharat Bhushan** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether further talks are likely to be held in the near future on the matters on which talks were held during his recent visit to Pakistan for increasing mutual cooperation and friendship between India and Pakistan ; and

(b) if so, when and where this meeting is likely to take place and the main issues to be discussed therein ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu) : (a) & (b) The visit of the Minister of External Affairs to Pakistan from February 6 to 8, 1978, was essentially a goodwill visit, with no specific issues set down for discussion. However, following this visit, the Adviser on Foreign Affairs, Government of Pakistan is expected to visit New Delhi in April when discussions on the Salal Dam Project will be resumed and views on other matters of bilateral interest are likely to be exchanged.

During the visit of the Minister of External Affairs to Pakistan, it was also agreed that steps should be taken to review the Trade Agreement of 1975. Details regarding the dates and venue of the meeting are being worked out.

Unemployment Allowances to Weaker Section

3165. **Shri Ram Kishan** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to give unemployment allowance to persons belonging to economically weaker sections out of those registered with Employment Exchanges ; and

(b) if so, when this proposal will be implemented ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) There is no proposal to give any unemployment allowance to persons belonging to economically weaker sections out of those registered with Employment Exchanges.

(b) Does not arise.

Unemployed Matriculates, Graduates, Engineers and Doctors Etc.

3166. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) the total number of unemployed matriculates, intermediates graduates, M.As, M.Scs, M. Coms, engineers, doctors and agriculture graduates registered with the employment exchanges at present separately and the annual increase in their number ;

(b) the annual average number of persons provided with employment by Government ; and

(c) the total number of educated and uneducated persons proposed to be provided with employment during the current financial year ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) & (b) The available information is given in the statement attached.

(c) During the current financial year, the number of educated and uneducated persons likely to be provided with employment would depend upon the employment opportunities created during the period and the vacancies notified to the Employment Exchanges. In the next Plan which will have a high employment content, substantial employment opportunities are expected to be created for both educated and uneducated persons.

STATEMENT

Sl. No.	Educational level	No. on Live Register as on 30-6-1977 (000's)	Percentage increase during last one year	No. placed in employment during July, 1976 to June 1977 (000's)
1.	Matriculates	2971.9	9.0	92.4
2.	Higher Secondary (including Intermediates/ undergraduates)	1325.9	6.1	39.7
3.	Graduates—Total	993.8	12.6	45.3
4.	Post-graduates—Arts	57.0	35.3	2.1
5.	Post-graduates—Science	24.1	17.0	1.1
6.	Post-graduates—Commerce	10.4	39.9	0.4
7.	Engineers (Graduates & Post-graduates)	19.6	16.2	2.4
8.	Medicine (Graduates & Post-graduates)	9.1	14.6	1.1
9.	Graduates in Agriculture	9.3	20.8	1.3

Note :—Graduates in Engineering, Medicine and Agriculture are included in 'Graduates—Total' also.

नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का उत्पादन

3167. **श्री के० मालअा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से सितम्बर, 1977 तक की अवधि में नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में कितने मूल्य का कुल कितने टन उत्पादन हुआ ;

(ख) इस कम्पनी के निदेशकों के नाम क्या हैं और वे किन-किन संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं ;

(ग) क्या इस कम्पनी का स्क्रैप माल सार्वजनिक नीलामी के द्वारा बेचा जाता है या किसी अन्य तरीके से; और

(घ) क्या इसके उत्पादों के मूल्य-निर्धारण की पद्धति के बारे में कोई जाँच की गई है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) कुछ नहीं क्योंकि यह कारखाना 15-5-1976 से बन्द पड़ा है ।

(ख) इस समय इस कम्पनी का निदेशक-मण्डल इस प्रकार है :--

1. श्री ए०सी० बोस--इण्डस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा मनोनीत

2. श्री एस०के० लाहिरी तदैव

3. श्री आर०पी० अग्रवाल--उद्यमी ग्रुप द्वारा मनोनीत

4. श्री जी०डी० अग्रवाल तदैव

(ग) सामान्यत: इस कंम्पनी का स्क्रैप देश में उत्पादन के लिए मूल कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा ह ।

(घ) पता चला है कि कम्पनी ने मूल्यन प्रणाली का अध्ययन करने के लिये सन् 1974 में लागत लेखाकारों की एक फर्म से कहा था । फर्म की रिपोर्ट में बताया गया है कि कम्पनी की, कठिनाइयों के मूल कारण हैं--उत्पादन का निम्न स्तर, मैलटिंग शाप में क्षमता का कम उपयोग बिलेट खरीदने के लिये धन की कमी, नियत लागत का अधिक होना, आदि-आदि।

धनबाद के तीन औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पास लम्बित औद्योगिक विवाद

3168. **श्री ए० के० राय** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद के औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पास कितने औद्योगिक विवाद लम्बित पड़े हैं, कितने वर्षों से लम्बित हैं और वर्ष 1977 में इन न्यायाधिकरणों ने कितने दिन कार्य किया जब इनकी अध्यक्षता न्यायाधीशों ने की ;

(ख) क्या अधिकांश समय इन न्यायाधिकरणों में कोई न्यायाधीश नहीं रहा तथा कितने मामले जमा हुए जिसके फलस्वरूप उनके निपटारे में विलम्ब के कारण श्रमिकों के कष्ट बढ़े ; और

(ग) यदि हाँ, तो धनबाद कोयला क्षेत्र में औद्योगिक विवादों के तेजी से निपटारे के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) धनबाद के औद्योगिक न्यायाधिकरणों में लम्बित पड़े औद्योगिक विवादों की वर्षानुसार संख्या अनुबन्ध में दिये गये विवरण में दी गई है। वर्ष 1977 के दौरान, धनबाद स्थित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या 1, 21 नवम्बर, 1977 तक कार्य करता रहा किन्तु इसके बाद पीठासीन अधिकारी की मृत्यु के कारण इसमें कार्य नहीं हुआ । केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय संख्या 2 में 1977 के दौरान कार्य नहीं हुआ । औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या 3 में सारा वर्ष कार्य होता रहा ।

(ख) और (ग) चूंकि केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय संख्या 2 वर्ष 1977 के दौरान बिना पीठासीन अधिकारी के रहा, इसलिये लम्बित मामले केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय संख्या 1 और 3 को हस्तान्तरित कर दिये गये थे ताकि मामलों को निपटाने में देरी के कारण कर्मकारों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय, जबलपुर के पीठासीन अधिकारी को भी धनबाद के न्यायालय में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय संख्या 1 के लम्बित मामलों को निपटाने के भी निर्देश दिये गये हैं ।

विवरण

धनबाद के विभिन्न केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-एवं-श्रम न्यायालयों में लम्बित औद्योगिक विवादों की संख्या तथा लम्बन अवधि को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय संख्या-1		केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय संख्या-2		केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय संख्या-3	
	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-10 के अधीन मामले	आवेदन पत्र	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-10 के अधीन मामले	आवेदन पत्र	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-10 के अधीन मामले	आवेदन पत्र
1	2	3	4	5	6	7
1974	--	1	--	8	--	6
1975	6	--	--	32	1	7
1976	1	4	--	31	7	15
1977	67	4	2	--	58	52
1978	3	--	1	4	23	9
जोड़	77	9	3	75	89	89

विदेशों में मैंगनीज अयस्क की मांग

3169. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक परिष्कृत मेंगनीज अयस्क की माँग विदेशों में बढ़ी है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या परिष्कृत मेंगनीज अयस्क की बढ़ती हुई माँग का उपयोग करने के लिये देश में परिष्करण सुविधाओं का विकास करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय परिष्कृत मेंगनीज अयस्क से है । निर्यात बाजार में परिष्कृत मेंगनीज अयस्क की माँग में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

कुवैत द्वारा इस्पात उद्योग में पूंजी-निवेश

3170. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या कुवैत ने भारत में इस्पात उद्योग में पूंजी निवेश करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुनपुर को टेलीफोन द्वारा विसम-कटक से जोड़ना

3171. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सर्किल के महानिदेशक टैलीफोन ने गुनपुर सब-डिविजनल मुख्य कार्यालय को उड़ीसा के कोरापुट जिले के विसम-कटक तहसील मुख्य कार्यालय से जोड़ने का कोई प्रस्ताव किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो यह निर्णय कब किया गया था और विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस कार्यान्वित न किये गये प्रस्ताव को चालू वर्ष में सम्मिलित किया जायेगा; और

(घ) विभाग ने प्राथमिकता निर्धारित करने के लिये क्या आधार अपनाया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) से (घ) जी हाँ। 1971–72 में ऐसा प्रस्ताव था कि विसम-कटक को गुनपुर से जोड़ दिया जाये । उक्त मार्ग के सर्वेक्षण से पता चला है कि बिजली की लाइन समानान्तर बिछी हुई है, जिसकी वजह से दोनों स्थानों को जोड़ना संभव नहीं है । इसलिये इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया ।

Complaint from Lalpur Grain Merchants Association, Gujarat for Improving Telephone Service

*3172. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Lalpur Grain Merchants Association, Lalpur in Jamnagar District of Gujarat has sent a representation containing complaints about telephone service and if so, when and the details of the complaints contained therein;

(b) the action taken and now proposed to be taken by Government on these complaints and when the remaining complaints are likely to be removed it and how;

(c) whether any officer of the Telephone Department of Jamnagar Division paid a visit to Lalpur City in connection with these complaints and if so, when and the name of this officer, the assurances given by him, the action taken and promised to be taken thereon; and

(d) whether the Lalpur Grain Merchants Association, Lalpur has given any notice to the Telephone Department in January, 1978 to return all the telephones if telephone service is not improved and if so, the action taken or proposed to be taken in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) Yes Sir. A complaint dated 28-12-77 from the Lalpur Grain Merchant Association was received containing the following points :—

(i) Poor working at Lalpur with a demand for a powerful battery set;

(ii) Unsatisfactory working of trunk line between Lalpur and Jamnagar;

(iii) Complaint against local staff not attending to the complaints properly; and

(iv) Request for direct dialling circuit from Lalpur to Jamnagar.

(b) Following actions have been taken :

(i) A battery set with a standby engine alternator has been installed at Lalpur. This has improved the working of the exchange.

(ii) Copper wires on existing junction are subject to frequent copper wire thefts. These are proposed to be replaced by ACSR wires. One additional junction line from Lalpur to Jamnagar has also been proposed. These works will be carried out after receipt of stores.

(iii) Staff concerned have been suitably instructed to be more prompt in attending to their duties.

(iv) The present low traffic between the two places does not justify direct dialling between Lalpur and Jamnagar.

(c) Divisional Engineer Telegraphs Jamnagar, Shri A.S. Kulshreshtha paid a visit to Lalpur city on 5-1-78 in connection with this complaint. Information regarding action taken and promise is given above under para (b).

(d) Yes, Sir. Grain Merchant Association had given a notice on 28-12-77 stating that they would return all the telephones if telecom. service is not improved. On Divisional Engineer Telegraphs Jamnagar's visit and assurance given by him the notice was withdrawn on 14-1-78.

श्रमिक संघर्ष समिति, भिलाई नगर द्वारा ज्ञापन

3173. **श्री रोबिन सेन** : क्या, **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी०एस०पी० भिलाई में भ्रष्टाचार पक्षपात आदि के बारे में श्रमिक संघर्ष समिति, भिलाई नगर से दिनांक 30-1-1978 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या उपरोक्त ज्ञापन में उल्लिखित आरोपों की कोई जाँच कराने का मंत्रालय का विचार है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : ज्ञापन में दर्ज मामलों की जांच की जा रही है।

मिश्र इस्पात और विशेष इस्पात उद्योग के प्रतिनिधियों के कार्यकारी दल की स्थापना

3174. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मिश्र इस्पात और विशेष इस्पात उद्योग के प्रतिनिधियों और प्रयोक्ताओं के कर्मचारी दल का गठन करने का विचार है जिससे वह मांग और उपलब्धता की स्थिति का अध्ययन कर सके और मांग एवं उपलब्धता के बीच अन्तर समाप्त करने के लिए ठोस उपायों की सिफारिश कर सके; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) अलाय स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा 17 फरवरी, 1978 को मद्रास में आयोजित एक विचार-गोष्ठी में एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यह सुझाव रखा था कि औजारी, मिश्र और विशेष इस्पात की मांग और उपलब्धि का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिये एक कार्यकारी दल का गठन किया जाये । यह सुझाव मान लिया गया है और कार्यकारी दल के गठन पर विचार किया जा रहा है।

Booklet on Auto-Urine Therapy

3175. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to bring out a booklet on auto-urine therapy; and

(b) if so, by what time and how this booklet will be made available to the people ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) There is no proposal to bring out a booklet on auto-urine therapy at present.

(b) Question does not arise.

न्यायाधिकरण के पंचाट को क्रियान्वित करने में बिहार कोलियरीज कामगर यूनियन के साथ भेदभाव

3176. **श्री ए० के० राय** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान न्यायाधिकरण के पंचाट को क्रियान्वित करने के मामले में बिहार कोलीयरीज कामगर यूनियन (सी०आई०टी०यू०) के साथ कोयला क्षेत्र के अन्य संघों की तुलना में भेदभाव किया गया है तथा उसके अधिकांश पंचाटों के विरुद्ध श्रम विभाग की अनुमति से तथा उन्हें सीधे क्रियान्वित किये बिना उच्च न्यायालयों में अपील की गई और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या जनता सरकार की नीति लम्बी मुकदमे बाजी को प्रोत्साहित न करते हुए औद्योगिक विवादों को शीघ्र निपटाने की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय आपात स्थिति के समय में किये गये इन निर्णयों पर पुनः विचार करेगा तथा राष्ट्रीयकृत कोयला-खानों के प्रबन्धकों के पंचाट को क्रियान्वित करने की सलाह देगा ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) श्रम विवादों के बारे में सरकार की नीति जहां तक संभव हो मुकदमेबाजी को टालने की है और इस प्रयोजन के लिये न्यायाधिकरण के पंचाटों आदि के विरुद्ध सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा अपील दायर करने हेतु एक मशीनिंग प्रक्रिया निर्धारित की गई है । अतः न्यायाधिकरण आदि के पंचाटों के विरुद्ध रिट याचिका दायर करने की अनुमति सम्बन्धित प्रबन्धकों को सन्निहित प्रश्नों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद और उक्त प्रक्रिया के अनुसार ही दी जाती है। प्रत्येक मामले पर विचार इसके गुण-दोषों के आधार पर किया जाता है और विभिन्न यूनियनों, जिन्होंने विवादों को निर्देशित किया हो, के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है ।

(ग) जब कभी कोई विशिष्ट मामला पुनरीक्षा के लिये सरकार के ध्यान में लाया जाता है, इस पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है ।

क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, बम्बई में प्राप्त पारपत्र आवेदन-पत्रों की संख्या

3177. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय बम्बई में गत तीन महीनों के दौरान कितने पारपत्र आवेदनपत्र प्राप्त हुए;

(ख) उनमें से कितने आवेदनपत्र अभी अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) और (ख) 1 दिसम्बर, 1977 से 28 फरवरी, 1978 तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बम्बई में पासपोर्ट के लिये 54,101 आवेदन

प्राप्त हुए । उसी अवधि में 48,000 पासपार्ट जारी किये गये तथा शेष 6,000 आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है ।

(ग) चुंकि पासपार्ट जारी करने की प्रक्रिया में औसतन लगभग चार सप्ताह लगते हैं, इसलिये इन 6000 पासपोर्टों को इस महीने के अन्त तक निपटाया जा सकेगा।

महाराष्ट्र के थाना जिले में टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन

3178. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के थाना जिले के लिए टेलीफ़ोन सलाहकार समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो कब और समिति के सदस्यों के नाम और पते क्या हैं;

(ग) यदि उक्त समिति का अभी तक गठन नहीं किया गया हो तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे अब कब गठित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं। हर एक टेलीफ़ोन जिले के लिए एक और हर एक राज्य और संघ शासित क्षेत्र के लिए एक टेलीफ़ोन सलाहकार समिति गठित की जाती है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र के थाना जिले में कल्याण शाहापुर उल्हासनगर से प्राप्त शिकायत

3179. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के थाना जिले में कल्याण शाहापुर, उल्हास नगर के टेलीफोन एक्सचेंजों के प्रभारी अधिकारी को गलत बिल तैयार करने, आपरेटरों के असभ्यता पूर्ण व्यवहार और टेलीफ़ोनों का काम न करने, अधिकारियों द्वारा कोई उत्तर न देने आदि के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उक्त शिकायतों के बारे में क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या शिकायतकर्ताओं को कार्यवाही के बारे में लिखित रूप से जानकारी दी गई है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान कल्याण, उल्हासपुर, शाहापुर के संबंध में क्रमशः 217, 360 और 10 शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(ख) इन शिकायतों की जांच की गई है और जहां कहीं आवश्यक समझा गया तत्काल उपचारनात्मक कार्यवाई की गई है ।

(ग) शिकायतों के उचित उत्तर दे दिए गए हैं।

देश में टेलेक्स केन्द्र

3180 **श्री अहमद हुसैन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने टेलेक्स केन्द्र और टेलेक्स पब्लिक काल आफिस कार्यरत हैं और टेलेक्स कनेक्शनों और टेलेक्स अटेचमेंट के लिये कितने आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं ;

(ख) प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा की जाने वाली हैं;

(ग) अटेचमेंट के लिए प्रतीक्षा सूची बनने के क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1978 में कितने टेलेक्स कनेक्शन दिये जाने का प्रस्ताव है ।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) तारीख 1-1-1978 को

(i) टेलेक्स एक्सचेंजों की संख्या	98
(ii) चालू कनेक्शनों की संख्या	14184
(iii) टेलेक्स पी० सी० ओ० की संख्या	32
(iv) टेलेक्स कनेक्शनों के लिए आवेदकों की प्रतीक्षा सूची	1125
(v) टेलेक्स अटेचमेंट के लिए आवेदकों की प्रतीक्षा-सूची	2604

(ख) (i) जिन मामलों में आवश्यक होता है, एक्सचेंज की क्षमता बढ़ा दी जाती है ।

(ii) प्रतीक्षा सूची कम करने के लिए अतिरिक्त टेलीप्रिंटर मशीनें और अटेचमेंट प्राप्त किए जा रहे हैं।

(ग) टेलेक्स उपभोक्ताओं द्वारा विदेशों को डायल करने की सुविधा चालू हो जाने के वजह से इनकी मांग काफ़ी बढ़ गई है और जो सप्लाई मिल रही है उससे अटेचमेंट की बढ़ी हुई मांग पूरी नहीं हो पा रही है ।

(घ) आशा है कि वर्ष 1978 के दौरान लगभग 1200 टेलेक्स कनेक्शन दे दिए जाएंगे ।

भारतीय दूतावासों द्वारा किराये के रूप में दी जा रही राशि

3181. **श्री वयालार रवि** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न देशों में अपने दूतावासों के लिए भवनों के किराए के रूप में सरकार कितनी धन राशि (विदेशी मुद्रा में) का भुगतान कर रही है ;

(ख) क्या सरकार की विदेशों में अपने भवन बनाने की कोई योजनायें हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क) विदेश स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों के लिए किराए पर लिए गए कार्यालयों और रिहायशी मकानों पर 1 मार्च, 1977 की स्थिति के अनुसार 577.08 लाख रुपये वार्षिक किराए का भुगतान किया गया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खनिज में लद्दाख और कारगिल के क्षेत्रों की सम्पन्नता

3182. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख और कारगिल के क्षेत्र तांबा, क्रोमाइट, गंधक, चूना पत्थर, बोरैक्स, सोडा तथा स्वर्ण धूल जैसी खनिज सम्पदाओं से सम्पन्न है ;

(ख) क्या इन खनिजों के बारे में कोई व्यापक सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) इन खनिजों को वाणिज्यिक रूप में निकालने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अब तक किए गए खोज कार्यों के फ़लस्वरुप लद्दाख और कारगिल क्षेत्र में लगभग 210,700 टन क्रूडसल्फ़र, लगभग 5,400 टन बोरेक्स, लगभग 6,60,00 टन सोडियम साल्ट और लगभग 525,000 टन चूना पत्थर होने तथा कुछ मात्रा में तांबा, क्रोमाइट और स्वर्ण धूल के संकेत मिले हैं ।

(ख) भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण एक लगातार चलने वाला कार्य है । भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा क्षेत्रगत सत्र 1977-78 के दौरान लद्दाख और कारगिल में खनिज खोज कार्य करने का विचार है।

(ग) इन खनिजों की वाणिज्यिक स्तर पर खुदाई के बारे में सोचना अभी जल्दबाजी होगी।

मोमियाई का संवर्धन

3183. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि लद्दाख में 'मोमियाई' नामक एक प्राकृतिक औषधि मिलती है जो दिन की अत्यन्त गरमी के कारण पत्थरों में से टपकती हैं तथा शक्ति, जीवन शक्ति एवं बल के गुणों से मुक्त है ;

(ख) क्या इस मार की भारत तथा भारत से बाहर बहुत अधिक मांग है ;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के लोगों के लिए मोमियाई की उपलब्धता बढ़ाने और उसके निर्यात का संवर्धन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 'मोमियाई' एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जो शिलाजीत से मिलता जुलता है और अरब और फ़ारस के पहाड़ों पर मिलता है। तथापि लद्दाख में इसके मिलने के बारे में कोई जानकारी नहीं है । सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) 'मोमियाई' की मांग यूनानी दवाओं के निर्माता तो करते हैं लेकिन भारत से बाहर भी 'मोमियाई' की कोई मांग है, यह मालूम नहीं है।

(ग) और (घ) 'मोमियाई' भारत में नहीं मिलता । इसे बाहर से आयात किया जाता है। इसलिए इसके निर्यात को बढ़ावा देने का प्रश्न नहीं उठता ।

टेलीफोन कनेक्शनों की मांग कर रहे व्यक्तियों की प्रतिशतता का विश्लेषण

3184. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफ़ोन कनेक्शनों की मांग कर रहे और प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या कितनी है और 10 वर्ष से अधिक अवधि, 8 से 10 वर्ष, 7 से 8 वर्ष, 4 से 6 वर्ष, 2 से 4 वर्ष और 2 वर्ष से कम अवधि से प्रतीक्षा कर रहे व्यक्तियों की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों ने ओ-वाई-टी योजना के अन्तर्गत धनराशि जमा कराई है और उनका प्रतीक्षा सूची में नाम दर्ज किया गया है ;

(ग) किन कारणों से विभाग तुरन्त सेवा उपलब्ध नहीं कर सका है; और

(घ) क्या प्रतीक्षा सूचियों का निपटान करने के लिए कोई लक्ष्य, तिथि और कार्य की समय सूची निर्धारित की गई है और उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) 31-1-78 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज उन आवेदकों की संख्या निम्नलिखित है जिन्होंने पेशगी धनराशि जमा करा दी है :—

ओ-वाई-टी	33,751
गैर ओ-वाई-टी	1,66,099
योग :	1,99,850

10 वर्षों से अधिक, 8 से 10 वर्ष आदि की अवधि से प्रतीक्षा कर रहे आवेदकों का प्रतिशत कितना-कितना है इसके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) धन और सामग्री दोनों के साधन सीमित होने के कारण सभी स्थानों की मांगें तत्काल पूरी करना संभव नहीं है । जो भी साधन उपलब्ध हैं, उनके अंतर्गत छोटे स्थानों की मांगें पूरी करने के लिए अतिप्राथमिकता दी जाती है । इसका परिणाम यह हुआ है कि बड़े शहरों में मांगें काफ़ी बकाया पड़ गई हैं । सिवाय कुछ मामलों के, जो छोटे स्थानों में लम्बी दूरी के कनेक्शनों से संबंधित हैं, अधिकांश बकाया मांगें बड़े शहरों से संबंधित हैं ।

(घ) बड़े शहरों के कुछ भागों और छोटे स्थानों में लम्बी दूरी के कनेक्शनों को छोड़कर, आशा है कि इस समय प्रतीक्षा सूची में दर्ज अधिकांश आवेदकों को 1-4-1980 तक टेलीफ़ोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे।

भारत और मंगोलिया के बीच समझौता

3185. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में भारत और मंगोलिया के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी हां ।

(ख) 6 से 10 फ़रवरी, 1978 के बीच मंगोलियाई विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान दो करार सम्पन्न हुए थे । इनमें से एक दोनों देशों के बीच व्यापार के संबंध में 1968 में सम्पन्न और आवधिक रूप से स्वीकृत करार की जगह किया गया था । भविष्य में भारत और मंगोलियाई लोक गण-राज्य के बीच व्यापार मुक्त विदेशी मुद्रा के आधार पर किया जाएगा ।

दूसरे करार में दोनों देशों के बीच विज्ञान, प्रोद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्रों में आदान-प्रदान की व्यवस्था है । इस करार के अन्तर्गत वर्ष 1978—80 के लिए इस प्रकार के आदान-प्रदान के एक ठोस कार्यक्रम पर भी उलान-बटोर में फ़रवरी के अन्त में हमारे राजदूत द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे ।

Aluminium produced by Bharat Aluminium during last three years

3186. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the quantity of aluminium, in tonnes likely to be produced by Bharat Aluminium Company Ltd., during 1977-78; and

(b) whether any scheme has been formulated or is under consideration with a view to increase the production and if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Steet & Mines (Shri Karia Munda) : (a) 32,000 tonnes.

(b) The second phase of 25,000 tonnes per annum has been commissioned towards the end of 1977, taking the present capacity of BALCO to 50,000 tonnes per annum. The third phase (25,000 tpa) is ready since December, 1977 and is likely to be commissioned during June, 1978 when power is likely to be made available by Madhya Pradesh Electricity Board. The fourth and final phase (25,000 tpa) will be ready by August, 1978 and is scheduled for commissioning during the last quarter of 1978 when the required power is expected to be made available by MPEB.

मेंगानीज ओर इण्डिया लिमिटेड में श्रमिकों को कम मजूरी दिया जाना और मजूरी बोर्ड का स्थापित किया जाना

3187. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मेंगानीज ओर इंडिया लिमिटेड में नियुक्त श्रमिकों को लोहा, डोलोमाइट, चूनापत्थर आदि जैसे अन्य खनिजों संबंधी काम करने वाले श्रमिकों की तुलना में बहुत कम मजूरी मिलती है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मजूरी बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या खनिजों संबंधी काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिये समान मजूरी आदि का सुझाव देने हेतु एक मजूरी बोर्ड स्थापित करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) मेंगानीज ओर इंडिया लिमिटेड में श्रमिकों को दी जानेवाली मजदूरी-दरें न्यूनतम अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी-दरों के अनुसार हैं । तथापि, ये मजदूरी-दरें इस्पात और सीमेंट उद्योगों की कैप्टिव लोहा अयस्क और चूना पत्थर खानों में व्याप्त मजदूरी-दरों से कम हैं, जहां मजदूरी-दरें द्विपक्षीय समझौतों द्वारा नियमित की जाती हैं।

(ख) और (ग) सरकार मजदूरी-दरों, आमदनी तथा कीमतों संबंधी एक समेकित नीति बनाते समय सम्पूर्ण प्रश्न की पुनरीक्षा करेगी ।

बीड़ी उद्योग में ठेका पद्धति समाप्त करना

3188. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि बीड़ी उद्योग से संबंधित उद्योगपति ठेका श्रम पद्धति से काम करवा रहे हैं और इस प्रकार श्रमिकों को उचित मजूरी, बोनस, उपदान, आदि से वंचित कर रहे हैं ;

(ख) क्या बीड़ी उद्योग में ठेका पद्धति समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस ठेका श्रम पद्धति को समाप्त करने के लिये मध्य प्रदेश में श्रमिकों तथा अन्य व्यक्तियों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) यह मामला वस्तुतः राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है और बीड़ी उद्योग के संबंध में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम के अधीन "समुचित सरकार" संबंधित राज्य सरकार हैं ।

(ग) संभवतः आशय महामंत्री मध्य प्रदेश राज्य ट्रेड यूनियन कांग्रेस के तारीख नवम्बर, 1977 के अभ्यावेदन से है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बीड़ी उद्योग में ठेका श्रम प्रणाली के उन्मूलन का सुझाव दिया गया है । इस अभ्यावेदन को ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम के अधीन आवश्यक कार्रवाई के लिये मध्य प्रदेश सरकार के ध्यान में लाया गया है ।

Detention of Indians in China

3189. **Shri Yagya Datt Sharma :**

Shri Subhash Ahuja :

Dr. Laxminarayan Pandeya :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Indians are still under detention in China; and

(b) if so, the number thereof and the details of efforts made for their release.

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu) : (a) & (b) While Government have no information regarding the precise number of Indians who may be held in detention in China, the Indian Embassy in Peking has exercised consular access in the case of those few who were in the detention and who have subsequently been released by Chinese authorities.

P.F. to be deposited by Textile Mills M.P.

3190. **Shri Hukam Chand Kachwai** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) the annual amount of Provident Fund yet to be deposited at present by seven textile mills running under the control of Madhya Pradesh Textile Industry Corporation and the number of years to which this amount of arrears pertains;

(b) the amount of Provident Fund outstanding against each of the owners of these mills before they came under the control of this Corporation and who will deposit this amount at present; and

(c) the time by which the amount of provident fund will be deposited by the Corporation and former owners of these mills and the amount in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Labour & Parliamentary Affairs (Dr. Ram Kirpal Sinha) : (a) and (b) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. L.T.-1826/78]**

(c) Claims for the entire amount due have been filed with the Claims Commissioner appointed under the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974.

गुजरात राज्य को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सहायता

3191. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में गुजरात की राजधानी गांधीनगर का दौरा किया था और वहां पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एवं अन्य अधिकारियों के साथ ग्राम्य स्वास्थ्य सेवाओं के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिक संख्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने के लिये अधिक केन्द्रीय सहायता की मांग की है ; और यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) केन्द्र सरकार की समवद्ध राज्य सरकार के उक्त प्रस्तावों के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 4 जनवरी, 1978 को अहमदाबाद गये थे न कि गांधीनगर । वहां उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य सेवा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशक और आयुर्वेद निदेशक के साथ स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा संबंधी विभिन्न समस्याओं/प्रस्तावों के बारे में एक बैठक की थी ।

(ख) और (ग) इस विचार-विमर्श में युनिसेफ़ वाहनों को बदलने, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का मुफ्त निदान और उपचार, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये दो उप-केन्द्रों की दर से उप-केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या दुगुनी करने, स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लेने, केन्द्र और राज्य द्वारा उन्हें समाज अनुदान देने और ऐसे दूरस्थ तथा आदिवासी क्षेत्रों में जहां डाक्टर जाना नहीं चाहते आवास-सह-क्लिनिक की व्यवस्था करने, जैसे विषयों पर चर्चा हुई। बी० जे० मेडिकल कालेज, अहमदाबाद और एम० पी० शाह मेडिकल कालेज, जामनगर में सीटों के मूल रूप में रखने और मेडिकल कालेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने संबंधी मामलों पर भी विचार-विमर्श हुआ । चिकित्सा शिक्षा के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसा एक निकाय बनाने के प्रश्न को भी उठाया गया था ।

(घ) इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है । तथापि इन प्रस्तावों के लिये भारत सरकार ने सहायता देने का कोई वचन नहीं दिया है । संयोगवश राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि आयुर्वेद का विकास किया जाये और प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का एक-एक डाक्टर तैनात किया जाए ।

वर्ष 1978 में स्मारक डाक टिकटों का जारी किया जाना

3192. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1978 में विशेष स्मारक डाक टिकटें जारी करने का कोई कार्यक्रम बनाया है और क्या उपरोक्त कार्यक्रम में संशोधन किया गया है या बाद में किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उपरोक्त डाक टिकट कुल कितनी धनराशि की जारी की जाती हैं; और

(घ) उपरोक्त वर्ष में देश और विदेश में टिकट संकलनकर्ताओं द्वारा उक्त विशेष डाक टिकटों की कितनी बिक्री होने की आशा है; और यह उपरोक्त डाक टिकटों की कुल बिक्री के कितने अनुपात में है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) (क) जी हां । इसमें दो डाक टिकटों को शामिल करते हुए अभी तक दो बार संशोधन किया गया है। इस कार्यक्रम में तभी संशोधन किया जाता है, जबकि वह निहायत जरूरी हो।

(ख) वर्ष 1978 के दौरान विशेष/स्मारक डाक टिकट जारी करने के कार्यक्रम की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है ।

(ग) 1977 में 7.875 करोड़ ।

(घ) विदेशों में वर्ष 1977 में 4,86,158 रु० 83 पै० की बिक्री हुई थी । फिलाटली ब्यूरो/काउंटरों के जरिये फिलाटली संग्राहकों को 1,57,44,746 रु० 15 पै० के डाक टिकट बेचे गए। फिलाटली संग्राहकों को फिलाटली ब्यूरों/काउंटरों के जरिए पिछले वर्ष जो बिक्री की गई उस का अनुपात 1:4.85 है ।

विवरण

वर्ष 1978 के दौरान विशेष/स्मारक डाक टिकट जारी करने का कार्यक्रम

क्रम संख्या	डाक टिकट का विवरण	जारी करने की तारीख	डाक टिकटों की संख्या	मूल्य (पैसों में)
1.	कांचनजुंगा पर विजय	15-1-78	2	25,100
2.	प्रशांत क्षेत्र यात्रा संस्था का 27वां सम्मेलन	23-1-78	1	100
3.	तीसरा विश्व पुस्तक मेला	11-2-78	1	100
4.	श्रीमां-पांडिचेरी	21-2-78	1	25
5.	गेहूं अनुसंधान	23-2-78	1	25
6.	मोहनलाल दलपत राम कवि	16-3-78	1	25
7.	सूर्य्य सेन	22-3-78	1	25
8.	रूबेंस	4-4-78	1	200
9.	चार्लि चैपलिन	16-4-78	1	25
10.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी	23-6-78	1	25
11.	बेथून कालेज, कलकत्ता	00-7-78	1	25 बाद में जोड़ा गया
12.	ई० वी० रामस्वामी	17-9-78	1	25
13.	उदयशंकर	26-9-78	1	25
14.	वल्लतोलनारायण मेनोन	16-10-78	1	25
15.	बाल दिन	14-11-78	1*	25*
16.	फ़ाज श्युबर्ट	00-11-78	1	बाद में जोड़ा गया मूल्य निर्धारित करना है
17.	रावेनशां कालेज	1978	1	25
	सीरीज			
1,	आधुनिक भारतीय चित्रकला (समसामयिक कला की चौथी त्रेवार्षिकी के अवसर पर)	23-3-78	4	25,50 100,200
2.	भारत के संग्रहालय	5-78	4	25,50 100,200
3.	भारत के आदिवासी	8-78	4	25,50,100,200
4.	अजंता के भित्ति चित्र	10-78	4	25 प्रत्येक

गैर-अर्हता प्राप्त फार्मासिस्टों का प्रशिक्षण

3193. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सारे देश के लाभार्थ गैर-अर्हता प्राप्त फार्मासिस्टों को प्रशिक्षण देने हेतु राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता देने की कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें बनाई हैं :

(ख) यदि हां, तो उनका मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी योजनाओं पर प्रायोगिक तथा सीमित आधार पर विचार करना चाहती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) रजिस्टर्ड फार्मासिस्टों के रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम अर्हता फार्मेसी में डिप्लोमा कोर्स चलाकर फार्मासिस्टों को प्रशिक्षण देने का काम मुख्यतया राज्य सरकारों का है । इस समय फार्मेसी में डिप्लोमा कोर्स की शिक्षा देने वाली लगभग 57 संस्थाएं हैं (मेडिकल कालेज तथा पोलिटैक्निक्स) 1976 में फार्मेसी अधिनियम में संशोधन के बाद भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को यह सलाह दी थी कि फार्मासिस्टों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाई जाएं और इस प्रयोजन के लिए वर्तमान संस्थाओं में दाखिलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, साथ ही विज्ञान कालेजों और पालिटैक्निकों में उपलब्ध सुविधाओं का भी फार्मेसी में डिप्लोमा कोर्स के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि यद्यपि फार्मासिस्टों के प्रशिक्षण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए भारत सरकार की कोई योजना नहीं है, तथापि राज्य सरकारें इन प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार पर होने वाले अतिरिक्त खर्च को अपने-अपने वार्षिक योजना बजटों में शामिल कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय फार्मेसी परिषद् जैसे अनक्वालिफाइड फार्मासिस्टों को जो अस्पतालों, औषधालयों तथा अन्य संस्थाओं में कम से कम दो वर्ष से काम कर रहे हैं और जिनके पास मैट्रिकुलेशन या अन्य समकक्ष अर्हता है, फार्मेसी में डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए एक वर्ष का कन्डेन्सड कोर्स करने की अनुमति देने के लिए शिक्षा विनियम 1972 में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यह रियायत सभी को दी जाएगी, चाहे किसी राज्य में शिक्षा विनियम लागू हुए हों या न हुए हों।

विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं को देखने के लिए संसद सदस्यों के लिए अध्ययन दौरा

3194. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने और देखने के लिये और पूरे देश का दौरा करने और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिलने हेतु संसद सदस्यों के लिए चयनात्मक अध्ययन दौरों का आयोजन करने की प्रथा आरम्भ करने या फिर से आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब और किस प्रकार ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) संसद सदस्यों के राष्ट्रीय उपक्रमों/परियोजनाओं के दौरों का आयोजन संसद सदस्यों के निवेदन या अन्य प्रकार से समय-समय पर किया जाता है । वर्ष 1977 के दौरान ऐसे नौ दोरों का आयोजन किया गया था। जनवरी और फरवरी, 1978 के दौरान दो दौरों का आयोजन किया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड में अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन तथा तार उद्योग लिमिटेड, अमरीका द्वारा अपने शेयरों का छोड़ा जाना

3195. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टेलीफोन उद्योग लिमिटेड, बंगलौर में अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन तथा तार निगम, अमरीका द्वारा अपने शेयर छोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) जी हां ।

(ख) फिलहाल इन शेयरों को भारत सरकार द्वारा लिए जाने की शर्तों पर बातचीत चल रही है।

राजनयिक कार्मिकों की नियुक्ति का मानदण्ड

3196. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री जी० एम० बनतवाला :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजनयिक कार्मिकों की विदेशों में नियुक्ति करने के मानदड को युक्तिसंगत बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) विदेशों में राजनयिक कार्मिकों की तैनाती के समय संबद्ध पदों की अपेक्षाओं को और जिस व्यक्ति को तैनात करने की सिफारिश की जाती है इसकी अर्हता, भाषा संबंधी ज्ञान तथा अनुभव को ध्यान में रखा जाता है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इन सारी बातों का एक संतुलन ही विदेशों में तैनाती का एक संतोषजनक और युक्तियुक्त मानदण्ड बनता है।

होज खास टेलीफोन केन्द्र के लिये जापान से उपकरणों का आयात

3197. **श्री के० राममूर्ति**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होज खास एक्सचेंज के लिए सम्पूर्ण उपकरण जापान से आयात किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो एक्सचेंज चालू करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय): (क) और (ख) होज खास एक्सचेंज में दो यूनिट हैं ।

यूनिट I के उपस्कर का निर्माण इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ने किया था । इसकी क्षमता 4,000 लाइनों की है । यह एक्सचेंज दो चरणों में चालू किया गया था, 2500 लाइनें 18-10-76 को और 1500 लाइनें 17-12-77 को चालू की गईं । प्रारंभिक स्थापना में कुछ विलंब हो गया था।

यूनिट II के लिए 10,000 लाइनों की क्षमता का उपस्कर जापान से मंगाया गया है । निश्चित कार्यक्रम के अनुसार यह एक्सचेंज 25 फरवरी, 1978 को चालू किया गया है ।

Wire Required for Meeting Shortage of Telephone Connections

†3189. **Shrimati Chandravati** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) number of applications for telephone connections pending in one year as per plan for providing telephones in the country State-wise and when they would get their turn and the number of days after which a telephone connection is provided to an applicant after submitting application and completing all the formalities therefor as also the details of the formalities required therefor and whether these formalities are strictly complied with and if not, the reasons therefor; and

(b) the quantum of wire required to meet the shortage of telephone connections in the country and whether wire of the required length is manufactured in India ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) Number of applications for telephone connections pending.

State-wise waiting list as on 31-12-77 is as follows :—

States	Waiting list
Andhra Pradesh	4231
Bihar	938
Gujarat including Ahmedabad City	21098
Haryana	2158
Himachal Pradesh	493
J & K	1181
Karnataka	4780
Kerala	8132
Madhya Pradesh	826
Maharashtra (including Bombay City) and Goa	57197
N.E. Circle covering the States of Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram, Tripura.	605
Orissa	160
Punjab	9822

States	Waiting list
Rajasthan	3749
Sikkim	21
Tamil Nadu	4992
U.P.	4838
West Bengal including Calcutta City	26802
Andaman Nicobar Islands	16
Chandigarh	2089
Delhi	46017
Lakshadweep	6
Pondicherry	35
Daman, Diu, Silvasa Mahe	49
Total	1,99,788

2. (a) The time taken to provide a telephone connection after an application has been made along with the necessary advance deposit varies very widely from place to place. It also depends on the category in which the applications are registered. The actual time varies from a few days in some cases to over 10 years in others. In general the period is short in smaller places and long in larger stations.

Efforts are being made and it is hoped to provide telephone connections to all those now waiting for telephone connections by the end of 1980, except in certain areas and some of the largest cities in the country. It may also not be possible to provide some very long distance connections from the smaller exchanges also.

3(a) **Main Formalities required for provision of telephone connections :**

Applications for new telephone connections are to be submitted on prescribed application forms costing Rs. 10 each. Every applicant for telephone connection is required to pay an amount of deposit of a specified sum as shown below :

(i) **Own Your Telephone Applications**

Capacity of exchange System.

	10,000 lines and above	1,000 lines and above but below 10,000 lines	Below 1,000 lines
Amount of deposit	Rs. 5,000	Rs. 4,000	Rs. 3,000

(ii) **General and Special Category Applications.**

Type and Capacity of Exchange Systems.

	Matered Exchange				Flat Rate Exchanges	
	10,000 lines and above	Below 10,000 lines	Over 100 lines	Under 100 lines	Manual over 20 lines providing restricted hours of service	Manual of 20 lines/ or less providing restricted hours of service
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Amount of deposit	1,000	800	1000	800	600	400

The applicants are brought on the waiting list according to the date of payment of the advance deposit and are given connections as per their turn on the waiting list in the category in which they have applied.

4. (a) The above formalities are generally strictly complied in all cases.

(b) The wire is required not only for providing local telephone connections, but also for opening of long distance P.C. Os. and constructing trunk lines to small exchanges. The present total requirements of wire for all these purposes is about 7,000 metric tons annually. Generally, adequate quantities of wire are manufactured in the country to meet these requirements. There have however been some delays in deliveries from tme to time.

गवर्नमेंट मेडिकल कालेजों में दाखिला

3199. **डा० बापू कालदाते :**

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट मेडिकल कालेजों में विद्यार्थियों के दाखिले के लिए सरकार ने कोई मानक (नार्म) और परीक्षायें निर्धारित की हैं;

(ख) क्या सरकार के इस संबंध में वैसे ही कठोर नियम हैं जैसे कि सरकार द्वारा सहायता प्राप्त मेडिकल कालेजों के लिए निर्धारित हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के मेडिकल कालेजों में दाखिलों के लिए चयन के मापदण्ड और कार्याविधि भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित किये जाते हैं और ये अनिवार्य हैं।

(ग) छात्रों को दाखिला देने के लिए जो मापदण्ड अपनाये जाते हैं, वे संलग्न नोट में दिये गये हैं।

विवरण

छात्रों का चयन

मेडिकल कालेज में छात्रों को दाखिला देने के लिए उनका चयन पूर्णतया उनके गुणों के आधार पर किया जाना चाहिए और इन गुणों का निर्धारण करने के लिए सारे देश में एक समान मानदण्डों को अपनाया जाना चाहिए जो इस प्रकार हों :—

(क) जिस राज्य में केवल एक ही मेडिकल कालेज है और क्वालिफाइंग परीक्षा का आयोजन करने वाला एक ही विश्वविद्यालय/बोर्ड/परीक्षा निकाय है तो छात्र द्वारा ऐसी क्वालिफाइंग परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों पर विचार करते हुए उसे दाखिला दिया जाए।

(ख) जिन राज्यों में क्वालिफाइंग परीक्षा लेने वाला एक से अधिक विश्वविद्यालय/बोर्ड/परीक्षा निकाय है (अथवा जहां एक ही प्राधिकरण के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक से अधिक मेडिकल कालेज

हों) वहां पर प्रवेश हेतु एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए ताकि छात्रों की योग्यता का समान रूप से मूल्यांकन किया जा सके क्योंकि विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित क्वालिफाइंग परीक्षाओं के स्तर में विविधता हो जाती है ।

(ग) जिस राज्य में एक से अधिक मेडिकल कालेज हों और क्वालिफाइंग परीक्षा लेने वाला केवल एक ही विश्वविद्यालय बोर्ड हो, वहां पर सभी कालेजों के एक संयुक्त चयन बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए ।

(घ) अखिल भारतीय प्रकृति की संस्थाओं में छात्रों को दाखिला देने के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा अत्यावश्यक है ।

(ङ) प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में केवल वही छात्र बैठने के पात्र होंगे जिन्होंने मेडिकल कोर्स में दाखिला शीर्षक वाले फार्म में उल्लिखित किसी क्वालिफाइंग परीक्षा को अनिवार्य रूप से पास किया हो ।

किन्तु जो छात्र किसी ऐसी क्वालिफाइंग परीक्षा में बैठा है जिसका परिणाम घोषित न हुआ हो, ऐसे छात्र को प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में अस्थायी तौर पर बैठने की अनुमति दी जा सकती है और यदि मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए उसका चयन हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसे तब तक इस कोर्स में दाखिल नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह क्वालिफाइंग परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाता ।

परन्तु, (1) जिन मेडिकल कालेजों में छात्रों की क्वालिफाइंग परीक्षा अथवा उच्चतर परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर दाखिला दिया जाता है; अथवा (2) जिन प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन छात्रों के चयन के लिए किया जाता है और जिनमें छात्रों के अंग्रेजी और विज्ञान के विषयों में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए, उन मेडिकल कोर्सों में दाखिला लेने के लिए यह अनिवार्य है कि अंग्रेजी और विज्ञान के विषयों में कुल मिलाकर छात्र के 50 प्रतिशत से कम अंक न आए हों ।

परन्तु, जहां तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का संबंध है उनको मेडिकल कोर्स में दाखिला प्राप्त करने के लिए आम उम्मीदवारों के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत अंकों के बजाए कम से कम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं ।

परन्तु, भारत सरकार की स्वप्रेरणा पर अथवा राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर सुपात्र उम्मीदवारों के मामलों में अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता को शिथिल करने का अधिकार होगा ।

राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों के अधिकारियों को चाहिए कि वे क्वालिफाइंग/प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन से पहले ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पढ़ाई की विशेष कक्षाओं का प्रबन्ध करें ताकि मेडिकल कोर्स में दाखिला प्राप्त करने वाले उम्मीदवार योग्यता के उपयुक्त स्तर को प्राप्त कर सकें ।

(च) जो उम्मीदवार क्वालिफाइंग परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेडिकल कोर्स में दाखिला लेने का अन्यथा पात्र हो और यदि उसने एन० सी० सी० का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो या खेलों आदि में भाग लिया हो तो उसे अंकों में 2 प्रतिशत की रियायत दे दी जाए ।

500 जनसंख्या वाले तथा 1500 से अधिक जनसंख्या वाले गावों में 1977 के दौरान डाकघर खोला जाना

3200. **डा० बापू कालदाते** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 में 500 की जनसंख्या वाले तथा 1500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में कितने डाकघर खोले गए; और

(ख) क्या इन क्षेत्रों में पत्रों के नियमित वितरण के लिए कोई प्रबंध किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

दिल्ली टेलीफोन विभाग में 197, 198 और 199 टेलीफोन नम्बरों की सेवा में सुधार

3201. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली टेलीफोन्स की 197, 198 और 199 सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या विशेष प्रयास किये गये हैं ;

(ख) क्या इन सेवाओं के असंतोषजनक कार्यकरण के कारणों का पता लगाने के लिए कभी कोई जांच की गई थी; यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और जो जांच की गई है उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन महत्वपूर्ण सेवाओं का संचालन करने वाले कुछ अधिकारी और कर्मचारी लापरवाह पाये गये और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) सेवाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) '197', 198 और '199' सेवाओं की आवधिकनेमी जांच।

(ii) '197' की पोजीशनें हाल ही में 50 से बढ़ाकर 70 कर दी गई हैं।

(iii) '199' सहायक सेवा में 24 अतिरिक्त पोजिशनें जोड़ी जाएंगी।

(iv) विशेष सेवाओं के कार्यकरण की बारी-बारी से जांच विभिन्न एक्सचेंजों से की जाती है और उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है।

(ख) जी नहीं। तथापि, आवधिकनेमी जांच में वृद्धि कर दी गई है ताकि बेहतर सेवा सुनिश्चित की जा सके।

(ग) जी नहीं। कर्मचारियों की ओर से सामान्य रूप से कोई लापरवाही नहीं होती है। जब आवश्यक समझा जाता है उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

जनपथ टेलीफोन केन्द्र का असंतोषजनक कार्यकरण

3202 : **चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात उनके ध्यान में आई है अथवा उनके ध्यान लाई गई है कि जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोनों का कार्यकरण बहुत दोषयुक्त है तथा इस एक्सचेंज के अन्तर्गत जो प्रयोक्ता हैं उन्हें उनके टेलीफोन सामान्यतया खराब रहने के कारण भारी असुविधा होती है;

(ख) खराबियों के बारे में शिकायतों की सुनवाई करने के संबंध में क्या आदेश दिए गए हैं क्योंकि इस एक्सचेंज में की जाने वाली शिकायतों को ध्यानपूर्वक और घंटों तक सुना नहीं जाता है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं। जनपथ टेलीफोन एक्सचेंज का कार्यकरण सामान्य है।

(ख) जी नहीं। शिकायतें दूर करने में कोई असाधारण विलम्ब नहीं होता है। दोष दूर करने में औसतन 2.1 घंटे का विलम्ब होता है।

(ग) एक्सचेंज के कार्यकरण पर पूरी निगरानी रखी जाती है।

इस्पात के पिण्डों का उत्पादन

3203 **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात के लिए बड़े पैमाने पर इस्पात के पिण्डों आदि के उत्पादन कि विस्तार करके प्रमुख सफलता प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में ही इस्पात का उत्पादन करने के लाभ को खोकर बड़े पैमाने पर लोह अयस्क की सप्लाई करने के लिए अन्य देशों के साथ कुछ समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि हमारे इस्पात संयंत्र सभी किस्मों के लिए पूरी क्षमता से चलें और केवल फालतू अयस्कों का ही निर्यात किया जाए ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक): (क) देश में इस्पात बनाने की क्षमता का विस्तार अनिवार्यतः आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिए किया जा रहा है और यदि कुछ माल आन्तरिक मांग पूरी करने के बाद बच जाता है तो उसका निर्यात कर दिया जाता है। बन्दरगाह पर एक निर्यातोन्मुख धमन-भट्टी लगाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) देश में इस्पात कारखानों की लोह अयस्क की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है और आन्तरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् ही लोह अयस्क का निर्यात किया जाता है।

Districts declared Backward in States from the point of view of postal facilities

3204. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether some districts in various States have been declared backward from the point of view of posts and Telegraphs and Telephone facilities in the country;

(b) if so, the names of such districts State-wise as also the criteria adopted for declaring these districts as backward ;

(c) whether a few areas in some districts of Rajasthan have been declared backward though many districts of the State come under this category from geographical point of view and if so, the reasons therefor; and

(d) whether Sawai Madhopur district of Rajasthan has not been declared backward though this area consists of uneven land hill tracts, forests, ravines etc. and is unfested by dacoits and if so, the reasons therefor and the time by which it will be declared a backward district ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) **Postal :** Yes, Sir.

(b) An area is declared backward from the postal point of view if the same is declared backward by the State Government and recommended by the concerned Postmaster General for such a declaration. However, in some cases where the area is not declared as backward by the State Government, but lags behind in respect of postal facilities, the same may be declared as such after taking into account the averages of area and population served per post office in the said area as compared to those of the Circle as a whole and of other areas already declared as backward.

A State-wise upto date list of area declared backward from postal point of view is enclosed. (Annexure-I). [Placed in Library, See, No. L.T.-1827/78]

(c) Yes,Sir, as mentioned in the enclosed list. [Placed in Library See No. L.T.-1827/78] No other area in Rajastan has been recommended for such declaration.

(d) Sawai Madhopur district has not been declared as backward. The same can be declared backward after it is declared as such by the State Government or recommended by the Postmaster-General for such a declaration.

Telecommunication :

(a) & (b) Yes, Sir. Some of the districts in various States have been declared as backward for provision of telegraph and telephone facilities. A list of such districts is given in the Annexure-II. This is based on the lists of backward areas prepared by the State Government and the Planning Commission.

(c) Out of 26 districts in Rajasthan, 16 districts have been categorised as backward for telecom. development. This is based on the list of such areas obtained through the Planning Commission.

(d) Yes, Sir. Sawai Madhopur district is not in the list of backward areas referred to in (c) above.

जड़ी-बूटी विशेषज्ञों, परम्परागत दाइयों और चिकित्सकों (हीलरों) का प्रशिक्षण

3205. **श्री सुरेन्द्र बिक्रम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में इस समय बहुत बड़ी संख्या में जड़ी-बूटी विशेषज्ञ, परम्परागत दाइयां और चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं जिन्होंने प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में विस्तृत प्रशिक्षण ले रखा है अथवा उन्हें उपचार की दक्षता पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन परम्परागत चिकित्सकों और दाइयों को पर्याप्त स्तर पर प्रशिक्षण देने का है ताकि मामूली खर्चे पर स्वीकार्य चिकित्सा की व्यवस्था की जा सके ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) गांवों के लोगों को चिकित्सा सहायता देने में परम्परागत चिकित्सकों अर्थात् वैद्यों, हकीमों और होम्योपैथी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है क्योंकि उनमें से अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही बसे हुए हैं । वे जो उपचार करते हैं वह पूरी तरह उस ज्ञान पर आधारित है जो उन्होंने अपने पुरखों से अर्जित किया है । स्वास्थ्य और चिकित्सीय देखरेख प्रदान करने में इन चिकित्सकों को

अधिक उपयोगी बनाने और उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उन्हें अपनी-अपनी पद्धतियों में गहन शिक्षण देने के अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य में, जिसमें निरोधी चिकित्सा, स्वास्थ्य विज्ञान और निदान की विधियां भी सम्मिलित हैं, अल्पकालीन शिक्षण देने का विचार है।

ग्राम स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत इन परम्परागत चिकित्सकों को ग्राम सभाओं अथवा अन्य प्रतिनिधि संगठनों द्वारा अपने-अपने समुदायों में से जन स्वास्थ्य रक्षकों के रूप में शिक्षण के लिए भी चुना जा सकता है ।

स्थानीय धात्रियों अथवा परम्परागत दाइयों के प्रशिक्षण का एक विस्तृत कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। ग्राम समाज इन दाइयों का चयन करेगा और उन्हें प्रशिक्षण के लिए राजी करेगा। यह प्रशिक्षण एक महीने की अवधि का है जिसमें उन्हें 300 रुपये (तीन सौ रुपये) प्रतिमाह की शिक्षावृत्ति दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद उनको सुरक्षित प्रसव कराने के लिए अपेक्षित साधारण वस्तुओं का एक किट दिया जाएगा। आवश्यकता होने पर इस किट को मुफ्त बदल दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दिया जाता है। प्रशिक्षण काल में इन दाइयों को महिलाओं की प्रसव-पूर्व और प्रसवोत्तर देखरेख की बातें सिखलायी जाती हैं। इन प्रशिक्षित दाइयों का उन महिलाओं में, जिनकी वे देख रेख करती हैं, लघु परिवार के सिद्धान्त का प्रचार करने के लिए भी उपयोग किया जाता है।

Study of proceedings of Lok Sabha by Ministries/Departments

3206. **Shri Surendra Bikram :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) the arrangements existing in the various Ministries/Departments to study the daily proceedings of Lok Sabha, with a view to analyse the views expressed, points raised, criticism and suggestions made by the Member during the Question Hour and Debate on other items and for taking appropriate action thereon so that Member may not have to stress these points time and again during subsequent debate on those issues; and

(b) the steps being taken to improve and make the existing arrangements satisfactory and effective ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) The procedures to be followed by Government Departments in handling different items of Parliamentary Work are contained in the "Manual for Handling Parliamentary work in Ministries," copies of which are available in the Parliamentary Library.

(b) The provisions of this Manual are considered to be effective.

Increase in Skin Diseases

3207. **Shri Surendra Bikram :** Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been an increase in skin diseases in the country as a whole and widely prevalent almost in every family and the number of patients suffering therefrom are increasing in hospitals and newspapers are full of advertisements of medicines for scabies; and

(b) whether Government have found out the causes thereof and the facts that came to light as a result thereof and the step proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) No survey has been conducted by the Government to determine whether there is an increase in skin diseases in the country as a whole and whether these are widely prevalent almost in every family. However, it has been observed that there is a gradual increase in the number of patients suffering from skin diseases in the major hospitals of Delhi.

(b) Rapid urbanisation and industrialisation, apart from a many other causes, are two major factors responsible for skin diseases. Adequate specialised facilities for diagnosis and treatment of skin diseases are available in city hospitals and the existing medical colleges.

Mica Mining

3208. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn towards the difficulties in relation to the mining of mica in Bhilwara, Rajasthan;

(b) whether it is a fact that the production of mica is continuously declining in Rajasthan and the strength of workers has gone down from 2500 to 500 and there are problems in regard to the cutting and powdering of mica; and

(c) the action being taken by Government in this respect ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) Yes, Sir.

(b) The production of mica in Rajasthan has declined from 2143 tonnes in the year 1972 to 845 tonnes in the year 1976. According to the figures published by the Directorate General of Mines Safety, Ministry of Labour the strength of workers in Mica Mines in Rajasthan has gone down from 1635 in the year 1972 to 1196 in the year 1975. Rajasthan mica has been facing a problem in regard to meeting the quality specifications required for export. One of the problems in this connection has been shortage of skilled labour.

(c) MITCO has set up a Mica Training-cum-Purchase Centre at Bhilwara, so that the acceptability of the Rajasthan mica for export may improve. MITCO has also arranged for visits of foreign experts to Rajasthan for assessing the suitability of Rajasthan mica for use in their factories. It has also drawn up a programme to purchase Rajasthan mica to the tune of about Rs. 20 lakhs by the end of the current financial year.

Supply of Thick Stainless Steel Sheets to a Private Company

3209. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the quota of thick stainless steel sheets has recently been supplied to a big private company instead of Mineral and Metal Trading Corporation in the public sector;

(b) if so, the reasons therefor, whether profit earned on this account will accrue to the private company and not to the corporations;

(c) the estimated profit likely to accrue to this private company; and

(d) the number of such quotas given to the private companies in 1977-78 ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) to (d) : There is no control on the distribution of different categories of steel at present and the question of any "quota" does not arise. The Minerals and Metals Trading Corporation are canalising agents for import of stainless steel sheets and they sell such imported sheets to various users. They do not buy stainless steel sheets from Alloy Steels Plant, Durgapur. The stainless steel sheets and plates produced by Alloy Steels Plant, Durgapur are sold by them to various users, both in the Public and the Private Sectors.

गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थित इस्पात कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

3210. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समूचे इस्पात उत्पादन को सरकारी क्षेत्र में लाने के उद्देश्य से गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थित इस्पात कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ख) क्या सरकार महसूस करती है कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी जैसी इस्पात कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण से किसी सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वायरलैस टेलीफोन

3211. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज ने एक नये टेलीफोन का जिसे वायरलैस टेलीफोन कहा जाता है, डिजाइन तैयार किया है और तत्संबन्धी तकनीकी डाटा क्या है ;

(ख) क्या इसें गांवों एवं नगरों में खुले बाजार में बेचा जायेगा और इसकी खुदरा लागत क्या होगी ; और

(ग) इस टेलीफोन का वाणिज्यिक उत्पादन कब से प्रारम्भ होगा और यह बाजार में कब उपलब्ध होगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा एक नई टेलीफोन प्रणाली विकसित की जा रही है जिसे "रूराफोन" नाम दिया गया है। यह बेतार सम्पर्क के सिद्धान्तों के आधार पर काम करेगा। 'रूराफोन' का डिजाइन इस तरह बनाया गया है जिससे यह उपस्कर, 30 किलोमीटर के बीच अति उच्च आवृत्ति परिसर (वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज) में काम कर रहे किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज से सम्पर्क साध सकेगा।

(ख) और (ग) सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली के रूप में इस उपस्कर के प्रयोग की जांच की जा रही है। इस उपस्कर की लागत, व्यापारिक स्तर पर इसका उत्पादन और इसे बाजार में लाए जाने की संभावनाओं के बारे में, इतनी जल्दी अनुमान लगाना संभव नहीं है।

'कनाडा को श्वेत रखें (कीप कनाडा व्हाइट) अभियान

3212. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या विदेश मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'कनाडा को श्वेत रखें' अभियान की जानकारी है जिसके अन्तर्गत भारतीयों के साथ भेद-भाव किया जाता है ;

(ख) क्या उस देश में स्थित हमारे उच्चायुक्त से इस बारे में विस्तृत रिपोर्टें मांगी गयी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इस बारे में क्या उपाय कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) और (ख) सरकार कनाडा में 'कनाडा को श्वेत रखो' (कीप कनाडा व्हाइट) के अभियान से अवगत है। सरकार को कनाडा-स्थित अपने हाई कमीशन से इस बारे में समय-समय पर रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ) हमारे हाई कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि श्वेत कनेडियाई समुदाय के कुछ वर्गों में यह भावना है कि दक्षिण एशियाई लोग उन्हें तथाकथित तौर पर उनके काम से वंचित रख रहे हैं। समायोजन की ऐसी समस्याओं का सामना कनाडा में अन्य आप्रवासी समुदायों को भी करना पड़ा है। बहरहाल, कनाडा की प्रादेशिक तथा संघीय दोनों सरकारें इस स्थिति से अवगत हैं और इससे निपटने

के लिए कदम उठा रही हैं। एक ऐसे ही कदम के रूप में, ओन्टोरियो सरकार ने भारतीय आन्ध्रवासी डा० उबाले से जातीय भेदभाव की इस समस्या पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया । डा० उबाले की रिपोर्ट की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई और उसके परिणामस्वरूप ओन्टोरियो मानव अधिकार आयोग के तीन सदस्यों में उनका नाम भी रखा गया।

दिल्ली में नये टेलीफोन देना तथा नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

3213. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नये टेलीफोन देने तथा नए टलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आवेदन पत्र देने के 24 घंटे बाद टेलीफोन उपलब्ध कराने का प्रबन्ध कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) दिल्ली में टलीफोन की वर्तमान और प्रत्याशित मांग पूरी करने के लिए वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान एक्सचेंजों की स्थापना का जो अस्थायी कार्यक्रम तैयार किया गया है उसका ब्यौरा इस प्रकार है :--

वर्ष	टेलीफोन एक्सचेंज	दी जाने वाली लाइनें
1978-79	शाहदरा पूर्व	1600 विस्तार
,,	नेहरू प्लेस	2000
,,	तीस हजारी (25)	10,000
,,	ओखला	1700 विस्तार
,,	जनपथ	2000
	योग	27,300
1979-80	फरीदाबाद	900 विस्तार
	जनकपुरी	1200
	राजौरी गार्डन	6000
	गाजियाबाद-II	2000
	तीस हजारी (23)	10,000
	राजौरी गार्डन (53)	10,000
	योग	30,100

(ग) देश में सामाजिक आर्थिक विकास की नई नीति के अनुसार बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के 4 महानगरों पर बाहर से आने वाले लोगों का दबाव कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस नीति के एक अंग के रूप में इन नगरों में टलीफोन की वृद्धि पर पाबन्दी लगाने का प्रस्ताव है । इस प्रकार निकट भविष्य में दिल्ली में अर्जी मिलने के 24 घन्टों के भीतर टेलीफोन कनेक्शन देने की योजना बनाना संभव न होगा।

भारत कल्याण मंच से प्राप्त अभ्यावेदन

3214. **श्री बसन्त साठे** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्डिनल द्वारा नेशनेलिस्ट पादरियों को उनके पद से हटाए जाने और अन्य सम्बद्ध मामलों के बारे में भारत कल्याण मंच, बम्बई से मंत्री महोदय को दिनांक 16 फरवरी, 1978 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उसमें व्यक्त विभिन्न अभिमतों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) और (ख) जी, हां । उक्त पत्र का सम्बन्ध रोमन कैथोलिक समुदाय से है और उसमें यह आरोप लगाया गया है कि 25 कैथोलिक पादरियों को निरंतर सताया और परेशान किया जा रहा है, बताया जाता है कि उनमें से कुछ को चर्च प्राधिकारियों ने पादरी की वृत्ति से वंचित कर दिया है ।

(ग) और (घ) सरकार की यह नीति है कि भारत में धार्मिक संस्थाओं के अंदरुनी मामले में उस समय तक दखल नहीं दिया जाय जब तक कि वे कानून तथा संविधान के ढ़ाचे के अंतर्गत काम कर रहे हों । उपर्युक्त पत्र में प्राइवेट संस्था द्वारा लगाये आरोपों के सिलसिले में उन पादरियों से कोई शिकायत नही मिली है जिन्हें कि इससे प्रभावित बताया गया है । आशा है कि चर्च प्राधिकारी इस मामले को उचित और विवेकपूर्ण ढंग से हल कर लेंगे जिससे कि चिंता या विवाद का कोई अवसर उपस्थित न हो ।

Agre1ment with Iran

3215. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether any agreement has been concluded with Iran for mutual co-operation in the economic scientific, cultural and technical fields; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu): (a) & (b) During the discussions held at the time of the visit of Shahanshah of Iran, it was agreed that the two countries should strengthen, diversify and further enrich the co-operation between them in the economic, scientific, technical and cultural fields. The Joint Communique issued at the conclusion of the visit refers to new areas of co-operation which were indentified for consideration. These, *inter alia*, include offer of additional crude oil supply by Iran on credit basis, to finance or participate in mutually agreed projects, such as the Alumina Project for the Eastern Coast deposits of bauxite, Paper and Pulp Factory for Tripura and the Second Stage of Rajasthan Canal. It was also decided to constitute a Sub-Committee on Petro-Chemicals for pursuing possibilities of bilateral cooperation in that field. In the cultural field, it was decided to establish two Chairs—one at Delhi and another at Tehran—to promote research and study of the history of Indo-Iranian relations. India also agreed to assist in the organisation of an exhibition of Indian Art and Culture in Iran in 1980. Further details of the above projects are to be worked out in due course.

Mobile Post Offices in U.P;

3217. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether mobile Post Offices have been introduced in U.P. ;

(b) if so, the number of such Post Offices as are functioning at present; and

(c) the extent to which success is likely to be achieved thereby ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai) :

(a) Yes, Sir.

(b)	Urban	13 (including 2 motorised)
	Rural	5578
	Total	5591

(c) In addition to services in Urban areas, 16726 villages, not having post offices, have been provided with postal counter facilities, through rural mobile post offices.

Diversification of Production in Durgapur Steel Plant

3218. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether production in Durgapur Steel Plant is being diversified; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) and (b) Various proposals for diversifying the production at Durgapur Steel Plant have been under consideration of the Steel Authority of India Ltd. These are :—

(i) Modification of the skelp mill for producing special steels and angles;

(ii) Installation of a new medium structural mill to produce universal sections; and

(iii) Modification of the fish plate plant.

Due to financial constraints only the first item has been included in the five year Rolling Plan.

Acquisition of Properties of Bangladesh Refugees

+3219. **Shri O.P. Tyagi** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bangladesh Government have taken the approval of their Parliament to acquire the property of those persons, who had left Bangladesh during the Indo-Pak conflict of 1971 and did not return;

(b) if so, whether the Government of India have taken any steps to get the compensation paid to them by the Bangladesh Government for their property;

(c) if so, the outcome thereof; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendra Kundu) :

(a) Bangladesh Parliament passed, on June 29, 1974, "The Vested and Non-Resident Property (Administration) Act, 1974". This Act provides for taking over management and control of "Vested Property" and "Non-Resident Property" by "Vested and Non-Resident Property Management Committee", with Sub-Divisional Magistrate As Chairman. These Committees were dispensed with in May, 1977, and instead, Sub-Divisional Officers were made in-charge of all properties within their respective jurisdictions. The part of the Act relating to "Non-Residents" would enable Bangladesh Government to acquire among others, the property of some of those persons who left Bangladesh during the Indo-Pak conflict of 1971 and did not return.

(b) to (d) This matter was taken up in general terms by India in official-level talks with Bangladesh in January, 1975, and again during the State visit of the President of Bangladesh to India in December, 1977. However, there is as yet no inter-governmental agreement between the two countries on the question of such properties.

संसद् भवन में नेताजी सुभाष के चित्र के अनावरण मे संबंधित स्मारक डाक टिकट

3220 : **श्री समर गुह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् के सेंट्रल हाल में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के चित्र के अनावरण से संबधित समारोह के बारे में स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा ;

(ख) क्या नेताजी की स्मृति में जारी अन्य डाक टिकटें फिर से प्रकाशित की जाएंगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं ।

(ख) परम्परा के अनुसार, स्मारक डाक टिकटों के एक बार मूल रूप से छापे जाने के बाद उन्हें पुनर्मुद्रित नहीं किया जाता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जन्म दर

3221. **श्री समर गुह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन क्षेत्रों और वर्गों का पता लगाने के लिए विशेष अध्ययन किये गए हैं जहां जन्म दर में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या जनसंख्या नियन्त्रण के लिए प्रभावी उपाय हेतु ऐसे अध्ययन आवश्यक हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव):(क) भारत के महापंजीयक द्वारा प्रकाशित नमूना पंजीयन पद्धति पर आधारित अनुमानित जन्म दरों से पता चलता है कि विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की तथा वहां के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के जन्म-दरों की क्या-क्या प्रवृतियां थीं ।

जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बारे में यह ब्यौरा अलग-अलग एकत्र नहीं किया जाता है। विभिन्न स्थानों पर किए गए अनुसंधान सम्बन्धी अध्ययनों में जनसंख्या के विभिन्न वर्गों में जन्म क्षमता की भिन्न-भिन्न दरों के कुछ अनुमान उपलब्ध हैं । इनसे सामयिक परिवर्तनों का पता नहीं चलता।

(ख) पिछले पांच वर्षों (1972 से 1976 तक) की अनुमानित जन्मदरों के बारे में एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 1828/78]

(ग) ऐसे आंकड़े एकत्र करना वांछनीय होगा ।

(घ) जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बारे में जन्म दर सम्बन्धी आकड़े संकलित करने की व्यावहारिकता पर महापंजीयक के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा ।

Complaint of Veraval Telephone Exchange

+3222. **Shri Dharamasinbhai Patel :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Indian Rayon Corporation Limited, Veraval District Junagarh, Gujarat, has sent a memorandum about the Veraval telephone exchange and if so, the details of the complaints made therein; and

(b) the action taken or proposed to be taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Narhari Prasad Sai) : (a) & (b) Yes Sir, Memorandum has been received from Indian Rayon Corporation Limited, Veraval. The main demand made in the memorandum and the action taken are given in the annexure.

Statement

Sl. No.	Demand	Reply
1.	Performance of the Exchange.	Performance of the exchange is constantly watched and remedial action taken. However, to reduce faults due to corrosion, heavy overhead alignments are being gradually replaced by underground cables.
2.	Direct circuits to Probander, Jamnagar, Bhavnagar, Jetpur, Amreli and other centres or Saurashtra.	Direct trunk circuits exist to Porbander, Manavdar, Dhorji, Jamnagar, Amreli and Junagarh. One more circuit is being provided to Porbander. Circuits to other stations will be provided as and when traffic justified.
3.	Direct dialling facilities to Ahmedabad, Baroda and Surat etc.	Direct operator dialling facility is already provided to Ahmedabad. The existing volume of traffic does not justify the provision of this facility to other places.
4.	Installation of auto exchange at Veraval.	This is likely to take time due to acute shortage of automatic exchange equipment.
5.	Commissioning of telex.	A 201 telex is planned to be commissioned in 1978.

Supply of Steel Products to Gujarat

3223. **Shri Dharma Sinhbhai Patel**: Will the Minister of **Steel and Mines** be Pleased to state :

(a) whether Government of Gujarat wrote a letter on 13th December, 1977 to the **Minister** of Steel and Mines regarding the shortage of pig iron, tin plates, black and white plates, angles, channels, giders etc. faced by small scale industries in Gujarat and if so, nature of the demands or complaints made therein ; and

(b) the month-wise quota to Gujarat in 1977, till November, the demand made and quota supplied in December, 1977 and quota month-wise, being given since January, 1978 ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) The Industries Minister and the Chief Minister of the Government of Gujarat wrote to the Minister of Steel and Mines on 19-12-77 and 31-12-77 respectively regarding shortages of pig-iron and the difficulties reportedly being faced by the small scale units in obtaining supplies of scare items like hot rolled and cold rolled sheets through the local stockyards as also requesting for according necessary priority to the requirements of the Gujarat Small Industries Corporation.

(b) With the lifting of the control on the distribution of iron and steel materials, the system of allocating "quotas" has been dispensed with and there is, therefore, no State-wise quota. The month-wise details of supplies by the Steel Plants under SAIL to Gujarat State from April, 1977 to January, 1978 are given below :—

(Tonnes)

Month	Pig Iron	Steel
April'77	8308	21723
May'77	11192	23211
June'77	7555	14479
July'77	4663	26678
August'77	13698	24335
September'77	13712	26387
October'77	13914	19530
November'77	12177	20100
December'77	6280	27858
January'78	12624	30062

भारत के कच्चे लोहे और विशेष इस्पात की मांग

3224. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य देशों में भारत के कच्चे लोहे और विशेष इस्पात की भारी मांग है,

(ख) यदि हां, तो क्या भारत उनकी मांग पूरी करने की स्थिति में है,

(ग) क्या किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं,

(घ) क्या इस्पात संयंत्रों के कारण में सुधार हुआ है, और

(ङ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) विदेशों में भारतीय कच्चे लोहे की मांग है, विशेष इस्पात की मांग सीमित है ;

(ख) ये मांग कुछ हद तक पूरी की जा सकती हैं । इनकी पूर्ति समय-समय पर घरेलू आवश्यकताओं पर निर्भर करती हैं ।

(ग) 100,000 टन के लगभग निर्यात की संविदाएं अनिर्णित पड़ी हैं तथा व्यापार योजना में की गई व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ मात्रा के निर्यात के लिए बिक्री के बारे में भी बातचीत चल रही है।

(घ) जी, हां।

(ङ) अप्रैल, 1977 से फरवरी, 1978 की अवधि में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन 63 लाख टन हुआ जबकि वर्ष 1976-77 की इसी अवधि में विक्रेता इस्पात का उत्पादन 62.6 लाख टन हुआ था ।

परिपत्र के लिए आवेदन

3225. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 में लखनऊ क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय में मध्य प्रदेश क्षेत्र से पारपत्र के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त किये गये हैं ;

(ख) मध्य प्रदेश क्षेत्र के कितने आवेदन पत्र लखनऊ स्थित कार्यालय में 1 मार्च, 1978 तक विचाराधीन थे ; और

(ग) मध्य प्रदेश क्षेत्र के बड़ी संख्या में विचाराधीन आवेदन पत्रों को देखते हुए तथा मध्य प्रदेश में एक पारपत्र कार्यालय खोलना उचित नही होगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) वर्ष 1977 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ में मध्य प्रदेश से पासपोर्ट के लिए 11,600 आवेदनपत्र प्राप्त हुए ।

(ख) पहली मार्च तक 7,893 आवेदन पत्रों के लिए पासपोर्ट जारी नही किये जा सके थे ।

(ग) सरकार मध्य प्रदेश राज्य में उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निश्चय पहले ही कर चुकी है ।

कुष्ठ निवारण स्वास्थ्य कार्यक्रम

3226. **श्री रुडोल्फ रोड्रिग्स** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ निवारण स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सामान्य स्वास्थ्य योजनाओं के साथ मिलाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इससे कुष्ठ रोग सम्बन्धी उस कार्य पर होने वाले हानिकारक प्रभाव की जानकारी है क्योंकि जिसके लिए, स्वयं उसके आकार-प्रकार को देखते हुए विशेषज्ञों वाले गहन प्रतिरोध कार्यक्रमों की आवश्यकता है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) यह निर्णय लिया गया है कि कुष्ठ कार्य को बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता योजना में मिला दिया जाए लेकिन कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए यह भी निर्णय लिया गया है कि कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम को कारगर ढंग से चलाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि सभी वर्गों के कर्मचारियों को, जिनमें चिकित्सा अधिकारी भी सम्मिलित हैं, कुष्ठ कार्य में प्रशिक्षण दिया जाए । बहुद्देशीय कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के काम को अप्रैल, 1981 तक पूरा कर दिया जाना है । उन राज्यों में, जहां कुष्ठ रोग एक स्थानीय रोग के रूप में है, बहुद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण का कार्य पहले निम्न स्थानिकमारी जिलों में शुरू किया जाना चाहिए । कार्यकर्ताओं को कुष्ठ कार्य का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे कुष्ठ रोगियों का निदान कर सकें और उनके उपचार की अनुसूची के अनुसार अनुवर्ती चिकित्सा कार्य कर सकें और रोगियों को तथा समाज के लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दे सकें ।

ऐसे क्षेत्रों में, जहां यह रोग अधिक मात्रा में व्याप्त है या जहां इस रोग का प्रतिशत एक से अधिक है वहां बहूद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत यह कार्य प्रशिक्षण की अन्तिम अवस्था में शुरू किया जाना चाहिए । ऐसे क्षेत्रों में बहूद्देशीय कार्यकर्ता योजना के एकीकरण के बाद भी ऐसे क्षेत्रों में (उप-केन्द्रों में) यदि आवश्यक हो तो एक-एक अतिरिक्त प्रशिक्षित और अनुभव प्राप्त कुष्ठ रोग कार्यकर्ता दे दिया जाए और इन सभी राज्यों को यह निर्णय लेने की छूट होगी कि यह अतिरिक्त कुष्ठ रोग कार्यकर्ता ऐसे क्षेत्रों से कब हटाया जाए । इन निर्णयों को देखते हुए ऐसा समझा जाता है कि इससे कुष्ठ कार्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

मध्य प्रदेश में खनिजों पर रायल्टी की दरें

3227. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिजों पर ली जाने वाली रायल्टी की दरें क्या हैं;

(ख) ये किस तारीख से लागू हैं; और

(ग) क्या सरकार दरों के पुनरीक्षण के बारे में विचार कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) प्रमुख खनिजों पर रायल्टी की दरें जैसा कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित है, मध्य प्रदेश सहित सारे भारत में लागू हैं । रायल्टी की दरें और उनके प्रवर्तन की संबंधित तारीखों का एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी०-1829/78]

(ग) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार किसी भी खनिज पर रायल्टी की दर में 4 साल में केवल एक बार वृद्धि कर सकती है । लौह-अयस्क, तांबा-अयस्क, मैंगनीज अयस्क, मैंगनेसाइट और भराई-रेत की रायल्टी दरों में परिवर्तन के प्रश्न पर पहले से विचार हो रहा है ।

Official Language Implementation Committee

3228. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether any official Language Implementation Committee is functioning in his Ministry/Department ;

(b) if so, the dates on which the meetings of the above Committee were held during 1977 and the decisions taken therein;

(c) which of the above decisions have been implemented fully ; and

(d) if the decisions were not implemented fully ; the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) : (a) Yes, sir.

(b) to (d) The Ministry of Steel and Mines consists of two Departments—Department of Steel and Department of Mines. The position of both the Departments is given separately at Annexure-I and II.

Statement

(b) Three meetings of the Department of Steels official Language Implementation Committee were held during the year 1977. These meetings were held on 9th May, 30th September and 30th December, 1977.

Decisions taken in the above meetings

(1) All the Sections of the Department of Steel may be asked to maintain a register for quarterly progress Report in the form prescribed for this purpose and compile these reports on the basis of the information contained in the register.

(2) Notification may be issued both in Hindi as well as English simultaneously.

(3) Hindi Training Centres may be requested to let this Department know whether the trainees who have been nominated by this Department for training in Hindi/ Hindi Typewriting/Hindi Stenography are attending classes regularly.

(4) All papers coming under the definition of "General Orders" may be issued in both Hindi and English simultaneously.

(5) A detailed note regarding the deficiencies found in the use of Hindi in the Department of Steel may be prepared for the information of Secretary (Steel and Mines).

(6) A roster may be prepared in respect of officers/employees for whom in-service training in Hindi/Hindi Typewriting/Hindi Stenography is obligatory and the officer Staff may be deputed for training according to this roster.

(7) A close watch may be kept to ensure the implementation of the Hindi Programme and official Language Act and Rules framed under this Act.

(8) The Public Sector undertakings under the administrative control of this Department had stated their inability to implement some of the suggestions/proposals made by the Sub-Committee of the Parliamentary official Language Committee during its visit to these undertakings. These undertakings may be asked to state why it was not possible for them to implement the suggestion in question. It was also decided that a representative of SAIL and Hindi officer of this Department should visit these undertakings to find out the actual state of implementation of these recommendations.

(9) All the Sections of the Department of Steel may be asked to get the rubber stamps prepared in both the languages and use more and more Hindi in correspondence with 'A' and 'B' Regions.

(10) The employees who have been trained in Hindi Typewriting may be posted to to such Sections where their services can be more profitably utilized for Hindi typing.

(11) The other Ministeries/Departments in the Udyog Bhavan may be contacted to explore the possibility of running the Hindi Workshop jointly.

(c) : The decisions at S.Nos. 1, 2 and 6 have been implemented in full.

(d) : As regards the rest of the decisions, attention of the concerned officers/sections has been drawn to the deficiencies still existing and they have been requested to follow these decisions scrupulously.

Statement

(b) : The meetings of this Committee of the Department of Mines during the current financial year (1977-78) were held on 31-5-77, 30-9-77 and 7-2-78 respectively.

Decisions Taken in the Above Meetings

1. Inspection of various Offices under the Department to see the progress being made in the use of Hindi.

2. Recruitment of Hindi Officer by written examination in Public Sector Undertakings under this Department Bharat Aluminium Company, New Delhi and Hindustan Zinc Limited, Udaipur.

3. Sanction of the posts of Hindi Officer and Hindi Translators in Indian Bureau of Mines, Nagpur.

4. Granting relaxation in there reqruitment rules of Hindi Translators in Geological Survey of India, Calcutta.

5. Supply of Hindi Typewriters to the Circle Offices of G.S.I., Calcutta.

6. Arrangements to run Hindi Classes in Bharat Gold Mines Ltd. Oorgaon, and Khetri Copper Complex for their employees.

7. Nomination of employees of the Secretariat of the Department for training in Hindi typewriting and Hindi Stenography in consultation with Establishment Section.

8. To encourage and persuade the employees to make progressive use of Hindi in Noting and Drafting.

9. Issue of a House journal in Hindi for the Department—inquiries regarding seeking of permission.

10. Availing of the services of full-time stenographers in Hindi and English separately at the officer's level.

11. Sanctioning of the posts of Training Reserve stenographers in place of those who are sent for training in Hindi Stenography-regarding.

12. Seeking clarification regarding procedure of notification of the offices under rule 8 (iv) and 10 (v) of the official Language Rules, 1976.

13. To find out whether 10% cut in the administrative expenditure is applicable to Hindi Posts or not.

14. Identification of the Secretariat having correspondence with Hindi Speaking States, for doing work in Hindi-Inspection of the nature of their work.

(c) and (d) : The decisions listed at S.Nos. 1 to 8 have been implemented and are being complied with : The implementation of the decision at S.No. 9 to 14 is to be made in cooperation with Department of Official Language and the action is going on.

Hindi in Ministry of External Affairs

3229. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the category-wise number of employees at present working in his Ministry;

(b) the number, amoung them of those who possess working knowledge of Hindi or are proficient in Hindi;

(c) the number, among them of those who do noting and drafting work in Hindi;

(d) the reasons why the remaining employees are not doing noting and drafting work in Hindi; and

(e) whether orders have been issued to these employees to do noting and drafting work in Hindi and if not the reasons therefor ?.

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Samarendera Kundu) : (a) A statement contining the required information is placed on the Table of the House.

(b) The information on the two categories is being collected and will be placed on the Table of the House.

(c), (d) & (e) : The Official Language Rules have been issued to all employees in the Ministry; according to these Rules, an employee may record a note or minute on a file in Hindi or in English without being himself required to furnish a translation thereof in the other language.

Noting and minuting in Hindi in accordance with the above practice is followed by serval officials.

Statement

No. of Employees working in the Ministry of External Affairs

S.No.	Category of Employees	Total No.
1.	Group A	245
2.	Group B	770
3.	Group C	597
4.	Group D	486

डाक तार विभाग के पास हिन्दी की टेलीप्रिन्टर मशीनें

3230. **श्री महो लाल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय डाक तार विभाग के पास हिन्दी टेलीप्रिंटरों की कुल कितनी मशीनें हैं;

(ख) उनमें से कितनी मशीनें हिन्दी के तार भेजने के लिए नियमित रूप से काम में लाई जा रही हैं; और

(ग) जिन टेलीप्रिंटर मशीनों को नियमित रूप से प्रयोग में नहीं लाया जा रहा उनको रखने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) 405.

(ख) 284.

(ग) हिन्दी टेलीप्रिंटर चलाने का प्रशिक्षण देने और कैम्प तारघरों में प्रयोग करने के लिए 65 हिन्दी टेलीप्रिंटरों का इस्तेमाल किया जाता है। 56 मशीनें विभिन्न स्टोर डिपों के स्टाक में रखी हैं ताकि मांग प्राप्त होने पर उन्हें सप्लाई किया जा सके ।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के कर्मचारियों को सुविधाएं

3231. **श्री महो लाल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति पेंशन तथा आवासीय सुविधायें प्रदान नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) परिषद् के कर्मचारियों को ये सुविधायें प्रदान करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् एक पंजीकृत स्वायत्त संस्था है और रोजगार की शर्तों के संबंध में उसके अपने विनियम हैं । चूंकि इसके कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं है, इसलिए वे भारत की संचित निधि से पेंशन प्राप्त करने अथवा केन्द्रीय सरकार के पूल आदि से आवास पाने के हकदार नहीं हैं । लेकिन सेवानिवृत्त होने पर उन्हें उपदान दिया जाता है और वे अंशदायी भविष्य निधि योजना का लाभ उठाते हैं ।

(ग) यह मामला सक्षम प्राधिकारियों के विचाराधीन है ।

बिना भारतीय दूतावासों वाले देशों की संख्या

3232. **श्री एम० ए० हनान अन्नहाज** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने देशों में हमारे दूतावास नहीं हैं; और

(ख) उसके क्या कारण हैं और उक्त देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिये सरकार का क्या प्रयास करने का विचार हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) ऐसे 9 देश हैं जिनमें भारत का तो रिहायशी मिशन/केन्द्र है और न समवर्ती प्रत्यायन ही ।

(ख) विभिन्न देशों में रिहायशी मिशन खोलने अथवा उनके साथ समवर्ती प्रत्यायन कायम करने के लिए वित्तीय संसाधान के अतिरिक्त उन देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों के स्तर को ध्यान में रखा जाता है । विदेश मंत्रालय समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करता है और नये मिशन खोलने के लिए विदेश मंत्री के पास उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत की जाती हैं ।

दिल्ली के साथ देश के सभी जिलों का संपर्क स्थापित किया जाना

3233. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी जिलों के साथ सीधे डायल घुमाने वाली व्यवस्था से दिल्ली का संपर्क स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक क्रियान्वित हो जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता । उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा चालू करने के लिए स्विचिंग और पारेषण उपकरणों पर बहुत अधिक पूंजी लगानी पड़ती है । इस समय वित्तीय साधन इतने नहीं हैं कि देश के सभी जिला मुख्यालयों को दिल्ली से जोड़ा जा सके ।

वर्ष 1978-79 के दौरान पश्चिम बंगाल के शहरों के बीच एस-टी-डी व्यवस्था

3234. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 के दौरान सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में किन शहरों के बीच एस-टी-डी व्यवस्था करने का है; और

(ख) कलकत्ता से कितने जिला मुख्यालयों का संपर्क स्थापित किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) ऐसा प्रस्ताव है कि हल्दिया और बर्दवान को 1978-79 में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा दे दी जाये ।

(ख) बर्दवान को उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग व्यवस्था के जरिए कलकत्ता के साथ जोड़े जाने की संभावना है ।

रूसी नेताओं को आमंत्रण

3235. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सोवियत संघ के नेताओं को पुनः भारत का दौरा करने को आमन्त्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर रूसी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री को सोवियत राष्ट्रपति का एक पत्र प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उसमें क्या लिखा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1977 सोवियत संघ की अपनी यात्रा के समय प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने सोवियत समाजवादी गणतंत्र

संघ के राष्ट्रपति श्री एल० आई० ब्रेजनेव को तथा सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की मंत्रिपरिषद् के अध्यक्ष श्री ए० कोसिगिन को निमंत्रित किया था । सोवियत नेताओं ने इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया ।

(ग) और (घ) जी हां । प्रधान मंत्री को सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के राष्ट्रपति से एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने दोनों देशों के हित के विभिन्न विषयों के बारे में लिखा है । इस पत्र में भारत-सोवियत संबंधों के विकास पर संतोष व्यक्त किया गया है और दोनों देशों की मित्रता को और अधिक सुदृढ़ करने के सोवियत संघ के निश्चय को दोहराया गया है ।

चीन के सद्भावना शिष्टमंडल का दौरा

3236. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाइनीज एसोसिएशन फार फ्रेंडशिप विद फारेन कन्ट्रीज (विदेशों के साथ मैत्री के लिए चीनी लोगों का संगठन) द्वारा प्रायोजित चीनी सद्भावना शिष्टमंडल ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी अथवा वह हाल ही में भारत की यात्रा करने वाला है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त शिष्टमंडल ने भारत सरकार के निमंत्रण पर यह यात्रा की थी;

(ग) इस शिष्टमंडल की सरकार के साथ वार्ता का क्या परिणाम निकला और किन-किन विषयों पर बातचीत हुई;

(घ) क्या इसी प्रकार का कोई शिष्टमंडल यहां से भी चीन जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो चीन के प्रति भारत सरकार के नीति बनाने में इन यात्राओं का क्या महत्व रहेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) विदेशों से मित्रता के लिए चीनी लोक संघ का एक शिष्टमंडल 7 से 23 मार्च, 1978 तक भारत की यात्रा कर रहा है ।

(ख) यह शिष्टमंडल अखिल भारतीय डा० द्वारिकानाथ कोटनिस स्मारक समिति के निमंत्रण पर भारत आया है और भारत सरकार इसे आवश्यक सुविधाएं एवं शिष्टाचार प्रदान कर रही है ।

(ग) यह शिष्टमंडल 8 मार्च, 1978 को विदेश मंत्री से और 11 मार्च, 1978 को प्रधान मंत्री से मिला जिसके दौरान लगभग 2 वर्ष पहले भारत और चीन के बीच राजदूतों के आदान-प्रदान के बाद से दोनों देशों के बीच के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की गयी और उस पर संतोष व्यक्त किया गया । दोनों पक्षों ने यह आशा प्रकट की कि आपसी लाभ के लिए विविध क्षेत्रों में और अधिक आदान-प्रदान किए जाएंगे । इस सिलसिले में सीमा समस्या सहित भारत-चीन संबंधों के विशेष मसलों पर भी चर्चा हुई और विदेश मंत्री तथा प्रधान मंत्री दोनों ने यह आशा व्यक्त की कि इन्हें पंचशील के आधार पर निपटाया जा सकता है । चीनी शिष्टमंडल के नेता और नई दिल्ली में चीन के राजदूत ने चीन के विदेश मंत्री की ओर से हमारे विदेश मंत्री को परस्पर सुविधाजनक समय पर चीन की यात्रा करने का निमंत्रण दिया, जिसे बाद में राजनयिक माध्यमों से तय किया जाएगा । इसके उत्तर में विदेश मंत्री ने सिद्धान्त रूप में इस निमन्त्रण को स्वीकार करते हुए चीन के विदेश मंत्री तक उनका धन्यवाद पहुंचाने की इच्छा प्रकट की । यह यात्रा यथोचित एवं सावधानीपूर्वक तैयारी पूरी कर लेने के बाद उपयुक्त समय पर की जाएगी और इसके समय का निश्चय राजनयिक माध्यमों से किया जाएगा ।

(घ) और (ङ) सरकार की यह नीति है कि आपसी सम्मान और पारस्परिकता के सिद्धान्तों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर चीन के साथ संपर्कों और संबंधों को सुधारा जाए । इसी नीति के अनुरूप अनेक दो तरफा आदान-प्रदान हुए हैं और चालू वर्ष में इस प्रकार के और आदान-प्रदान करने का विचार किया गया है । भारत सरकार की यह आशा है कि दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान से एक-दूसरे के विकास संबंधी अनुभव को ज्यादा अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलेगी ।

भिलाई इस्पात संयंत्र के तकनीकी कर्मचारियों में असन्तोष

3237. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के तकनीकी कर्मचारियों में कोई असन्तोष व्याप्त है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं; और

(घ) स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (घ) भिलाई इस्पात कारखाने के तकनीकी कर्मचारियों में गम्भीर रूप से कोई असन्तोष नहीं है । पदों को भरने तथा पदों को अपग्रेड करने सम्बन्धी कुछ छोटी-मोटी समस्याएं अवश्य हैं । इन समस्याओं को प्रबन्धकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय औद्योगिक सम्पर्क कार्यप्रणाली के अनुसार आपसी बातचीत द्वारा सुलझाया जा रहा है । इन विवादों का उत्पादन पर मामूली प्रभाव पड़ा है लेकिन कारखाने को विश्वास है कि वह निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेगा ।

अभ्रक खान श्रमिक कल्याण संगठन के विरुद्ध की गई शिकायतों के बारे में जांच करने के लिये एक सैल की स्थापना

3238. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि अभ्रक खान श्रमिक कल्याण संगठन में व्याप्त कदाचारों के विरुद्ध बड़ी संख्या में शिकायतें की गई हैं लेकिन उक्त शिकायतों की जांच करने के लिये न तो उनके मंत्रालय और न ही क्षेत्रों में उचित प्रबंध की व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार अभ्रक खान श्रमिक कल्याण संगठन के अधिकारियों के विरुद्ध की गई विभिन्न शिकायतों की जांच करने के लिये मंत्रालय में एक सैल स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) इस मंत्रालय को अभ्रक खान श्रमिक कल्याण संगठन के संबंध में कदाचार के कुछ मामलों की पूरी जानकारी है और यह इस संबंध में उपयुक्त कार्रवाई कर रहा है ।

(ग) मंत्रालय के वर्तमान प्रशासनिक ढांचे को समुचित ढंग से मजबूत किया जा रहा है ।

सरकार के पास न्यायनिर्णय के लिए विचाराधीन औद्योगिक विवाद

3239. **श्री सरत कार**: क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के पास न्यायनिर्णय के लिये कितने औद्योगिक विवाद विचाराधीन है;

(ख) ये विवाद कितने समय से विचाराधीन पड़े हैं; और

(ग) ऐसे कितने विवाद सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से संबंधित हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:--

28-2-78 को अनिर्णीत पड़े औद्योगिक विवादों (संराधन विफलता रिपोर्ट) की संख्या--

तीन मास से कम . .	.	182
3 से 6 मास के बीच .		164
6 मास से 1 वर्ष के बीच		158
1 वर्ष से ऊपर	.	66
	योग	570

(ग) 432.

Closure of Bidi Factories

3240. **Shri Ishwar Chaudhary** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) the number of bidi factories lying closed in the country, State-wise and since what dates; and

(b) whether some of them were re-opened by Government in 1977-78 and if so, the details thereof ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) and (b) The subject falls within the sphere of the State Governments.

Incidence of Cholera

3241. **Shri Ishwar Chaudhary** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have conducted survey of the States with high incidence of cholera and if so, the names of such States; and

(b) the measures taken by Government to check this disease ?.

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) No survey has been conducted by the Government of India. However, the Government are receiving regular monthly reports on cholera incidences and deaths from the State Governments/Union Territories. From the monthly reports it was found that Andhra Pradesh and Tamilnadu reported a high incidence of cholera during 1977 and Tamilnadu in 1978 (upto February 1978).

(b) Thirty-nine Cholera Combat Teams have been set-up in the various endemic districts in different States with central assistance. Out of 39 teams, eight teams are located in Andhra Pradesh and three in Tamilnadu.

Constitution of a Medical Education Commission

3242. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government propose to constitute Medical Education Commission on the pattern of University Grants Commission;

(b) whether it is a fact that such a proposal was submitted in the Joint Conference of Central Council of Health and Family Welfare; and

(c) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) to (c) The Government of India will examine in all perspectives the recommendation of the recently concluded 4th Joint Conference of the Central Council of Health and the Central Family Welfare Council regarding setting up of a Health and Medical Education Commission.

गर्भपात को पसन्द किया जाना

3243. **श्री डी० वी० चन्द्रगौड़ा**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूचे देश में शिक्षित तथा अशिक्षित विवाहित महिलाएं गर्भपात कराना पसन्द करने लगी हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिकांश अस्पतालों में गर्भपात करवाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य पद्धति का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) यह कहना अधिक सही होगा कि वैध गर्भपात के लिए जिन सुरक्षित और स्वस्थ आपरेशनों की सुविधाएं दी गई हैं, उनका लोग अधिकाधिक लाभ उठा रहे हैं ।

(ख) सन् 1977 में किए गए आपरेशनों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न सूची में दिया गया है ।

(ग) जिन महिलाओं को बारह सप्ताह का गर्भ होता है उनका वैध गर्भपात करने के लिए आमतौर पर चूषण यंत्र (सक्शन एपरेटस) का इस्तेमाल किया जाता है जिसे बिजली अथवा हाथ द्वारा चलाया जाता है और इसके जरिये गर्भाशय से भ्रूण को बाहर निकाल दिया जाता है ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	योग
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	9682
2.	असम	6262**
3.	बिहार	4157*
4.	गुजरात	14078
5.	हरियाणा	3194*
6.	हिमाचल प्रदेश	1178

1	2	3
7.	जम्मू व कश्मीर	
8.	कर्नाटक	11652
9.	केरल	24313
10.	मध्य प्रदेश	9015
11.	महाराष्ट्र	21169
12.	मणिपुर	104
13.	मेघालय	536***
14.	नागालैंड	253†
15.	उड़ीसा	6957
16.	पंजाब	7136
17.	राजस्थान	6475
18.	तमिलनाडु	24560*
19.	त्रिपुरा	390*
20.	उत्तर प्रदेश	41298
21.	पश्चिम बंगाल	13800*
22.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	230
23.	अरुणाचल प्रदेश	27
24.	चण्डीगढ़	1902
25.	दादर, नगर हवेली	39
26.	दिल्ली	11489
27.	गोआ, दमन व दीव	690*
28.	लक्षद्वीप	
29.	मिज़ोरम	
30.	पांडिचेरी	970
31.	रक्षा मंत्रालय	1074***
32.	रेल मंत्रालय	2038*
	अखिल भारत	224669

*नवम्बर, 1977 तक के आंकडे

**अक्तूबर, 1977 तक के आंकड़े

***सितम्बर, 1977 तक के आंकड़े

† अप्रैल-अगस्त, 1977 के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं ।

वर्ष 19 71 को आधार वर्ष मानते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नये आंकड़ों का संकलन

3244. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1971 को आधार वर्ष मानते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नए आंकड़ों का संकलन पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो एकत्रित आंकड़े क्या हैं;

(ग) इन नए आंकड़ों से इस बात का पता कहां तक लगता है कि गत वर्ष मूल्य निरन्तर बढ़े हैं; और

(घ) सर्वेक्षण में किन मदों और किन औद्योगिक केन्द्रों को लिया गया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) से (ग) 1971=100 को आधार मानते हुए श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई सीरीज का केन्द्रवार संकलन किया जा रहा है ।

(घ) "सूचकांक टोकरी" में सम्मिलित वस्तुएं 1971 के सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत किए गए खपत नमूने के आधार पर प्रत्येक केन्द्र के लिए भिन्न-भिन्न होती हैं । नई सीरीज के अन्तर्गत आने वाले 60 केन्द्रों की एक सूची संलग्न है ।

विवरण

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की 1971 पर आधारित सीरीज के अधीन आने वाले केन्द्रों की सूची

राज्य	केन्द्र
1	2
आन्ध्र प्रदेश	1. गुदुर (ख)
	2. गुनटुर (क)
	3. हैदराबाद (क)
असम	4 दूम-दूम (ब)
	5. गोहाटी (क)
	6. लाबाक (ब)
	7. मरियानी (ब)
	8. रंगापारा (ब)
बिहार	9. जमशेदपुर (क)
	10. झरिया (ख)
	11 कोदर्मा (ख)
	12. मुंगेर जमालपुर (क)
	13. नोआमुण्डी (ख)
गुजरात	14. अहमदाबाद (क)
	15. बड़ौदा (क)
	16. भावनगर (क)
	17. सूरत (क)
जम्मू और कश्मीर	18. श्रीनगर (क)
हरियाणा	19. यमुनानगर (क)
केरल	20. आलवे (क)
	21. मुण्डाकायाम (ब)
	22. क्विलोन (क)

1	2
मध्य प्रदेश	23. सालाघाट (ख)
	24. भिलाई (क)
	25. भोपाल (क)
	26. इन्दौर (क)
	27. जबलपुर (क)
महाराष्ट्र	28. बम्बई (क)
	29. नागपुर (क)
	30.. नासिक (क)
	31. पूना (क)
	32. शोलापुर (क)
	33. थाना (क)
कर्नाटक	34. बंगलौर (क)
	35. चिकमगंलूर (ब)
	36. हुगली-धारवार (क)
उड़ीसा	37. बारबिल (ख)
	38. राउरकेला (क)
पंजाब	39. अमृतसर (क)
राजस्थान	40. अजमेर (क)
	41. जयपुर (क)
तमिलनाडु	42. कोयम्बतूर (क)
	43. कूनूर (ब)
	44. मद्रास (क)
	45. मदुराई (क)
	46. तिरुचिरापल्ली (क)
उत्तरप्रदेश	47. बरेली (क)
	48. गाजियाबाद (क)
	49. कानपुर (क)
	50. वाराणसी (क)

1	2
पश्चिम बंगाल	51. आसनसोल (क)
	52. कलकत्ता (क)
	53. कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र (कलकत्ता को छोड़कर) (क)
	54. दार्जिलिंग (ब)
	55. दुर्गापुर (क)
	56. हावड़ा औद्योगिक क्षेत्र (क)
	57. जलपाईगुड़ी (ब)
	58. रानीगंज (ख)
दिल्ली . .	59. दिल्ली (क)
पांडिचेरी . .	60. पांडिचेरी (क)

(क) कारखाना केन्द्र

(ख) खनन केन्द्र

(ब) बागान केन्द्र

Employment to Unemployed Women

3245. **Shri Ram Sagar** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) the up-to-date information available in regard to the number of unemployed women registered with the Employment Exchanges; and

(b) whether employment will be provided to them during the next two years ?.

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) The number of women job-seekers on the Live Register of Employment Exchanges (all of whom are not necessarily unemployed) was 14.10 lakhs at the end of December, 1977.

(b) It is not possible to say whether employment will be provided to all the women registered with employment exchanges during the next two years, as this would depend upon the employment opportunities generated during the period.

औद्योगिक श्रमिकों को ग्राह्य भविष्य निधि का कर्मचारियों को लाभ

3246. **श्री वयालार रवि** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णयों को यथावत् रखा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी औद्योगिक श्रमिकों द्वारा लिए जा रहे लाभ को पाने के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को बोनस तथा अन्य लाभ देने की मांग पर विचार किया है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) सिविल रिविजन पेटीशन संख्या 586/973 (श्री भेरीस्वामी बनाम मैसूर में ट्रेड यूनियनों के पंजीयक) का निर्णय करते समय बंगलौर स्थित कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि "चूंकि भविष्य

निधि संगठन का कार्यकलाप 'उद्योग' है, इसलिए युनियनों के सदस्यों को, जो इसके कर्मचारी हैं, "कर्मकार" माना जाना है।" इस मामले में दायर की गई विशेष अनुमति याचिका को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया ।

(ग) बोनस सन्दाय अधिनियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता ।

धनबाद स्थित स्वायत्त निकाय के रूप में खानों में सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय परिषद् ।

3247. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद में 1963 में स्वायत्त निकाय के रूप में खानों में सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय परिषद स्थापित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह विद्यमान है और पूर्णरुपेण कार्य कर रही है अथवा क्या इसे श्रम मंत्रालय ने समाप्त कर दिया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद की स्थापन धनबाद में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक सोसाइटी के रूप में जुलाई, 1973 में की गई ।

(ख) यह अपने आठ क्षेत्रीय यूनिटों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रही है ।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों का खोला जाना

3248. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के राजगढ़ गुना और विदिशा जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों को लेने के लिए प्रयोक्ताओं ने पहले ही धनराशि जमा करा दी है और उक्त जिलों में टेलीफोन एक्सचेंजों के खोले जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो ये एक्सचेंज किन स्थानों पर खोले जायेंगे और कार्य पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इन एक्सचेंजों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) राजगढ़ जिला जीरापुर, मचलपुर और रुथालिया में अग्रिम जमा राशियों के साथ अर्जियां दर्ज कराई गई हैं । इन स्थानों में एक्सचेंज खोलने के संबंध में स्थिति इस प्रकार है:--

जीरापुर और मचलपुर में अग्रिम जमा राशि के साथ जो अर्जियां प्राप्त हुई है वे टेलीफोन एक्सचेंज की मंजूरी देने के लिए पर्याप्त हैं । आशा है कि जीरापुर में टेलीफोन एक्सचेंज इस महीने के अंत तक चालू हो जाएगा । मचलपुर में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए खुले तार की एक लम्बी लाइन खड़ी करनी पड़ेगी । आशा है कि यह एक्सचेंज वर्ग 1978-79 में चालू हो जाएगा ।

सुथालिया में 17 आवेदकों में से 8 आवेदकों ने जमा राशि का भुगतान कर दिया है । जब 8 अन्य आवेदक जमा राशि का भुगतान कर देंगे तो इस स्थान पर एक्सचेंज खोलने की स्वीकृति दे दी जाएगी ।

गुना और विदिशा जिले

इन जिलों में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए कोई दर्ज मांग अनिर्णीत नहीं है ।

Foreign Assistance for Eradication of Blindness

3249. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Health and Family Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have sought assistance from foreign countries for eradication of blindness in the country; and

(b) if so, the names of the countries which have offered assistance for the purpose ?.

Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare (Shri Jagdambi Prasad Yadav) : (a) Yes.

(b) Denmark.

दिल्ली में दैनिक मजूरी पर काम कर रहे टेलीफोन आपरेटर

3250. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1976 में आयोजित परीक्षा के आधार पर दिल्ली टेलीफोन विभाग में भर्ती किये गये बड़ी संख्या में टेलीफोन आपरेटर अभी भी दैनिक मजूरी पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली टेलीफोन विभाग में ऐसे टेलीफोन आपरेटरों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या दिल्ली टेलीफोन विभाग के अधिकारियों ने मार्च, 1977 में एक अन्य परीक्षा ली तथा बड़ी संख्या में टेलीफोन आपरेटरों का चयन किया ;

(घ) पहले चुने गये टेलीफोन आपरेटरों को नियमित न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या किसी अन्य श्रेणी के ऐसे कर्मचारी हैं जिनका चयन पहले किया गया था किन्तु उनको नियमित नहीं किया गया और नई भर्ती कर ली गई; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) 35 (महिला उम्मीदवार)

(ग) जी हां ।

(घ) अंशकालिक टेलीफोन आपरेटर जिस वर्ष में भर्ती किए जाते हैं, वे केवल उसके अगले वर्ष होने वाली खाली जगहों में खपाए जाने के पात्र होते हैं । परन्तु वे वर्ष की पहली छमाही या दूसरी छमाही की भर्ती में नियमित नियुक्ति पाने वाले उम्मीदवारों की अपेक्षा वरीयता पाने का दावा नहीं कर सकते । चूंकि ये 35 अंशकालिक टेलीफोन आपरेटर 1976 की पहली छमाही की भर्ती के अन्तर्गत भर्ती किए गए थे, इसलिए मार्च 1977 में पूरी हुई वर्ष 1976 की दूसरी छमाही के नियमित भर्ती वाले व्यक्तियों से वे तरजीह नहीं पा सकते और मार्च, 1977 के नियमित उम्मीदवारों की नियुक्ति हो जाने के बाद ही वे 1977 या 1978 की खाली जगहों में नियुक्ति पाने के लिए पात्र हो सकते हैं । वर्ष 1977 में पर्याप्त संख्या में जगहें खाली नहीं हुई थीं यहां तक कि मार्च 1977 के नियमित उम्मीदवारों को भी पूर्ण रूप से खपाया नहीं जा सका था । इसलिए 35 अंशकालिक टेलीफोन आपरटरों को खपाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदूषण निवारण के लिये अमरीका से करार

3251. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका सरकार प्रदूषण नियंत्रण के कार्य में सहयोग देने के लिए सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई करार हुआ है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क) और (ख) जून, 1977 में वाशिंगटन में सम्पन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी भारत-संयुक्त राज्य अमरीकी उप आयोग की तीसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रदूषण-नियंत्रण सहित पर्यावरण के सामान्य क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम तैयार किया जाए ; इस निर्णय की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में फरवरी, 1978 में भारत में एक भारत-संयुक्त राज्य अमरीकी द्विराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला के फलस्वरूप वायु और जल प्रदूषण के भी, स्वास्थ्य और पारिस्थिति की संबंधी प्रभावों और प्रदूषण को नापने वाले उपकरणों की व्यवस्था के बारे में विभिन्न परियोजनाओं का पता लगाया गया । इन परियोजनाओं पर आगे और विचार किया जाएगा और आवश्यक अनुमति मिल जाने के बाद इन प्रयोजनाओं का अन्तिम रूप से चयन किया जाएगा ।

Factories without Labour Welfare Officer

3253. **Shri Ramji Lal Suman** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs and Labour** be pleased to state :

(a) whether there is a provisions of appointment of Labour Welfare Officer after 500 labourers under the Factory Act, 1948;

(b) if so, the number of factories all over the country where Labour Welfare Officers are working; and

(c) the number of factories where more than 500 labourers are working ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Labour (Shri Ravindra Varma) : (a) Under Section 49 of the Factories Act, 1948, which is administered by the State Governments, all factories ordinarily employing 500 or more workers are required of appoint such number of Welfare Officers as may be prescribed.

(b) The upto date information is being collected.

(c) According to the provisional figures for 1975 compiled by the Director of the Labour Bureau, there were 1624 factories employing more than 500 workers in that year.

बौध को सोनपुर के साथ जोड़ना

3254. **श्री एन्थू साहू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फूलबनी जिले में बौध को बोलनगिर जिले में सोनपुर के साथ (लगभग 35 किलोमीटर की दूरी) टेलीफोन से जोड़ने का है जिससे इन पिछड़े क्षेत्रों की जनता को सुविधा मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है तथा इस परियोजना का कब तक कार्य आरंभ होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कालाहांडी के लिए पृथक डाक डिवीजन

3255. **श्री एन्यू साहू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालाहांडी जिले के डाकघरों के लिए एक पृथक डिवीजन बनाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के बारे में तेजी लाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बोलनगिर से पाटनगढ़, उड़ीसा के बीच टेलीफोन लाइनों का कार्यकरण

3256. **श्री एन्यु साहू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में बोलनगिर से पाटनगढ़ के बीच टेलीफोन लाइन अक्सर खराब रहती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस क्षेत्र में टेलीफोन लाइन सुचारू रूप से कार्य करे, सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं ।

तथापि, कभी-कभी नजदीक की पावरलाइन में दोष आ जाने के कारण टेलीफोन लाइन में शोर की आवाज आने लगती है ।

(ख) ऐसी कार्रवाई की जा रही है कि 1.5 किलोमीटर लाइन हटाकर बोलनगिर नगर के नजदीक क ग्रिड स्टेशन से दूर ले जायी जाए।

डाक कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए भूमि का प्लाट

3257. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद (बिहार) के उपायुक्त ने डाक कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण करने के लिए धनबाद के डाकघर सुपरिंटेंडेंट को लगभग साढ़े आठ एकड़ भूमि का प्लाट उपलब्ध कराना स्वीकार कर लिया है ।

(ख) क्या डाकघर सुपरिंटेंडेंट, धनबाद ने पोस्टमास्टर जनरल, बिहार सर्किल, पटना से उपायुक्त द्वारा दी गई भूमि का अधिग्रहण करने के बारे में बातचीत की है; और

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा इस भूमि को यथाशीघ्र अधिगृहीत करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रस्तावित स्थल को यह देखने के लिए जांच की गई थी कि स्थान को देखते हुए और भवन निर्माण की दृष्टि से वह उपयुक्त है या नहीं। उस स्थल के अधिग्रहण के लिए शीघ्रता से कार्रवाई की जा रही है ।

भट्टा श्रमिकों द्वारा आन्दोलन

3258. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भट्टा उद्योग के हजारों श्रमिक बहुत कठिनाई में हैं तथा वे आन्दोलन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उनके हितों की किस प्रकार रक्षा करने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) अनुमानतः प्रश्न में श्रमिकों के उस आंदोलन का उल्लेख किया गया है जो हाल ही में दिल्ली के भट्टा-उद्योग में हुआ था । वास्तव में यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । दिल्ली प्रशासन, जो इस मामले में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन समुचित सरकार है, द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दिल्ली के भट्टा उद्योग के श्रमिक मजदूरी-दरों में वृद्धि की मांग को लेकर आन्दोलन करते आ रहे हैं । दिल्ली प्रशासन ने 21 फरवरी, 1978 को एक न्यूनतम मज़दूरी सलाहकार समिति नियुक्त की हैं ताकि वह दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के "भट्टा उद्योग" में रोज़गार के संबंध में न्यूनतम मज़दूरी-दरों में संशोधन करने के प्रश्न पर प्रशासन को सलाह दे सकें । पता चला है कि न्यूनतम मज़दूरी सलहकार समिति की सिफारिशों की प्रत्याशा में दक्षिणी दिल्ली के कुछ नियोजकों ने 7 मार्च को हुए एक समझौते के द्वारा दक्षिणी दिल्ली के भट्टों के कुछ श्रेणियों के श्रमिकों की मज़दूरी-दरों में वृद्धि करना स्वीकार किया है ।

टेलीफोन बिल भेजने में विलम्ब

3259. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कभी टेलीफोन बिल के भेजने में असाधारण विलम्ब के बारे में जांच की है;

(ख) क्या इससे प्रयोक्ताओं को कठिनाई नहीं होती है जब उन्हें छह दिनों के अंदर भुगतान करने का निदेश दिया जाता है हालांकि टेलीफोन बिलों के भेजने में छह महीने का विलम्ब होता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति को किस प्रकार सुधारने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) आमतौर पर बिलिंग यूनिटों द्वारा टेलीफोन बिल जारी करने में बहुत अधिक देरी नहीं होती है । दिल्ली और कलकत्ता टेलीफोन बिलों में बिल जारी करने में जो विलम्ब हुआ है सरकार को उसकी जानकारी है। इस विलम्ब का कारण है अपेक्षित कम्प्यूटर समय और समुचित कम्प्यूटर सुविधा का उपलब्ध न होना ।

(ख) टेलीफोन बिलों का भुगतान उनके जारी होने की तारीख से 15 दिनों (6 दिन नहीं) के भीतर करना होता है । भुगतान न करने की स्थिति में टेलीफोन पर याद दिलानी करा दी जाती है और एक सप्ताह का समय और दिया जाता है ।

(ग) दिल्ली और कत्कत्ता में यह काम अन्य उपयुक्त कम्प्यूटर एजेंसियों को सौंपने के लिए आवश्यक कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।

Hindi Knowing Staff in Ministry

3260. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the total number of sections in his Ministry/Department at present, the number of sections out of them which are having more than eighty per cent Hindi knowing staff ;

(b) the number of sections in which noting and drafting are done in Hindi and the reasons for not doing in rest of the sections; and

(c) whether clear orders have been issued to all the sections to write notes and drafts in Hindi and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Karia Munda) :

	Department of Steel	Department of Mines
(a) (i) Total number of sections	26	17
(ii) Number of sections in which 80% or more staff possess a working knowledge of Hindi .	22	14

(b) and (c) Under the Official Language rules, the Government employees have the option to do their work either in Hindi or in English and they use Hindi or English as per their convenience. However, appeals have been issued from time to time by Joint Secretary/Secretary/Minister to all the officers/employees to transact more and more work in Hindi and the officers/employees have started writing small/routine notes and drafts in Hindi.

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारियों के स्वीकृत वेतनमानों का लागू किया जाना

3261. **श्री मनोहर लाल** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई श्रम मंत्रियों ने सदन में अनेक अवसरों पर यह घोषणा की है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन केन्द्रीय न्यासी बोर्ड नामक एक स्वायत्तशासी संस्था द्वारा प्रशासित संगठन है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा स्वीकृत वेतनमानों को सरकार द्वारा अस्वीकार किये जाने का क्या कारण है;

(ग) क्या वर्तमान सरकार पिछली सरकार के निर्णय पर पुनर्विचार करेगी और केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए स्वीकृत वेतनमानों को क्रियान्वित करने के लिए बोर्ड को अनुमति देगी; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृपाल सिंह) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 5(1क) में यह व्यवस्था है कि यह निधि धारा 5-क के अधीन गठित केन्द्रीय बोर्ड में निहित होगी और इसकी व्यवस्था इस बोर्ड द्वारा की जाएगी ।

(ख), (ग) और (घ) : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के वेतन-मान तथा सेवा की अन्य शर्तें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों के अनुसार है । जब केन्द्रीय सरकार ने तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतन-मानों को अपने कर्मचारियों के संबंध में लागू किया, तो केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के संबंध में वैसे ही वेतन-मान स्वीकार किए गए, हालांकि ये वेतन-मान केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिशों से भिन्न थे । तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के लिए अपनाया गया 'फिटमेंट' फार्मूला अधिक लाभदायक था ; पहले किए जा चुके निर्णयों की पुनरीक्षा करने का कोई विचार नहीं है परन्तु कुछ ग्रेडों में संशोधन करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों की भारत यात्रा

3262. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1978 से 2 फरवरी, 1978 तक उनके मंत्रालय के नियंत्रण पर किन-किन विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने कितनी-कितनी अवधि के लिये भारत की यात्रा की; और

(ख) उन मंत्रियों अथवा अधिकारियों के नाम क्या हैं जो प्रत्येक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिये 'मिनिस्टर इन वेटिंग' अथवा 'लेडी इन वेटिंग' थे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) इन यात्राओं के अवसर पर नामोदिष्ट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और महिलाओं को अब विशिष्ट अतिथियों के साथ रहने वाले मंत्री अथवा वरिष्ठ महिला कहा जाता है। विदेश मंत्रालय ने राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष या उप राष्ट्रपति के स्तर के अतिथियों की जिन यात्राओं का 1 जनवरी, 1978 से 2 फरवरी, 1978 के बीच प्रबंध किया उसका विवरण नीचे दिया गया है।

विदेशी विशिष्ट अतिथि	साथ रहने वाला मंत्री/महिला
(1) संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति और श्रीमती रोज़लीन कार्टर—1 से 3 जनवरी, 1978	(1) श्री जार्ज फ़रनेन्डीज़ उद्योग मंत्री (2) श्रीमती रमा मेहता
(2) यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री, संसद सदस्य, महामान्य परम सम्माननीय जेम्स कैलहन और श्रीमती कैलहन—6 से 11 जनवरी, 1978	(1) श्रीमती पी० दण्डवते
(3) राजकुल मान्य आगा खां तथा राजकुल मान्य बेगम खां—17 से 20 जनवरी, 1978	राजकीय यात्रा
(4) आयरलैंड के राष्ट्रपति महामान्य डा० पैट्रिक जे० हिलेरी और श्रीमती मैव हिलेरी—24 जनवरी, 1978 से 7 फरवरी, 1978 तक	(1) श्री पुरूषोत्तम कौशिक पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्री (2) श्रीमती लैला फ़रनेन्डीज़
(5) फ्रांस के प्रधान मंत्री की पत्नी, मदाम बरे—25 जनवरी से 1 फरवरी, 1978 तक	(1) श्रीमती कैट्टी दस्तूर,
(6) महामान्य श्री सिरी अर्ताले सीनेट के अध्यक्ष, तुर्की—29 जनवरी से 30/31 जनवरी, 1978	राजकीय यात्रा
(7) महामान्य श्री स्टीवन दोरोन्जस्की, यूगोस्लाविया सामाजवादी संघीय गणराज्य की प्रेसिडेन्सी के उपाध्यक्ष और श्रीमती दोरोन्जस्की—31 जनवरी से 4 फरवरी, 1978	(1) श्रीमती ए०आर० देव
(8) महागरिमामय सम्राट मोहम्मद रज़ा पहलवी आर्य मेहर, ईरान के शहंशाह और महागरिमामयी फराह पहलवी शाहबानू—2 से 5 फरवरी, 1978	(1) श्री अटल बिहारी वाजपेयी (2) श्रीमती मोहिन्दर कौर

पश्चिम जर्मनी को इस्पात और इस्पात उत्पादों की बिक्री

3263. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी की कंपनियों को अनुचित रियायत पर इस्पात और इस्पात उत्पादों को बेचा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) माध्यम अभिकरण-सेल इन्टरनेशनल लि० ने कुछ मात्रा में बेलित इस्पात के उत्पाद पश्चिम जर्मनी की कुछ फर्मों को बेचे हैं। बिक्री के सौदों को अन्तिम रूप देते समय कोई अनुचित रियायतें नहीं दी गई थीं ।

(ख) प्रत्येक सौदे में मूल्य बताना माध्यम अभिकरण के वाणिज्यिक हित में न होगा ।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्

3264 **श्री मही लाल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद नई दिल्ली के शासी निकाय की बैठक 17 अक्तूबर, 1977 को हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो शासी निकाय द्वारा परिषद के भूतपूर्व सेक्रेटरी के विरुद्ध क्या निर्णय किया गया था ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी, हां ।

(ख) शासी निकाय ने यह निर्णय किया कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सचिव के पद पर किसी भी व्यक्ति को स्थायी रूप से नहीं बना रहना चाहिए ।

जापान द्वारा भारत से लौह अयस्क के आयात में कमी किया जाना

3265 **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत से लौह अयस्क का अपना आयात 13 से 20 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या उरोक्त निर्णय के कारण लगभग एक लाख लौह अयस्क श्रमिकों को जबरी छुट्टी हो जाने की आशंका है; और

(ग) यदि हां, तो ततसंबंधी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) इस्पात उद्योग में काफी मंदी आ जाने कारण जापान की स्टील मिलों ने भारत सहित सभी स्रोतों से लौह अयस्क आयात करने के अपने समग्र स्तर में लगभग 20% की कमी कर दी ह ।

(ख) और (ग) इन बातों को देखते हुए कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास लौह अयस्क का काफी स्टाक है, हाल में अतिरिक्त खनन परियोजनाएं चालू की गई हैं, जापान को किए जाने वाले निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है तथा इस समय विश्व में इस्पात उद्योग में आई काफी मंदी का रुख है, लौह अयस्क के श्रमिकों की जबरी छुट्टी करना अपरिहार्य है ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा स्टाफ बस की व्यवस्था

3266. **श्री मनोहर लाल** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दिल्ली स्टाफ के रिहाइशी स्टाफ क्वार्टर कार्यालय से 12 से 17 किलोमीटर की दूरी पर है;

(ख) क्या वर्तमान नियमों के अनुसार यदि स्टाफ क्वार्टरों और कार्यालय के बीच 8 किलोमीटर से अधिक दूरी हो तो कर्मचारियों को मुआवजा देना पड़ता है और इस संबंध में मुख्यालय का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों को उससे क्यों वंचित रखा गया है और क्या सरकार राजधानी की परिवहन समस्या पर विचार करेगी और पैसा जमा करवाने वाले लोगों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए संगठन से अपनी स्टाफ बस की व्यवस्था करने के लिए कहेगी या कर्मचारियों को मुआवजा देने के लिये मंत्रालय में पहले से विचाराधीन प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान करेगी; और

(घ) भूतलक्षी प्रभाव से कर्मचारियों को मुआवज़ा देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और इसमें कितना समय लगेगा ?

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) पता चला है कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने एक प्रस्ताव भेजा है । इसके प्राप्त होने पर सरकार इस पर विचार करेगी ।

परमाणु हथियारों के प्रसार पर रोक

3267. **श्री अघन सिंह ठाकुर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 विकसित देशों ने एक ग्रुप बनाया है और उनमें विकासशील देशों द्वारा परमाणु हथियारों के प्रसार पर कथित रोक लगाने के लिए समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और उस समझौते का भारत द्वारा परमाणु ऊर्जा टेक्नोलौजी और परमाणु ईंधन के आयात पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या विकसित देशों के इस प्रयास को विफल करने के लिए विकासशील देशों से भी कोई समझौता करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) निम्नलिखित 15 देशों ने परमाणु आपूर्तिकर्ता दल (तथाकथित लंदन क्लब) का संगठित किया है जिसका उद्देश्य परमाणु-हथियार-रहित देशों को परमाणु सामग्री, उपस्कर तथा तकनीक के निर्यात के संबंध में अपनी नीतियों में समन्वय स्थापित करना है : संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, जर्मन संघीय गणराज्य, जापान, स्वीडन, इटली, बेल्जियम, नीदरलैण्ड, जर्मन जनवादी गणराज्य, चेकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, तथा स्वीटज़रलैण्ड । इन देशों में एक प्रकार के दिशानिर्देशों पर सहमति हो गई है जिसका पालन वे परमाणु-हथियार-रहित देशों को परमाणु सामग्री, उपस्कर तथा तकनीक के निर्यात के संबंध में करेंगे । इस प्रकार के किसी भी समझौते से भारत जिसे विकासशील देशों द्वारा परमाणू ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के आयात में बाधा पहुंच सकती है ।

(ग) विकासशील देशों ने इस संबंध में अब तक कोई सामूहिक प्रयास नहीं किया है ।

इस्पात की उत्पादन लागत में कमी

3268. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों ने उत्पादन लागत कम करने के लिये क्या कार्यवाही की है ;

(ख) इन उपायों के परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में कितनी कमी हुई है ; और

(ग) इस्पात उत्पादन में प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कुछ नये तरीके लागू करके उत्पादन लागत कम करने के लिये प्रस्तावित सामूहिक अभियान का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) इस्पात उत्पादन की लागत में कमी करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने इसे प्राप्त करने के लिए कई उपाय कर रहे हैं जैसे—उत्पादन और उत्पादिता में वृद्धि करना, क्षमता का अधिक उपयोग करना, अनुसंधान और विकास कार्यक्रम लागू करना, कीमती कच्चे माल का कम उपयोग करना, माल की बर-बादी तथा कच्चे माल की कीमत पर कड़ा नियंत्रण रखना आदि-आदि ।

(ख) अनुमान लगाया गया है कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात कारखानों में वर्ष 1977-78 में इन उपायों के फलस्वरूप लगभग 3.7 करोड़ रुपये का लाभ होगा। लेकिन कच्चे माल की लागत में वृद्धि तथा मूल्य वृद्धि के अन्य कारणों से जिस पर इस्पात संयंत्रों का नियंत्रण नहीं है, इस लाभ का कोई प्रभाव नहीं हुआ है।

(ग) कुछ मुख्य-मुख्य प्रौद्योगिक नवीकरण/सुधार जिन्हें लागू किया जा चुका है/लागू करने का प्रस्ताव है/जिनसे उत्पादन लागत में कमी आयेगी नीचे दिये गये हैं :—

(1) एल० डी० कन्वर्टरों की लाइनिंग अवधि में वृद्धि ।

(2) अकोककर कोयले की धूलि का उपयोग करके धमन भट्टियों में कोक की खपत में कमी करना ।

(3) धमन भट्टियों में तापमान बढ़ाना, हाई टाप प्रेशर सिन्टर का अधिक प्रयोग तथा विशिष्ट साइज के कच्चे माल का उपयोग ।

(4) धातुमल में एम० जी० ओ० की मात्रा बढ़ाकर धमन भट्टियों की उत्पादिता में वृद्धि करना ।

इनके अलावा स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के अनुसंधान और विकास संगठन ने कुछ अन्य अनुसंधान कार्यक्रम भी शुरू किए हैं।

आल इण्डिया स्टेनलैस स्टील इण्डस्ट्री एसोसिएशन से शुल्क से छूट की योजना के बारे में सुझाव

3269. **श्री माधवराव सिन्धिया**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इंडिया स्टेनलैस स्टील इंडस्ट्री एसोसिएशन से शुल्क से छूट की योजना के बारे में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां तो इन सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) (क) जी हां।

(ख) आल इंडिया स्टेनलैस स्टील इन्डीस्ट्रीज एसोसिएशन से प्राप्त हुए सुझाव संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) शुल्क में छूट योजना के अन्तर्गत आने वाली मदें प्रंजीकृत निर्यातकों की आयात नीति का ही एक भाग है। वर्ष 1978-79 के लिए इस नीति को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है और नीति बनाते समय आल इंडिया स्टेनलैस स्टील इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सुझावों सहित सभी संबंधित पहलुओं पर विचार किया जायगा ।

विवरण

आल इंडिया स्टेनलैस स्टील इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सुझाव

1. बेदाग इस्पात के उत्पादों के निर्माता निर्यातकों को निर्यात आर्डर प्रस्तुत किए बिना शुल्क में छूट योजना के अन्तर्गत आटोमेटिक इम्प्रेस्ट लाइसेंस दिए जाएं।
2. उत्पादन लागत में अप्रत्यक्ष करों तथा अन्य खर्चों के जुड़ जाने के लिए निर्यातकों की क्षतिपूर्ति करने के लिए शुल्क में छूट योजना के अन्तर्गत निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक वास्तविक मात्रा से कुछ अधिक मात्रा में बेदाग इस्पात के आयात की अनुमति दी जाए।
3. शुल्क में छूट योजना के अन्तर्गत मिलने वाले कच्चे माल की मात्रा पहले निश्चित की जानी चाहिए ताकि निर्यातकों को शुल्क में छूट प्रमाण-पत्र के लिए हर बार राजस्व विभाग के पास न जाना पड़े।
4. खनिज तथा धातु व्यापार निगम को निर्यात उत्पादन के लिए निःशुल्क माल देने के लिए माल का आयात करके आबद्ध भांडागार में रखना चाहिए।
5. निर्यातकों को शुल्क में छूट योजना के अन्तर्गत पहले दी गई आयात की अनुमति के अलावा शेष आयात से पूर्ति यदि कोई हो, की भी अनुमति दी जाए।
6. शुल्क में छूट योजना के अन्तर्गत आवेदनों पर विचार करने सम्बन्धी कार्य का विकेन्द्रीकरण किया जाए।
7. थोक में आयात करने तथा निर्यात और आयात कार्य पर निगरानी रखने के लिए एसोसिएशन की सेवाओं का लाभ उठाया जाए।

चीन के कब्जे में भारतीय क्षेत्र

3270. **श्री अहसान जाफरी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत का कितने किलोमीटर क्षेत्र अभी तक चीन के कब्जे में है;

(ख) क्या चीन के कब्जे में भारतीय क्षेत्र सम्बन्धी आंकड़ों में कोई भिन्नता है; यदि हां, तो वह वास्तविक भू-क्षेत्र कितना है जिसको चीन से वापिस लेने के लिए भारत का दावा सही है; और

(ग) क्या भारत सरकार को मालूम है कि पाक-अधिकृत काश्मीर का एक भाग पाकिस्तान सरकार ने हमारी सीमाओं पर सड़कें बनाने के लिए चीन को दे दिया है; यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू) : (क), (ख) और (ग) लद्दाख क्षेत्र के लगभग 14,500 वर्ग मील भारतीय प्रदेश पर चीन का गैरकानूनी कब्जा है। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान और चीन के बीच हुए एक गैर कानूनी सीमा समझौते के फलस्वरूप काराकोरम के पश्चिम में 2000 वर्गमील के भारतीय प्रदेश पर भी चीन का कब्जा है। भारत सरकार पंचशील के आधार पर सीधे द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा शांतिपूर्ण तरीकों से इन भारतीयों प्रदेशों की वापसी की कोशिश कर रही है।

बन्द पड़े अथवा घाटे पर चल रहे लघु इस्पात संयन्त्र

3271. **डा० बी० ए० सैयद मोहम्मद :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह समाचार सच है कि हाल के वर्षों में स्थापित किए गए लघु इस्पात संयंत्र या तो बन्द हो गए हैं अथवा भारी घाटे पर चल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी स्थिति होने के कारण बताएगी तथा इस स्थिति को सुधारने के लिए उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालयों में अपर डिवीजन क्लर्कों और हैड क्लर्कों में असमानताएं

3272. **श्री मनोहर लाल** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में अपर डिवीजन क्लर्कों को 15 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद भी पदोन्नति के लिये आगे अवसर नहीं मिलता है जबकि केन्द्रीय कार्यालय में अपर डिवीजन क्लर्कों की पांच वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले ही पदोन्नति हो जाती है तथा केन्द्रीय कार्यालय के चपरासियों की एसिस्टेंट और सुपरिन्टेंडेंट के पदों पर पदोन्नति हुई है जबकि क्षेत्रीय कार्यालयों में ऐसा कोई मामला नहीं है ; और

(ख) क्या क्षेत्रीय कार्यालयों के हैड क्लर्क 10 से 12 व्यक्तियों का पर्यवेक्षण कर रहे हैं जबकि केन्द्रीय कार्यालय के वही वेतन पाने वाला एसिस्टेंट क्षेत्रीय कार्यालय के अपर डिवीजन क्लर्क से भी बहुत कम काम कर रहा है तथा 550 रुपये के वेतन-मान के सुपरिन्टेंडेंट क्षेत्रीय कार्यालय के हैड क्लर्कों की तुलना में केन्द्रीय कार्यालय में कम कर्मचारियों के काम का पर्यवेक्षण करते हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रामकृपाल सिंह) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में उच्च श्रेणी लिपिक/हैड क्लर्क के संवर्गों में पदोन्नति क्षेत्रवार आधार पर की जाती हैं। तथापि पदोन्नति पात्रता संबंधी शर्तों की पूर्ति तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय में रिक्त स्थानों के उपलब्ध होने पर निर्भर करती हैं।

(ख) प्रचलित मापदण्डों के अनुसार, एक हैडक्लर्क को लेखा विभाग में 10 क्लर्कों तथा प्रवर्तन और प्रशासन विभाग में बारह क्लर्कों का पर्यवेक्षण करना होता है। प्रधान कार्यालयों में सहायकों का काम क्षेत्रीय कार्यालय के उच्च श्रेणी लिपिकों के काम से भिन्न है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों में असिस्टेंट के पद का निर्माण

3273. **श्री मनोहर लाल** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्टाफ की व्यवस्था की जाती है परन्तु केन्द्रीय कार्यालय में कोई मापदण्ड नहीं है और न ही वहां निम्न तथा उच्च संवर्ग के बीच कोई अनुपात है तथा लगभग 40 व्यक्ति 425 रुपये के वेतनमान में जो ग्रेड 1 क्षेत्र के हेड क्लर्कों से संख्या में अधिक हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्षेत्रीय कार्यालयों से मुख्यालय में स्टाफ न लिए जाने के क्या कारण हैं और क्षेत्रीय कार्यालय के हेड क्लर्कों को केन्द्रीय कार्यालय के सुपरिन्टेन्डेंट के बराबर न मानने और क्षेत्रीय कार्यालयों में असिस्टेंट के पद का निर्माण न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा इसमें कितना समय लगेगा ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए मापदण्ड क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में ती निर्धारित किया गया है, परन्तु प्रधान कार्यालय के संबंध में नहीं प्रधान कार्यालय में 425-640 रूपये के वेतन-मान में सहायकों के संवर्ग में 41 पद हैं और ग्रेड-1 क्षेत्रों में 425-700 रूपये के वेतनमान में हैंड क्लर्कों के 128 पद हैं । प्रधान कार्यालय के सहायकों के काम का स्वरूप ग्रेड-1 क्षेत्रों हैंड क्लर्कों के काम के स्वरुप से भिन्न हैं ।

(ख) क्षेत्रीय कार्यालयों के कुछ ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त कर ली, कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारि वर्ग और सेवा की शर्तों) विनियम, 1962 के उपबन्धों के अध्याधीन प्राधान कार्यालय में रख लिया गया है। बहुत कम मामलों में प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण कर्मचारियों को क्षेत्रीय कार्यलयों से प्रधान कार्यालय में स्थानान्तरित भी किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों के हैंड क्लार्कों के काम का स्वरुप और उनके वेतनमान केन्द्रीय कार्यालय के अधीक्षकों के काम के स्वरुप तथा वेतनमानों से भिन्न हैं।

(ग) इस संबध में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने कुछ सिफारिशें की हैं। जब केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होंगे, तब सरकार उक्त सिफारिशों पर विचार करेगी।

अतारांकित प्रश्न संख्या 4073 दिनांक 15-12-1977 के बारे में शुरू करने वाला विवरण

CORRECTING STATEMENT REG. U.S.Q. DT. 15-12-77

रेड क्रास के कर्मचारियों की प्रधान मंत्री के साथ बैठक के बारे में

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : 15-12-77 को लोक सभा में रखे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4073 में श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा निम्नलिखित पूछा गया था :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में इंडियन रेड क्रास के कुछ कर्मचारियों ने प्रधान मंत्री के साथ भेंट की थी और वे रेड क्रास से संबंधित कुछ मामले उनके ध्यान में लायें ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रधान मंत्री ने कुछ पदाधिकारियों को त्याग पत्र देने के लिये अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उनके निदेश का पालन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

इस प्रश्न के भाग 'क' और 'ख' के उत्तर में जो उल्लेख किया गया था वह इस प्रकार है:—

(क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

इससे पहले दिये गये उत्तर को ठीक करनेका विचार है।

इस प्रश्न के कवल भाग 'क' और 'ख' में दिये गये उत्तर को नीचे लिखे अनुसार ठीक करने की कृपा करें:

(क) जी हां।

(ख) उन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें भारतीय रेड क्रास संस्था द्वारा कुछ गलत कार्य किये जाने का आरोप लगाया गया था और रेड क्रास की प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिये आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया था। इस ज्ञापन की प्राप्ति सूचना प्रधान मंत्री के कार्यालय द्वारा दी गई थी ।

यह गलती भूल से हो गई थी क्योंकि दैनिक कार्यक्रम में इस का कोई उल्लेख नहीं था और इस तरह विशेषाधिकार भंग नहीं होता है।

देरी के कारण

चूंकि इन तथ्यों के बारे में प्रधान मंत्री के कार्यालय से दुबारा पता लगाया जाना था इसलिए इस में कुछ समय लग गया और 7 दिन की निर्धारित अवधि में उत्तर को ठीक नहीं किया जा सका । इन परिस्थितियों में हुए इस विलम्ब के लिए क्षमा करने की कृपा की जाए।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में

RE : APPOINTMENT OF CHIEF JUSTICE OF ALLAHABAD HIGH COURT

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : सदस्यगण मुख्य न्यायाधीश की विवादाग्रस्त नियुक्ति के बारे में मंत्री महोदय द्वारा एक वक्तव्य दिये जाने की मांग कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं। मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लम्बित है।

श्री यशवन्त राव चह्वाण (सतारा) : सदस्यगण कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में एक वक्तव्य की मांग कर रहे हैं। तथ्य बताने में क्या कठिनाई है ? इस बारे में वक्तव्य क्यों नहीं दिया जा रहा ? आप मंत्री महोदय को इस बारे में एक वक्तव्य देने के लिये कहें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री सभा में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की विवादास्पद नियुक्ति के बारे में वक्तव्य देने के लिये तैयार हैं?

अध्यक्ष महोदय : यदि प्रधान मंत्री वक्तव्य देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सौगत राय : मैंने स्वास्थ्य मंत्री श्री राजनारायण के विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है। उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : यह मुझे अभी-अभी प्राप्त हुई है।

बिहार की स्थिति के बारे में

RE : SITUATION IN BIHAR

श्री वी० एम० सुधीरन (अलेप्पी) : बिहार में स्थिति बिगड़ती जा रही है। बिहार में साम्प्रदायिक दंगों की आशंका बढ़ गई है। कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने में राज्य सरकार पूर्णतया असफल रही है।

श्री सौगत राय : बिहार की स्थिति पर मेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का क्या हुआ ? राज्य सभा में इस पर चर्चा हो चुकी है परन्तु हमें अवसर नहीं मिल रहा है।

श्री हितेन्द्र देसाई (गोधरा) : महोदय, आप बिहार पर चर्चा के लिये सहमत हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। मैंने कहा था कि मैं इस बारे में स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता क्योंकि यह राज्य का विषय है।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैंने नियम 193 के अधीन सूचना दी है । यदि आप अनुमति देते हैं तो इसमें अधिक सदस्य भाग ले सकेंगे। मेरे विचार में प्रधान मंत्री को दिन के अन्त में एक घंटे की चर्चा पर कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरा सुझाव है कि आप ध्यान आकर्षण के स्थान पर नियम 193 के अधीन चर्चा की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर विचार करूंगा।

आकाशवाणी द्वारा सदन की कार्यवाही संबंधी प्रसारण के बारे में

RE : COVERAGE OF PROCEEDINGS OF THE HOUSE IN A.I.R. BROADCASTS

Shri Ram Vilas Paswan (Hajipur) : I am pained to say that A.I.R. is still adopting partisan attitude in regard to broadcasts. Names of important Members only are broadcast. Yesterday many of us spoke on General Budget but our names were missing in English broadcast. Due and proper coverage is not given to our speeches in Parliament.

I want that a policy be laid down in this regard so that feelings and views expressed by Members here are given proper and due coverage and presented before the people in correct form. No distorted version should be presented before the people. The hon. Minister should make a clarification in this regard.

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बारे में समाचार को पहले से लिख दिया है। मैं सम्बन्धित मंत्री को भी लिखूंगा।

श्री बी० पी० मंडल (माधेपुरा) : जहां तक समाचार साधनों का सम्बन्ध है, ये आपातस्थिति के दिनों की तरह ही चल रहे हैं। इनमें केवल मंत्रियों के नामों का उल्लेख होता है और वाद-विवाद में भाग लेने वाले संसद सदस्यों का नहीं होता। यह ठीक नहीं है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के प्रमाणित वार्षिक लेखे और खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 1978

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1976-77 के प्रमाणित वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल०टी०-1803/78]

(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (दूसरा संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 8 फरवरी, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 70(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल०टी० 1804/78]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचनाएं वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फीकारुल्ला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या 81/78 सी०ई० (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 15 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल०टी०-1818/78]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 65-कस्टम्स (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 16 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल०टी० 1819/78]

ध्यान आकर्षण सूचनाओं (प्रक्रिया) के बारे में

RE : CALLING ATTENTION NOTICES (PROCEDURE)

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लिया जायेगा।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। नियम 197(5) के अधीन ध्यान आकर्षण की सभी सूचनाएं, यदि वे नियत बैठक में नहीं ली जाती तो व्ययगत हो जायेंगी; बशर्ते कि अध्यक्ष ने उनमें से किसी को दूसरी बैठक के लिये गृहीत न किया हो। मैंने आपको लिखा है कि यह प्रक्रिया सदस्यों के हित में नहीं है क्योंकि यदि किसी सदस्य द्वारा दी गई ध्यान आकर्षण की सूचना उस दिन के लिये रद्द हो जाती है और यदि उसी विषय पर आप अगले दिन एक दूसरी सूचना गृहीत करते हैं, तो आप उस सदस्य को अवसर नहीं दे रहे हैं। मेरा सुझाव है कि नियम 197(5) का कड़ाई से पालन हो और सदस्यों को समान अवसर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रक्रिया का पालन कर रहा हूं। परन्तु होता यह है कि किसी वाद के दिन यदि कोई सूचना दर्ज होती है तो बहुत से सदस्य सूचना देना शुरू कर देते हैं और जब बैलट होता है तो पहले सूचना देने वाले सदस्य के नाम को बैलट में स्थान नहीं मिल पाता। मैं नियमों का पालन कर रहा हूं। नियम में परिवर्तन करते समय हम इस पर विचार करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि सदस्यों के पास संसाधन होते तो आपके नोटिस आते। अतः आप सदस्यों की कठिनाइयां महसूस करें।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

प्रधान मंत्री और चीन के सद्भावना शिष्ट मंडल के बीच हुई बातचीत

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

चीन के सद्भावना शिष्ट मण्डल से हाल में हुई उनकी वार्ता जिसमें चीनी प्रतिनिधियों ने प्रधान मंत्री से कहा बताया जाता है कि चीन सरकार भारत-चीन सीमा विवाद को आपसी और शांतिपूर्ण बातचीत द्वारा हल करने की इच्छुक है।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जैसा कि सदन को मालूम है, 1976 के बाद कई मौके मिले हैं, जिनके परिणामस्वरूप हमारे और चीनी जनगणराज्य के बीच संबंधों में सुधार हुये हैं। यह प्रक्रिया राजदूतों के आदान-प्रदान से शुरू हुई। उसके बाद से पारस्परिकता तथा आपसी हित के सिद्धांतों पर आधारित कई कदम उठाये गये हैं, जिनमें व्यापार तथा नौ-परिवहन सम्पर्क फिर से आरम्भ करना, विविध कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञ स्तरीय प्रतिनिधि-मण्डलों और अधिकारियों का आदान-प्रदान भी शामिल है।

सितम्बर, 1977 में अखिल भारतीय डा० कोटनीस स्मारक समिति ने 1977-78 के जाड़े के महीनों में चाइनीज पीपुल्स एसोसियेशन फार फ्रेंडशिप विद फारेन कन्ट्रीज के प्रतिनिधिमण्डल को भारत आने का निमंत्रण देने के लिए सरकार की अनुमति मांगी। भारतीय समिति ने 1974 और 1976 में दो मौकों पर चीनी पक्ष के निमंत्रण पर चीन की यात्रा की थी। श्री वांग पिन-नान जो कि चाइनीज

पीउपुल्स एसोसियेशन फार फ्रेंडशिप विद फारेन कन्ट्रीज के अध्यक्ष तथा एक अनुभवी राजनयिक हैं, के नेतृत्व में चीनी प्रतिनिधिमण्डल की वर्तमान यात्रा भारतीय संस्था के इस निमंत्रण पर हुई। सरकार ने इस यात्रा को सुगम बनाया और मुनासिब शिष्टता दिखाई।

चीनी नेता माननीय श्री वांग पिन-नान की प्रतिष्ठा को देखते हुए और पंचशील सिद्धांत के आधार पर चीन के साथ संबंधों को सुधारने की इच्छा से उनका तथा उनके प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों का स्वागत करने का मैंने निश्चय किया। 11 मार्च, 1978 को यह बैठक हुई। प्रारम्भ में, 8 मार्च, 1978 को विदेश मंत्री ने श्री वांग पिन-नान तथा चीनी प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्यों का स्वागत किया।

श्री वांग पिन-नान के साथ अपनी बैठक के दौरान मैंने सभी देशों, खास करके अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बढ़ाने की भारत सरकार की संगत नीति दोहराई। इस प्रसंग में, हमने भारत और चीन के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सम्बन्ध बढ़ाने की समीक्षा की। हम इस बात पर सहमत हुए कि भारत और चीन के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आदान-प्रदान का विस्तार किया जाये। इस मौके पर मैंने भारत की आजादी मिलने के समय से अपने संबंधों के इतिहास, चीन के प्रति भारत सरकार तथा जनता के सुसंगत मित्रतापूर्ण रवैये और पिछली चीनी लड़ाई से उत्पन्न तनाव का संक्षेप में जिक्र किया। इस प्रसंग में, सीमा के सवाल पर संक्षेप में बातचीत हुई और मैंने कहा तथा श्री वांग इस बात से सहमत हुये कि सभी महत्वपूर्ण मामले, जिनमें सीमा का सवाल शामिल है, पंचशील के आधार पर सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिये सुलझाये जा सकते हैं। मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि संबंधों को तब तक पूरी तरह सामान्य नहीं बनाया जा सकता जब तक कि सीमा-विवाद का महत्त्वपूर्ण मामला शांतिपूर्ण तरीके से विचार-विमर्श के जरिये आपसी संतोष से सुलझाया नहीं जाता।

विदेश मंत्री तथा श्री वांग पिन-नान के नेतृत्व में चीनी प्रतिनिधि-मण्डल के बीच हुई बैठक के दौरान, श्री वांग पिन-नान ने चीनी विदेशी मंत्री, माननीय श्री हुआंग हुआ की ओर से हमारे विदेश मंत्री को सुविधानुसार चीन आने का निमंत्रण दिया। यह निमंत्रण सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया गया। चीनी पक्ष को यह सूचित कर दिया गया है कि यह यात्रा उचित तैयारी के बाद उपयुक्त समय पर ही हो सकती है।

दोनों देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों के खातिर शांतिपूर्ण हल निकालने की इच्छा पर सहमति प्रगट करते हुये सीमा के सवाल पर आगे कोई बातचीत नहीं हुई।

हमारी नीति, निःसन्देह जैसा कि विदेश मंत्री तथा मैंने बार-बार कहा है, यह रही है कि उस पंचशील सिद्धांत के आधार पर चीन के साथ लाभदायक द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की कोशिश की जाये, जैसा कि दो बड़े एशियाई पड़ोसी देशों के बीच होना उचित है, जिसकी आधारशिला पांचवीं दशाब्दी के प्रारम्भ में भारत और चीन के द्वारा रखी गई थी और जिसके पालन पर श्री वांग ने भी बल दिया।

श्री हरि विष्णु कामत : सन्तोष का विषय है कि प्रधान मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया है कि चीन और भारत के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए सीमा विवाद का सन्तोषजनक हल निकालना अनिवार्य है । उन्होंने यह भी कहा है कि यह विवाद पंचशील के आधार पर शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जाना चाहिए । लेकिन पंचशील का एक सिद्धान्त किसी पर आक्रमण नहीं करना है । इस सिद्धान्त के अन्तर्गत चीन ने हमारी भूमि पर जो कब्जा किया हुआ है क्या वह उसे खाली करेगा? लेकिन आप को ध्यान होगा कि 14 नवम्बर, 1962 को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने एक संकल्प प्रस्तुत किया था कि भारतीय जनता का यह दृढ़ निश्चय है कि वह भारत की पावन भूमि से आक्रमक को हटायेगी।

अब पंचशील को भारत और चीन के बीच वार्तालाप का आधार बनाया गया है। क्या अन्य देश भी भूमि पर आक्रमण न करने का सिद्धान्त यहां लागू होता है और क्या उक्त संकल्प अब भी लागू होता है ? पंचशील को मानने वाले सभी देशों और कोलम्बो कांफ्रेंस के देशों की सरकारें बदल गई हैं। क्या कोलम्बो प्रस्तावों को फिर से लागू किया जा सकता है और क्या वे प्राथमिक वार्ता का आधार बन सकते हैं ? क्या मैकमोहन सीमा को जिसे चीनी सरकार ने उस समय माना था, चर्चा का एक आधार बनाया जायेगा क्योंकि उस समय मैकमोहन सीमा रेखा ही दोनों देशों की सीमा थी ? समतल भूमि पर कोई सीमा रेखा न होने के कारण ही यह विवाद उठा है और आज की स्थिति भी वैसी है कि मानचित्र में पूर्व में मैकमोहन सीमा रेखा ही विद्यमान है और भूमि पर कोई सीमा रेखा नहीं है।

श्री मोरारजी देसाई : वार्ता में हमने कोलम्बो योजना समझौते या किसी अन्य बात का उल्लेख नहीं किया क्योंकि हमने इस मामले पर आगे कोई चर्चा नहीं की।

जहां तक सदन द्वारा पारित संकल्प का सम्बन्ध है हम सभी उसका पालन करने के लिए वचन-बद्ध हैं। इसमें मैं केवल एक ही परिवर्तन करूंगा कि "निकालना" शब्द के स्थान पर "खाली कराना" प्रतिस्थापित किए जाने चाहिए। मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि जब तक यह प्रश्न हल नहीं होगा सम्बन्ध घनिष्ठ नहीं होंगे। उन्होंने भी कहा है कि "हम भी इसे हल करना चाहते हैं।" हमें देखना यह है कि वे इस विवाद को कैसे हल करना चाहते हैं।

जहां तक मैकमोहन सीमा रेखा का सम्बन्ध है इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। जब भी यह मामल आयेगा हम इस पर पूरा विचार करेंगे और इसे हल करने का प्रयास करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि यह सदा के लिए हल कर लिया जाये। यह पारस्परिक सन्तोष से ही हो सकता है। जब तक हमें सन्तोष नहीं होता विवाद हल नहीं होगा। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रधान मंत्री सदन को आश्वासन देंगे कि यह विवाद द्विपक्षीय वार्तालाप से हल किया जायेगा और किसी देश या सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करने दिया जायेगा ?

श्री मोरारजी देसाई : हम किसी देश के साथ उठे विवाद में तीसरे देश को हस्तक्षेप नहीं करने देंगे।

सभापति तालिका
PANEL OF CHAIRMEN

अध्यक्ष महोदय मैं सभा को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 9 के अधीन मैंने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका में नाम निर्दिष्ट किया है :—

(1) श्री धीरेन्द्रनाथ बसु
(2) श्रीमती पार्वती कृष्णन
(3) डा० सुशीला नायर
(4) श्री राम मूर्ति
(5) श्री एम० सत्यनारायण राव
(6) श्री एन० के० शेजवलकर

विदेश मंत्री की मारीशस यात्रा के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE: EXTERNAL AFFAIRS MINISTER'S VISIT TO MAURITIUS

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : मारीशस के प्रधान मंत्री सर शिवसागर रामगुलाम निमंत्रण पर मैं मारीशस की स्वतंत्रता की दसवीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेने के लिए मारीशस गया और 10 से 14 मार्च तक वहां रहा।

भारत और मारीशस के बीच जो निकट मित्रतापूर्ण और ऐतिहासिक संबंध हैं उनसे सदन अवगत है । मारीशस के अधिकांश निवासियों और भारत के लोगों के बीच जातीय संपर्क ने एक ऐसा संबंध स्थापित कर दिया है जो सघन सांस्कृतिक सम्पर्कों के माध्यम से विगत वर्षों में निरन्तर बना रहा है और आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकि क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए सक्रिय सहयोग के माध्यम से हमारा यह संबंध एक सामयिक प्रासंगिकता ग्रहण कर रहा है । मारीशस हमारा पड़ौसी है जो हिन्दमहासागर के माध्यम से हमसे जुड़ा है । मारीशस अफ्रीकी एकता संगठन का एक सक्रीय सदस्य है और हमारी ही तरह गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के भ्रातृ समुदाय का भी एक सदस्य और एक विकासशील देश है, जिसके सामने हमारी ही तरह की समस्याएं हैं। इसलिए मारीशस यात्रा के निमंत्रण को मैंने अत्यन्त प्रसन्नता और दायित्व-भाव से स्वीकार किया ।

मारीशस पहुंचने से पूर्व रास्ते में मैं सशैल्स की राजधानी माही में रुका । सशैल्स के विदेश मंत्री श्री गोसीमोन हवाई अड्डे पर मुझसे मिले और हमारे पास जो थोड़ा सा समय था उसका उपयोग करके हमने कृषि, शिक्षा, लघु उद्योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत और सशैल्स के बीच सहयोग स्थापित करने तथा उसे और सुदृढ़ करने की सम्भावनाओं पर विचार विनिमय किया । सशैल्स के पत्तन एवं निर्माण कार्य मंत्री, श्री ल्वाजो के नेतृत्व में हाल ही में जो प्रतिनिधिमंडल वहां से आया था उसकी यात्रा के दौरान सहयोग के विशिष्ट क्षेत्र तय किए गए हैं।

शुक्रवार, 10 मार्च को अपराह्न जब मैं मारीशस के विमान से उतरा तो हवाई अड्डे पर मारीशस के प्रधान मंत्री सर शिव सागर रामगुलाम तथा श्रीमती रामगुलाम और उनके मंत्रीमंडल के अन्य कई सहयोगियों और मारीशस के विभिन्न वर्गों के असंख्य लोगों को देखकर मैं गद्‌गद् हो गया । हवाई अड्डे पर मैंने जो संक्षिप्त वक्तव्य दिया उसमें मैंने कहा कि जब तक आकाश में सूर्य और चन्द्र हैं तब तक मारीशस स्वतंत्र रहेगा। मैंने यह भी कहा कि जब तक हिन्द महासागर का जल भारत और मारीशस के तटों का स्पर्श करता रहेगा तब तक भारत और मारीशस की मित्रता के अटूट संबंध निरन्तर विकसित और सुदृढ़ से सुदृढ़तर होते रहेंगे।

मारीशस के अपने प्रवास के दौरान मुझे मारीशस का प्रायः प्रत्येक भाग देखने का अवसर मिला और मारीशस की जनता के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलने का अवसर मिला जो, जैसा कि सदन को ज्ञात ही है । संस्कृति, धर्म और भाषा की विभिन्नता के बावजूद एक राष्ट्र के रूप में उभरने में सफल हुए हैं। मैंने प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए भोज में भी यह बात कही थी कि मारीशस मानव परिवार की आधारभूत एकता का जीता-जागता प्रमाण है ।

मैं महात्मा गांधी संस्थान में भी गया जो कि भारतीय अध्ययन, संस्कृति और परम्परा के एक केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने के उद्देश्य से हमारी सहायता से 1975 में स्थापित किया गया था। इस संस्थान में एक अच्छा पुस्तकालय और एक मुद्रणालय पहले से ही है और यह एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी चला रहा है जहां शिक्षा का माध्यम हिन्दी है । निकट भविष्य में इस संस्थान में भारतीय अध्ययन और अन्य प्राच्य अध्ययनों का एक पूर्ण विकसित केन्द्र स्थापित हो जाएगा ।

अपनी यात्रा के दौरान मैंने मारीशस के नेताओं के साथ अन्तर्राष्ट्रीय मामलों और द्विपक्षीय संबंधों के विषय में व्यापक रूप से चर्चा की। हिन्द महासागर को शान्ति के क्षेत्र के रूप में स्थापित करने और इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए तटवर्ती और पश्च राज्यों का सम्मेलन बुलाने से संबद्ध प्रश्न के बारे में हमारे दृष्टिकोणों में पूर्ण समानता थी। हमारे दोनों देश हिन्द महासागर संबंधी संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति की रूपरेखा के अन्तर्गत एक दूसरे से सहयोग करेंगे और इस बात का सुनिश्चय करने का प्रयत्न करेंगे कि सभी बड़े राष्ट्र और नौवहन की दृष्टि से हिन्द महासागर का उपयोग करने वाले सभी प्रमुख देश इस प्रस्तावित सम्मेलन में हिस्सा लें।

सुरक्षा परिषद में जिमबाबे पर चल रहे विचार विमर्श पर हम लोगों ने बात-चीत की और हम इस बात पर सहमत हुए कि वास्तविक बहुसंख्यक अफ्रीकी शासन को सत्ता का प्रभावशाली, समयबद्ध और संवैधानिक हस्तांतरण करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ।

हम इस बात पर भी सहमत थे कि दक्षिण अफ्रीका के षड़यंत्र और चालबाजियों के परिणाम-स्वरूप नामिबीया की समस्या के आन्तरिक समाधान के विकास को रोकने के लिए हर तरह से प्रयास किया जाना चाहिए । हम इस बात पर भी सहमत थे कि अगले महीने संयुक्त राष्ट्र के विशेष अधिवेशन में जब नामिबीया का प्रश्न उठे तो गुट निरपेक्ष देशों को मिल कर प्रयास करना चाहिए ।

मैंने मारीशस के नेताओं से कहा कि अफ्रीका के शृंग भाग में संघर्ष जारी रहने से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और तनाव शैथिल्य के वातावरण में जो सामान्य सुधार आया है वह तो दूषित होगा ही उसके अति-रिक्त इसकी वजह से हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की होड़ भी बढ़ेगी । हम इस बात पर सहमत थे कि इसका परस्पर स्वीकृत कोई राजनीतिक समाधान खोजा जाना चाहिए और इस प्रश्न पर अफ्रीकी एकता संगठन की ओर से मध्यस्थता के जो प्रयत्न चल रहे हैं उन्हें हर संभव समर्थन दिया जाना चाहिए।

पश्चिमी एशिया के संबंध में हमारा यह मत था कि ऐसी हर संभव कोशिश की जानी चाहिए जिससे कि लम्बे अरसे से चली आ रही इस समस्या के न्यायोचित समाधान की दिशा में जो प्रगति हो रही है उसे जारी रखने में सहायता मिले।

मैंने मारीशस के नेताओं को निरस्त्रीकरण की समस्या के प्रति अपना रवैया समझाया। मैंने उन्हें यह भी बताया कि विशुद्ध रूप से निरस्त्रीकरण की समस्या पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो विशेष अधिवेशन होने वाला है उसके लिए यह जरूरी है कि गुट निरपेक्ष देश अपनी एक निश्चित नीति तय करें और इस बात का सुनिश्चय भी करें कि इस दिशा में अपेक्षित अनुवर्ती कार्यवाही की अनदेखी नहीं हो। हम इस बात पर भी सहमत थे कि मई में काबुल में गुट निरपेक्ष देशों की जो बैठक होने वाली है उसमें निरस्त्रीकरण की समस्या पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये।

एक नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की स्थापना की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए हम इस बात पर सहमत थे कि इस संबंध में अब तक जो कदम उठाये गए हैं वे अपर्याप्त और मंद गति रहे हैं और विश्व अर्थव्यवस्था की अन्योन्याश्रयता के सभी पक्षों पर ध्यान रखा जाना चाहिए ।

जैसा कि सदन को ज्ञात है, हमारे तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत मारीशस एक महत्वपूर्ण लाभग्राही रहा है । वहां भारत के 49 विशेषज्ञ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। देश के टैक्नीकल और चिकित्सा कालेजों में विदेशी छात्रों को अपनी वित्तीय व्यवस्था स्वयं करके प्रवेश पाने वालों की योजना के अंतर्गत मारीशस सबसे बड़ा लाभग्राही रहा है। पूंजीगत सहायता की दिशा में 1975 में मारीशस को एक करोड़ 31 लाख रुपये का अनुदान दिया गया जिसका ज्यादातर उपयोग महात्मा गांधी संस्थान, औद्योगिक व्यापार प्रशिक्षण केन्द्र और मारीशीयन सेन्ट्रल इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा किया गया है। मारीशस को 5 करोड़ रुपये का पहले जो ऋण दिया गया था उसके अतिरिक्त हाल ही में 10 करोड़ रुपये का एक और नये ऋण पर सहमति हुई है । 84 प्रतिशत ऋण का इस्तेमाल पूंजीगत उपस्कर खरी-दने में, और शेष ऋण से कृषि संबंधी वस्तुयें खरीदने का विचार है । इसके अतिरिक्त, मारीशस के लिए भारत से वाणिज्यिक वाहन, मशीनरी, और औषधियों आदि की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए पिछले वर्ष 5 करोड़ रुपये का एक वाणिज्यिक ऋण भी दिया गया था।

भारत मारीशस के ग्यारह संयुक्त उद्यमों को अनुमोदित किया जा चुका है और इसमें से सात में तो पहले ही से काम हो रहा है । मारीशस के नेताओं के साथ अपनी बात-चीत में मैंने उन्हें बताया कि सिंचाई, भूमिजल-संसाधन, विद्युत उत्पादन, सम्प्रेषण और वितरण, शहरी और ग्रामीण जल आपूर्ति और सहायता तथा कृषि और पशुपालन के क्षेत्रों में और तकनीकी सहायता देकर हमें खुशी होगी ।

मारीशस से रवाना होने के दिन सवेरे मैंने और प्रधान मंत्री रामगुलाम ने आर्थिक, तकनीकी शैक्षिक एवं सांस्कृतिक सहयोग के लिए एक संयुक्त आयोग की स्थापना करने से संबद्ध करार पर हस्ताक्षर किए । इस संयुक्त आयोग की स्थापना से भारत और मारीशस के बीच विद्यमान निकट और मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा ।

मैं आश्वस्त हूँ कि भारत और मारीशस के बीच मित्रता से भारत और मारीशस के लोगों के लिए बहुत हितकर है और इससे इस क्षेत्र में जिसमें कि हम दोनों भी आते हैं, शान्ति और स्थिरता की स्थापना में सहयोग मिलेगा ।

कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

Motion re : 14TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से, जोकि सभा में 15 मार्च, 1978 को पेश किया गया, सहमत है ।"

श्री **ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर)** : कार्य मंत्रणा समिति में मैंने यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक सप्ताह में कम से कम तीन बार आधे घंटे की चर्चा रखी जाए । हम 6 बजे के बाद बैठने के लिए तैयार हैं हम सरकारी समय नहीं लेना चाहते ।

मैं 1967 से इस सभा का सदस्य हूँ । कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जोकि पहले कभी नहीं हुई । प्रश्नों को सेंसर किया जा रहा है प्रस्तावों को सेंसर किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि आप जानते हैं कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय किया है कि अनियत दिन वाले प्रस्तावों पर कोई चर्चा नहीं होगी और सभा ने इस निर्णय का अनुमोदन किया है । यह भी निर्णय किया गया है कि 6 बजे के बाद आधे घंटे की चर्चा हो सकती है लेकिन ऐसी चर्चा सप्ताह में एक बार से अधिक नहीं होगी ।

श्री बी० पी० मंडल (माधेपुरा) : मिजोरम के बजट के लिए एक घंटा समय नियत किया गया है यह बहुत ही कम है । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रतिवेदन समिति को वापस भेजा जाए और ताकि वह चर्चा के लिए अधिक समय दे सके । मिजोरम का सामरिक महत्व बहुत है यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है । अतीत में हमेशा इसकी उपेक्षा की जाती रही है । माननीय सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु ने भी मिज़ोरम की खड़ी फसलों को चूहों द्वारा क्षति पहुँचाए जाने के बारे में भी प्रश्न उठाया था । राज्य में अकाल की दशा बनी हुई है । श्री बरनाला ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है वह संतोषजनक नहीं है । कई सदस्यों का विचार है कि राज्य में सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा जाए जोकि वहाँ जाकर स्थिति का अध्ययन करे । गृह मंत्री स्वयं इस राज्य में गए थे और उन्होंने कहा राज्य में अकाल की स्थिति नहीं है लेकिन तथ्य यह है कि नौकरशाहों ने उन्हें कुछ देखने ही नहीं दिया और वह स्थिति का उचित विश्लेषण नहीं कर पाए । अतः मेरा अनुरोध है कि प्रतिवेदन समिति को वापस भेजा जाए ताकि बजट के वह और समय मिजोरम के बजट के लिए दे सके ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Mr. Speaker, Sir, it has been approved by the House that motion under rules 184 and 193 will not be taken up for discussion till the time, budget is passed with the result we are unable to dicuss all important matters here.

इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका कोई समाधान हो जाए चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में या अल्पावधि की चर्चा के रूप में हमें समय दिया जाए । पहली बार ही ऐसा हुआ है । नियम 194, 193 अथवा 377 के अंतर्गत चर्चा का मौका दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक वित्तीय कार्यवाही नहीं समाप्त होती तब तक कोई और चर्चा नहीं होगी और सभा ने यह बात स्वीकार कर ली है । श्री बी० पी० मंडल ने क्या बात उठाई और आप उसे कहां ले गए ।

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : कार्यमंत्रणा समिति ने कहा है कि जब तक वित्तीय विधेयक तथा अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त नहीं होती तब तक अन्य किसी भी मामले पर चर्चा नहीं होगी । इस प्रकार सरकार गैर सरकारी सदस्यों को उनके उचित और आधारभूत विशेषाधिकारों से वंचित कर रही है । मंत्री महोदय ने सरकारी कार्यवाही के आधिक्य के कारण जब भी मध्याह्न भोजन का समय समाप्त करने के लिए कहा हमनें हमेशा उनका साथ दिया और मैं शाम के 6 बजे तक बिना भोजन किए सभा की कार्यवाही में भाग लेता रहा हूँ और अब हम उन्हें कह रहे हैं कि हम 6 बजे के बाद कुछ अविलंबनीय महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करना चाहते हैं तो सरकार इसके लिए भी सहमत नहीं हो रही है । हमें 6 बजे के बाद आधे घंटे की चर्चा का मौका दिया जाए या कोई और ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर सकें।

श्री रवीन्द्र वर्मा: श्री मंडल ने कहा है कि मिजोरम के बजट पर चर्चा के लिए अधिक समय दिया जाए। कार्य मंत्रणा समिति ने जो चर्चा के लिए समय नियत किया है वह मिजोरम से संबंधित विषयों के महत्व का सूचक नहीं है । माननीय सदस्य ने कहा है कि मिजोरम में अकाल की स्थिति बनी हुई है इन सब मामलों को चर्चा के दौरान उठाया जा सकता। जितना समय दिया गया है वह कुछ घंटों के हिसाब से दिया गया है जिसके अन्दर हमें वित्तीय कार्यवाही एक निश्चित तिथि तक पूरी करनी है। उम्मीद है कि माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में रखेंगे ।

अतः श्री मंडल से मेरा अनुरोध है कि वह अपने संशोधन पर जोर न दें। श्री कंवर लाल गुप्त से मैं यह कहना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की अगली बैठक में हम आधे घंटे की चर्चा की संख्या संबंधी प्रश्न को ले सकते हैं।

श्री मावलंकर ने कहा है कि सरकार गैर-सरकारी सदस्यों का समय ले रही है । उनका यह कथन अनुचित है । आधे घंटे की चर्चा सप्ताह में कितनी बार होनी चाहिए इस प्रश्न पर कार्य संत्रणा समिति में विचार किया जा सकता है ।

श्री बी० पी० मंडल : अपना संशोधन वापस लेने से पहले मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भविष्य में वे उन राज्यों के जो कि राष्ट्रपति शासन के अधीन हैं, बजट के लिए समय उदारता पूर्वक दे अन्यथा संसदीय लोकतंत्र उपहास बन कर रह जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या संशोधन वापस लेने की सभा अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य: जी हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment was, by leave withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है, --

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन, जोकि सभा में 15 मार्च, 1978 को पेश किया गया था, से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) भागलपुर-बिहपुर रेलवे स्टीमर सेवा

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : Earlier also I had drawn the attentions of the Minister of Railways to the difficulties being experienced by the people due to the disruption in the Bhagalpur-Mahadevpur—Bihpur railway steams service. At that time the Minister had assured that he will look into the matter. But nothing has happened and the service has remained disrupted throughout the rainy season.

The railway steamer service which is about a hundred years' old is the life line between north and south Bihar.

The people who are running private steamer service want that Government steamer service should not operate. There is always very unheathy competition where both the private and Government steamer services are operating.

The level as railway line should be raised before floods so that this Service is not suspended. I fail to understand the reason for the discontinuance for the last 2 years of the service which has been running for the last 80 years.

(दो) बोकारो इस्पात संयंत्र में हड़ताल का समाचार

Shri Ram Das Singh (Giridih) : Strike is countinuing in the Bokaro Steel City since 27th February, 1978 resulting in daily loss of Rs. 5 crores but the ministry is not paying any heed to it.

The production of C.R. sheets has come down to $6\frac{1}{2}$ per cent after strike. Similarly, production of slabs and hot metals is now 17 per cent and 33 per cent. The SAIL management is not paying any attention towards this loss. Two blast furnaces are lying closed and the third one is going to be closed. This is the state of affairs prevailing there.

The main cause of the strike is that the pay scales fixed by the Joint Negotiating Committee on 27-10-70 have not been sacctioned to the operators by the Bokaro Steel City Management. There was strike in 1973 also. The striking workers are having victimised. The SAIL or Steel Ministry should intervene with a view to avoid further heavy loss to the nation.

श्री वसंत साठे (अकोला) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । कम से कम मंत्रियों को उपस्थित होने के लिये तो कहें।

अध्यक्ष महोदय : हम उन्हें इसके बारे में सूचित कर देंगे।

श्री वसंत साठे : नियम 377 के अन्तर्गत उठाया हुआ प्रश्न सभा की सम्पत्ति होता है । क्या इस अधिवेशन के शुरू होने से लेकर अब तक नियम 377 के अधीन उठाये गये मामले का उत्तर दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सम्बन्धित सदस्य को उत्तर देने के लिये कहा गया है, वक्तव्य देने के लिये नहीं कहा गया है ।

(तीन) बोट क्लब, नई दिल्ली पर गन्ना उत्पादकों की गिरफ्तारी का समाचार

Shri Chandersekhar Singh (Varanasi) : I want to raise the issue of 35 cane growers arrested at the Boat Club. The faulty Sugarcane policy of the Government led to the sale of sugarcane by the growers at the rate of rupees five per quintal.

अध्यक्ष महोदय : आप दो प्रश्नों को न मिलायें। गन्ना और किसानों की गिरफ्तारों ये दो प्रश्न हैं।

Shri Chandersekhar Singh : The sguar mill owners are taking undue advantage of bumper sugarcane crop. The sugarcane has dried. 35 agitating farmers have been arrested. I demand that they should be released and reasonable prices be assured to them.

(चार) गुजरात के कच्छ जिले में एक अज्ञात हेलीकाप्टर के अवतरण का समाचार

Shri Anant Dave (Kutch) : An unknown helicopter landed in Kutch Distt. of Gujarat on 24th February and took a number of photographs of the site. The helicopter had flown by the time police and other custom officers came there. There were some 15 persons in it.

I request the Government to pay heed towards this matter of public importance.

(पांच) पूर्वता अधिपत्र में किए गए परिवर्तन

श्री श्यामानंदन मिश्र : मैं नियम 377 के अन्तर्गत सभा तथा सरकार का ध्यान नवम्बर 1977 के संशोधन से पहले तथा बाद में पूर्वता अधिपत्र में किये गये परिवर्तनों की ओर दिलाना चाहता हूँ।

नवम्बर 1977 के संशोधन के अनुसार महान्यायवादी की स्थिति केबिनेट सचिव से नीचे है । महान्यायवादी तथा महालेखा परीक्षक की स्थिति में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं।

प्रधान मंत्री के सचिव की स्थिति संसद सदस्य से नीचे रही है । नवम्बर 1977 के संशोधन के अनुसार पहली बार संसद सदस्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया गया । इस प्रकार के परिवर्तनों का कोई आधार नहीं रहा है । इसे शीघ्र ठीक किया जाये।

श्री कृष्णकांत (चण्डीगढ़): अध्यक्ष महोदय संसद सदस्यों के अधिकारों के संरक्षक हैं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थिति की गम्भीरता को समझता हूँ।

मैं इस मामले को संसद सदस्यों की समिति को भेज रहा हूँ और प्रधान मंत्री के साथ भी इसे उठा रहा हूँ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजकर 10 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till ten minutes past Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 15 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई
The Lok Sabha then re-assembled after lunch at a Quarter Past two of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

बजट सामान्य 1978-79—सामान्य चर्चा—जारी

GENERAL BUDGET 1978-79—GENERAL DISCUSSION—Contd.

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु (कटवा) : बिजली और कोयला जैसी चीजों पर उत्पादन कर में वृद्धि सरकार के उद्देश्यों के विपरीत है । इससे तो बजट का पूरा उद्देश्य ही निष्फल हो जाएगा ।

उत्पादन शुल्क वृद्धि के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गयी है । मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में आश्वासन दिया है कि छोटे उद्योगों को प्राथमिकता दी जायेगी। जब तक उद्देश्य स्पष्ट नहीं किये जाएंगे, बुनियादी ढांचा तैयार नहीं किया जायेगा तब तक छोटे उद्योग कैसे स्थापित किये जा सकेंगे ? मेरे विचार में गांवों में उद्योग स्थापित करने से पहले इसके बारे में योजना बनायी जानी चाहिये। भारत के 70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं । अतः जब तक गांवों का विकास नहीं किया जाता, जब तक उन्हें पानी आदि की आधारभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं करवाई जाती, तब तक वहां लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास नहीं हो सकता।

हमारे देश में चीनी तथा कृषि उत्पादों की विपणन सम्बन्धी नीति भी काफी दोषपूर्ण है । इसी नीति के फलस्वरूप देश में बेरोजगारी बढ़ रही है तथा जिसके फलस्वरूप अन्य गंभीर समस्यायें जन्म लेती जा रही हैं । सरकार द्वारा देश में सम्पूर्ण औद्योगीकरण की भी कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गई है । मुझे समझ नहीं आता कि इस प्रकार की अनवरत योजना कैसे आगे बढ़ पायेगी ।

मेरा विचार है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया जाना चाहिये। ऐसा करने से इन लोगों की कठिनाइयों का निवारण करने में सुविधा हो जायेगी तथा उनके विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा।

खेद की बाद है कि उद्योगों के विकास में 5 प्रतिशत की कमी हुई है। इसी प्रकार बिजली के उत्पादन में 2.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। बिजली की इसी कमी के कारण समूचे देश में अधिकांश उद्योग आंशिक रूप से बंद हो गये हैं। पूर्वी क्षेत्र में 50 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। यहां तक कि सरकार के सब से बड़े उपक्रम हैवी इंजीनियरिंग निगम की भी यही स्थिति है। अतः वित्त मंत्री महोदय की बिजली के उत्पादन के लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपये अधिक देने चाहियें।

जहां तक देश में व्याप्त बेरोज़गारी की समस्या का प्रश्न है, मेरी मान्यता यह है कि जब तक देश में उद्योगों का विकास नहीं किया जाता, जब तक रुग्ण उद्योगों को जीवित नहीं किया जाता, तब तक इस समस्या का स्थाई हल नहीं खोजा जा सकता। यदि सरकार युवकों को रोज़गार देने में असमर्थ है तो कम से कम, उन लोगों को किसी प्रकार का बेरोज़गारी भत्ता दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार ने जो पहल की है, केन्द्र सरकार उसका अनुसरण कर सकती है।

बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन देने तथा प्रचार आदि करने पर यदि प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव को क्रियान्वित किया गया तो उससे देश की औद्योगिक प्रगति तथा राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रभाव समाचारपत्रों पर भी पड़ेगा तथा किसी हद तक इससे बेरोज़गारी की समस्या को भी बढ़ावा मिलेगा। अतः मेरा वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन प्रतिबन्धों पर पुनः विचार किया जाना चाहिये।

प्रस्तुत बजट में शिपयार्डों के विकास के लिए आबंटित की गई धनराशि भी अपर्याप्त है। कई परियोजनायें ऐसी चली आ रही हैं जिनका अभी तक पूरा विकास नहीं हो पाया है जैसे कि हल्दिया पत्तन का। अतः मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह इस कार्य के लिए और अधिक धनराशि का आबंटन करे।

फरक्का सुपर तापीय बिजली संयंत्र का निर्माण कार्य पिछले 10 वर्षों से चल रहा है परन्तु यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बजट में इस परियोजना के लिए धन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है ?

बजट प्रस्तावों में विक्रय ो समाप्त करने का भी प्रस्ताव है। मेरी राय में राज्यों की आय का एक प्रमुख साधन विक्रय ही होता है अतः इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। इसके साथ ही मेरी मान्यता यह भी है कि राज्यों को अधिक वित्तीय शक्तियों तथा स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिये। यह विचित्र बात है कि इसका बजट में कोई संकेत नहीं है।

श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी (जूनागढ़) : प्रस्तुत बजट की जो आलोचना की गई है, वह तर्कसंगत नहीं है। बजट प्रस्ताव क्रांतिकारी तो नहीं है परन्तु जनता पार्टी की आर्थिक नीतियों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस नीति को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि बजट में विभिन्न क्षेत्रों तथा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के लिए किये गये प्रावधानों में काफी वृद्धि की गई है।

प्रस्तुत बजट में दो निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन में से पहला है सोने का आयात तथा दूसरा चुंगी को समाप्त करने का।

प्रस्तुत बजट की जो आलोचना भूतपूर्व वित्त मंत्री तथा भूतपूर्व उद्योग मंत्री द्वारा की गई है। उसका मैं पहले उत्तर देना चाहता हूं भूतपूर्व वित्त मंत्री का कहना है कि चूंकि जनता सरकार को अच्छी वित्तीय परिस्थितियां विरासत में मिली है इसलिए अर्थव्यवस्था में सधार हुआ है। परन्तु यह

बड़ी ही विचित्र बात है कि उनकी सरकार ने जो गलत आर्थिक नीतियां अपनाईं जो गलत परम्परायें स्थापित कीं, जो वर्तमान सरकार के कार्यकरण में बाधक सिद्ध हुईं, उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए वह तैयार नहीं है । भूतपूर्व सरकार की गलती का प्रथम उदाहरण "ओवर ड्राफ़्ट" हैं । 950 करोड़ रुपये के भारी अन्तर में से 412 करोड़ रुपये राज्य सरकारों को अतिरिक्त सहायता के रूप में देने पड़े । भूतपूर्व सरकार ने अपने शासन काल में इस प्रकार की गलत परम्परायें क्यों डालीं ? उन्होंने स्पष्ट रूप से राज्य सरकारों से क्यों नहीं कहा कि अब और वित्तीय सहायता इन्हें नहीं दी जा सकती ।

इस संबंध में इसकी विशेष बात यह है कि विभिन्न एजेन्सियों द्वारा योजना परिव्यय का कम उपयोग किया गया । इस वर्ष 200 करोड़ रुपये का परिव्यय कम उपयोग में लाया गया है । अतः मैं भूतपूर्व मंत्रियों से यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ? इसके लिए भूतपूर्व सरकार की गलत नीतियां ही जिम्मेदार हैं । इसी प्रकार का एक अन्य प्रश्न बिजली की कमी का है । भूतपूर्व सरकार ने बिजली की कमी को पूरा करने के लिए भी कोई विशेष उपाय नहीं किये थे।

जहां तक अगले वर्ष के बजट में 1050 करोड़ रुपये की भारी राशि की व्यवस्था का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हूं कि अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ है तथा उत्पादन वृद्धि की काफ़ी संभावना है । जैसा कि वित्त मंत्री ने घोषणा की है, सरकार इस सोने को बेचेगी जो कि इसके पास है । इस प्रकार के सोने का मूल्य लगभग 500 करोड़ रुपये हैं । सोने के आयात से विदेशी मुद्रा को उपयोग में लाया जा सकेगा । इसके साथ ही रिजर्व बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को पूंजी वस्तुओं के आयात के लिए ऋण देने की अनुमति भी दी जायेगी । यह अनुमति उन पूंजीगत वस्तुओं के लिए दी जायेगी जो कि हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं । यह सभी सराहनीय कदम हैं ।

वित्त मंत्री द्वारा पुरःस्थापित रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत निवेश बढ़ाने की अनुमति दी जायेगी । मैं समझता हूं कि इस पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि मेरी राय में हमें विदेशी निवेश से कम प्राप्ति होती है । अब केवल इसी स्रोत से हमें ब्याज के रूप में कम से कम 100-150 करोड़ रुपये प्राप्त हो जाने की आशा है ।

प्रशासनिक व्यय में हो रहे अपव्यय के सम्बन्ध में मैं इस बात से सहमत हूं कि कर्मचारियों की संख्या जरूरत से ज्यादा है तथा जो लोग नौकरी पर लगे हुये हैं, वह कम काम करते हैं । इस प्रकार से बहुत साधन बेकार व्यय हो रहा है । यह सत्य है कि हमारा प्रशासनिक तंत्र अक्षम है । अतः इस में व्याप्त लालफ़ीताशाही तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जाने चाहियें ।

जहां तक डेरी उद्योग का सम्बन्ध है मेरी यह मन्यता है कि अमूल डेरी की तरह ही आधुनिक टैक्नोलाजी अपनायी जानी चाहिये । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस समय हमारे समक्ष मुख्य समस्या लाखों बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने की है। अतः हमें स्वदेशी टैक्नोलाजी का विकास करना चाहिये।

यद्यपि उत्पादन शुल्क लगाने के साथ-साथ कुछ हिदायतें भी दी गई हैं किन्तु मिट्टी के तेल तथा आय पर जो .5 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाया गया है उन पर छूट दी जानी चाहिये क्योंकि इसका उपयोग आमतौर पर जन साधारण द्वारा किया जाता है ।

इन परिस्थितियों को देखते हुए भी मैं चाहता हूं कि कम आय वाले लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली चीजें जैसे चाय और मिट्टी के तेल पर छूट दी जानी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया (फरीदकोट) ने बजट का समर्थन करते हुए कहा कि यह बजट गरीब लोगों के हित में है । वित्त मंत्री ने बेरोजगारी की समस्या को हल करने का इसमें भरसक प्रयास

किया है । उन्होंने कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है । इससे अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिलेगा ।

ब्याज पर कर समाप्त करने का स्वागत है । इससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा ।

यह प्रथम अवसर है जबकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बजट परिव्यय केन्द्रीय बजट से अधिक किया गया है । वित्त मंत्री ने केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों की ओर विशेष ध्यान दिया है ।

जहां तक कृषि का संबंध है, दुर्भाग्य की बात है कि कई योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं । बेहतर यह होता यदि कृषि के विकास तथा प्रगति के लिए अधिक धन की व्यवस्था की गई होती ।

वित्त मंत्री को बिजली पर लगाये गए उपकर के बारे में पुनर्विचार करना चाहिये । इससे उत्पादन लागत में वृद्धि होगी । यह उपकर वापस लिया जाना चाहिये ।

बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है । सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ कार्यवाही अवश्य करनी चाहिये कि लघु उद्योगों को आरम्भ करने में रुचि रखने वाले लोगों को प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब के बिना आवश्यक सहायता मिले । इन्हें इस उद्देश्य के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलना चाहिए ।

यदि वित्त मंत्री महोदय अपने आप को किसानों का मित्र सिद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें तुरन्त उत्पाद शुल्क और कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली मशीनों पर से कर समाप्त कर देना चाहिये । कृषि को तकनीकी व्यवसाय और उद्योग घोषित किया जाना चाहिये ।

देश में करों की बहुत अधिक चोरी हो रही है । आयकर और बिक्री कर की बकाया राशि 1100 करोड़ रुपये हो गई है । यह एक गम्भीर समस्या है जिसे कारगर रूप से हल किया जाना चाहिये ।

सरकार को सीमावर्ती क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना चाहिये । भारत की सीमा पंक्ति बहुत लम्बी है लेकिन पंजाब की सीमा बहुत ही संवेदनशील है । वित्त मंत्री को इस सीमावर्ती क्षेत्र में अपेक्षाकृत कुछ अधिक रियायतों की तुरन्त घोषणा करनी चाहिये जिससे लोग वहां उद्योग स्थापित कर सकें ।

वित्त मंत्री को थीन बांध पर खर्च होने वाली सम्पूर्ण राशि मंजूर कर देनी चाहिये । इस परियोजना के निर्धारित समय में पूरी न होने से देश को 1700 करोड़ रुपये की हानि हो चुकी है ।

Shri Kacharulal Hemraj Jain (Balaghat) : Last year when the General Budget was presented the duty on stainless steel was reduced by 300 percent as a result of which the prices of stainless steel utensils fell from Rs. 80 to Rs. 52 per kg. This was welcomed by all. But after some time the duty was again increased and the prices again shot up to Rs. 80 per kg. What were the causes for withdrawing that concession in duty?

It is a matter of satisfaction that funds have been provided to take up schemes at block level for removal of unemployment. But mere allocation of funds will not do. It should be ensured that positive schemes are drawn up and also implemented speedily. Other schemes to provide required facilities to the villages should be given due priority for implementation.

It has been observed that receipts in possession of the small farmers in token of their having repaid the loan are not being given recognition and they are being asked by the State Government employees to make repayment of loans on the banks of demand notices. Immediate steps should be taken to check this gross irregularity.

Till 1954 tea and manganese were two major revenue earning items of export. But mananese has been badly neglected now. The conditions of workers working in the mines of manganese are etc. has become pitiable. Steps should be taken early to step up the export of such minerals so that the condition of those mine workers could improve.

Our forest wealth is being destroyed and the expenditure on forest employees has increased three times. Proper attention should be paid towards this problem.

The number of iron and steel factories in the country has increased but still our agriculturists are getting iron implements required for their agricultural operations at high prices. Steps should be taken to make it available to them at cheaper rates.

Minor irrigation projects and other small projects for villages like construction of link roads etc. as also the cottage industries and small scale industries should be implemented on priority basis as it will also remove unemployment to some extent.

Forest wealth should be utilised properly for meeting the demand for certain equipment required by agriculturists. A paper mill should be set up in District Balaghat to produce paper out of bamboo etc. which is available in abundance in my State. Steps should also be taken to exploit the mineral resources available in my State.

A serious thought should be given to the problems of Harijans and tribal people and necessary protection and safeguards should be provided to them within five years.

Panchayati Raj System has been very successful in Maharashtra. Steps should be taken to introduce it all over the country on a priority basis.

Shri Mritunjay Prasad Verma (Sewan) : The Budget is quite appropriate and well prepared and it is in the right direction But it is the bureaucracy which is responsible for its implementation. Now our bureaucracy which is a legacy of the past is too conservative. Government has to be vigilant to see that Parkinson's law does not operate. Unless sufficient precaution is taken in this regard all development schemes will remain confined to files only and no real benefit will accrue to the people.

It is good that a good deal of interest has been shown in rural development but unless bureaucratic machinery is put under strict control nothing will materialise.

Bihar is the most backward State, though mineral wealth is in abundance there. However it is proposed to shift the office of SAIL to some other place. This is not fair and so it should not be shifted to any other place.

During the emergency a bibartite agreement had been reached between the LIC and their workers specially development officers. The then government had also recogn ised but the present Government is not recognising it. This is not fair. At least Government should agree to open negotiations with them, and then they should try to find out a solution to the problem.

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति (कनकपुरा) : पिछले वर्ष के बजट में 85 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान था । लेकिन वर्ष के अन्त तक यह बढ़कर 975 करोड़ रुपये हो गया, जो अनुमानित आंकड़ों से 10 गुना से भी अधिक है । इस वर्ष के बजट में 1050 करोड़ का भारी घाटा है। इससे स्पष्ट है कि वित्त मंत्री बजट के अन्तराल का अनुमान लगाने में बुरी तरह असफल रहे हैं।

इस बजट में बेरोजगारी के संबंध में कोई रचनात्मक समाधान नहीं है । साथ ही भूमि सुधारों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है । यह बजट बहुत ही निराशाजनक है और इससे देश की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ जाएगी । कोयले, बिजली, पैट्रोल तथा पट्रोलियम के उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में हाल में की गई वृद्धि से उपभोक्ताओं को ही हानि होगी । अतः सरकार को इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करना चाहिये और जनसाधारण के कल्याण के हित में इसे वापिस ले लेना चाहिए।

1975-76 में औद्योगिक प्रगति में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई थी । लेकिन इस वर्ष यह 1.6 प्रतिशत घटी है । यह बिजली की कमी और श्रमिक असंतोष के कारण ही है । श्रमिकों और प्रबंधकों के बीच सम्बन्ध नहीं है तथा कच्चे माल की भी कमी है । वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं क्योंकि ग्रामीण निर्धन की दशा सुधारने के बारे मेंउन्होंने कुछ उपाय किए हैं । फिर भी सिंचाई की और अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिएं । हमारे किसानों को उनके उत्पादों के लिए समुचित मूल्य नहीं मिल रहा है । कम से कम सरकार को उनके उत्पादों के लिए समुचित एवं उपयुक्त विपणन सुविधाएं दी जानी चाहिएं।

बिजली पर कर में वृद्धि करने से उपभोक्ताओं को ही अधिक हानि होगी बिजली पर कर लगा कर और बिक्री कर समाप्त कर केन्द्रीय सरकार राज्यों के वित्तीय क्षेत्राधिकारों पर अतिक्रमण कर रही है और इसका परिणाम यह निकलेगा कि राज्यों की अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त हो जायेगी । केन्द्रीय सरकार को ऐसे मामलों पर निर्णय लेने से पहले राज्यों से भी विचार विमर्श कर लेना चाहिये ।

गत 6 वर्षों में कर्नाटक राज्य सरकार ही एक ऐसी सरकार रही है जिसके भूमि सुधार और सामाजिक आर्थिक नीतियों को कारगर ढंग से कार्यान्वित किया है । इन सभी प्रगतिशील नीतियों को कार्यान्वित करते रहने और राज्य में विकास कार्य आरंभ करने की दृष्टि से जो केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक राज्य को अधिकाधिक सुविधाएं और वित्तीय सहायता देनी होगी इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

Shri Phirangi Prasad (Bahraich) : At the outset the Finance Minister has said in his Budget speech that certain features which have been inherited as a legacy of the previous regime cause difficulties in making headway in the economic sphere. This Budget has created a sense of hope among the people because it lays emphasis on the development of rural sector. The Janata Party is Committee to bring about the development of agriculture and rural economy. I shall therefore, appeal to the Government to make the maximum possible allocation for the development of agriculture and rural sector.

The Janta Party has declared that they will remove poverty and unemployment in ten years. But it will be better if a committee is set up to evaluate the progress made each year and they submit an yearly statement about it.

(Shri Dhirendra Nath Basu in the Chair)

It has been said that the national income will rise by 5 percent in the current year. But one can find that public money has not been utilised properly.

A large scale survey of the entire country should be undertaken so as to assess the extent of poverty existing in the country. Unless an economic revolution is brought about in the country, it will not be possible to meet the basic requirements of the Country's poor people.

The problem of Harijans and Tribals in the Country is very complex. Steps should be taken to evaluate the outcome of those measures which have been taken to improve their condition.

The growing population in the country posed a great danger. But the people should be made aware of it. For that it is necessary that production is stepped up in every sector with a view to improving their conditions. We have to mobilise larger resources in order to feed the growing population.

श्री ए० के० राय (धनबाद) : पिछले वर्ष का बजट तो निराशाजनक था लेकिन इस वर्ष का बजट भी जनहितकारी नहीं है । यह 'साहसिक कदम' जैसी कोई बात नहीं है । मैं तो इसे पीछे ले जाने वाला कदम मानता हूँ ।

यह अनवरत योजना क्या होती है ? यह तो योजना से छुट्टी ही कही जा सकती है । जब अनवरत योजना हो सकती है तो अनवरत मंत्रालय क्यों नहीं हो सकता ? प्रति वर्ष नये जनता मंत्री होने चाहिये ताकि मतभेद ही न रहे ।

पता चला है कि सिन्दरी आधुनिकीकरण बंद कर दिया गया है । सम्पूर्ण कोयला खान संकट व्याप्त है । सम्पूर्ण उद्योग में ताला-बंदी के कारण काम ठप्प है । बोकारो संयंत्र भी बंद है ।

इसका कारण श्रमिक असंतोष नहीं बल्कि हमारी आर्थिक प्रणाली है जिसकी रक्षा के लिए यह बजट लाया गया है ।

यह कहा गया है कि गांवों में अधिक धन लगाये जाने से ग्रामीण विकास हो सकता है । लेकिन बिना सामाजिक ढांचे में परिवर्तन किए ग्रामीण समुदाय के उत्थान या पुनर्गठन की दिशा में कोई प्रगति नहीं होगी ।

जनता पार्टी की सरकार मिथ्या सरकार है । वहां लोकतंत्र का कोई सिद्धांत नहीं है । यहां सभी राजनीतिक नीम हकीम है । जब तक देश के राजनीतिक वैज्ञानिक और वैज्ञानिक राजनीतिक नहीं बनेंगे इस महान देश का उद्धार नहीं हो सकता । देश की सामाजिक व्यवस्था इसकी आर्थिक व्यवस्था और कृषि व्यवस्था की वैज्ञानिक ढंग से बदलने की आवश्यकता है ।

ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने की दृष्टि से समूचे समाज का ढांचा ही बदलना होगा । यदि गांवों में समृद्धि आयेगी तो देश समृद्ध होगा । लेकिन बजट में भूमि सुधारों और श्रमिकों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है ।

कृषि का यह अर्थ नहीं है कि केवल खेती की जाये । भू संरक्षण, जल संरक्षण, वनारोपण, पशु-पालन, कुटीर उद्योग आदि भी इसका तात्पर्य है । सरकार को कृषि के क्षेत्र सरकारी उपक्रम का विकास करना चाहिये और किसान स्वामित्व का विकास करना चाहिये । इससे देश में कृषि क्रांति आयेगी । यदि सरकार ग्रामीण उत्थान करना चाहती है तो भारत में गांवों की कायापलट करनी चाहिए । इसके लिए सरकार को कृषि क्षेत्र में सरकारी उपक्रम का विकास करने का उपबन्ध करना चाहिये । भूमि-सुधार, किसान को मालिकाना अधिकार देना, सामन्तवाद का पूर्ण उत्सादन अत्यावश्यक है ।

Shri Heera Bhai (Banswara) : The budget presented by the Finance Minister has its merits and demerits. The objective of the Janata Party is to remove economic disparties and in order to achieve this end we have to increase production in every field. Mere slogans will not help much and so, concrete steps have to be taken to bring about increase in production.

Government have declared that it will give highest and top most priority for the development of backward areas in the country. Rajasthan still remains a backward state and adequate funds have not been allocated for bringing about development of this State. The previous Congress Government in the state has left deficit of Rs. 100/- crores. The Central Government, therefore, must come to the rescue of the State Government to help them tide over the financial crisis. Government should give top priority to the development of backward areas.

The Government should initiate measures to start small scale industries in the rural sector.

If the discriminature policies in regard to Harijans and tribals continued, I am constrained to demand that the President should set up a special body to bring about development of these backward areas where these people live.

***श्री अमर राय प्रधान** (कूच-बिहार) : वित्त मंत्री ने झा समिति की सिफारिशों को नजर अंदाज कर 1396 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया गया है और जनसाधारण पर अप्रत्यक्ष करों का बड़ा भार डाल दिया है । इस बजट से करोड़ों किसानों, मजदूरों और गरीब लोगों को निराशा हुई है। करोड़ों बेकार युवकों को रोजगार देने का कोई वचन बजट में नहीं दिया गया है । गांवों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए इसमें कोई दिशा निर्देश नहीं किया गया है । भूमि सुधार अथवा भूमि के उचित वितरण का भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है । कृषि उत्पादनों का उचित मूल्य दिए जाने का भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है । कृषि और औद्योगिक उत्पादों में समानता लाने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया है तथा लोगों में व्याप्त आर्थिक असमानता को दूर करने का भी कोई संकेत इस बजट में नहीं है ।

*मूल बंगला में

*Original in Bengali.

बजट में कृषि के विकास के लिए धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई है । कृषि सुधार के लिए मुख्य बात भूमि सुधार है । वास्तविक कृषकों को ही भूमि मिलनी चाहिये । भूमि सुधार और भूमि वितरण के लिए जो प्रयत्न युद्ध स्तर पर किए जाने चाहियें थे जिसमें पिछड़ापन और गरीबी दूर हो, वे नहीं किए गए हैं।

कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों में समानता रखने की मांग की गई है जो लम्बे समय से चली आ रही है । परन्तु इसे प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है । बल्कि कृषि उत्पादों के मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं जिससे उद्योगपतियों को भारी लाभ हो । जूट गन्ना, कपास, तम्बाकू आदि के मूल्य उत्पादकों के हित के विरुद्ध हैं । जूट मिल मालिकों के दबाव के कारण जूट का जो मूल्य निर्धारित किया गया है उससे सम्पूर्ण पूर्वीभाग की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

श्री के० लकप्पा (तुम्कुर): यह अत्यन्त निरुत्साहित करने वाला बजट है । इससे वित्त मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत क्षीण बना दिया है । और अब देश को दीवालिया बनाने वाले हैं । बिजली, कोयला और पोलिस्टर के मूल्यों की वृद्धि के प्रति आम विरोध प्रकट किया गया है । डाक शुल्क बढ़ाने पर मिश्रित प्रतिक्रिया हुई है ।

प्रधान मंत्री ने घाटे की अर्थव्यवस्था समाप्त करने की घोषणा की थी किन्तु वित्त मंत्री ने 1050 करोड़ रुपये के घाटे वाला बजट पेश किया है । जनता पार्टी की घोषणा का यह एक रचनात्मक रूप है ।

कृषि, उद्योग अथवा वाणिज्य में समपन्न वर्ग की सुविधाएं देकर गरीबों और मध्यमवर्ग की खाल खींची गई है ।

वित्त मंत्री ने अपने इस बजट में स्वतन्त्र दल की निर्बाध व्यापार की नीति की झलक दिखाई है । वित्त मंत्री ने 549.5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राजस्व के लिए अप्रत्यक्ष करों का सम्बल लिया है। उत्पादन शुल्क में अनियंत्रित वृद्धि करना इस बात का द्योतक है कि सरकार धनवान किसानों की सहायता लिये किसानों का अधिकाधिक दमन करना चाहती है । वित्त मंत्री ने अब तक ऐसी ही नीति अपनाई है ।

देश के लोगों को यह वचन दिया गया था कि वे बेरोजगारी समस्या का समाधान करेंगे । परन्तु इस संबंध में बजट में कोई प्रस्ताव नहीं है । अपनी विदेशी मुद्रा का उपयोग करने में सरकार की घोर विफलता जनता सरकार के दीमागी दिवालियापन का पता चलता है । वित्त मंत्री सोना बेचने के लिये सेल्समैन बन गये हैं । उन्होंने घाटे को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं बढ़ाये है और इस तरह उन्होंने मुद्रास्फीति पैदा की है ।

जनता सरकार के बजट का एकमात्र प्रभाव यह हुआ है कि घाटा 84 करोड़ रुपये से बढ़कर 985 करोड़ रुपये हो गया है । अब स्थिति यह है कि उन्होंने गरीबों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये कुछ नहीं किया है जैसाकि जनता पार्टी के घोषणापत्र में वचन दिया गया था । उन्होंने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि लोगों की कर देने की क्षमता ही नहीं रही है । चीनी, मिट्टी के तेल, चाय आदि पर लगाया गया 5 प्रतिशत शुल्क का भार गरीब कर-दाता पर पड़ेगा । वित्त मंत्री का दावा है कि आम व्यक्ति पर प्रत्यक्षकरों का भार 0.7 प्रतिशत होगा, परन्तु यह सच नहीं है ।

इस बजट में एक शहरी आधार तैयार किया गया है । बैंकिंग प्रणाली से गत एक वर्ष में देश में संकट पैदा हो गया है । गत चुनावों में गैर-सरकारी बैंकों ने न केवल कर्नाटक में ही अपितु आन्ध्र प्रदेश में भी एक राजनीतिक दल को आर्थिक सहायता दी थी । बैंक इस प्रकार काम कर रहे हैं ।

वर्तमान सरकार इस मशीनरी और धन का उपयोग चुनाव कार्यों में कर रही है जबकि वह पिछली सरकार की ऐसे कार्यों के लिये आलोचना करती थी । वित्त मंत्री ने ऐसे बैंकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है।

मेरा दावा है कि देश के संसाधनों पर कुछ ही राज्यों का नियंत्रण है । क्योंकि इनमें कुछ राज्य बहुत बड़े है, मैं मांग करता हूं कि सभी राज्यों का पुनर्गठन किया जाये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसाधनों का समान आधार पर पुनः वितरण हो ।

गंगा-कावेरी लिंक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की एक परियोजना है । सरकार ने इस परियोजना के लिये वित्तपोषण नहीं किया है । इस परियोजना के पूरा होने से कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि होगी । परन्तु खेद है कि बजट में इसके लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया है ।

कर्नाटक में 1000 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं, परन्तु उनके लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की गई है । हम कर्नाटक में एक थर्मल, पावर प्लांट स्थापित किये जाने की मांग कर रहे हैं, परन्तु केन्द्र ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है । अतः दक्षिणी राज्यों की घोर उपेक्षा की गई है, क्योंकि दक्षिणी राज्यों में जनता लहर नहीं है । मेरा अनुरोध है कि बजट द्वारा सभी राज्यों में विकास कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिये । मैं इस बजट में किये गये उपायों का विरोध करता हूं ।

Shri D. G. Gwai (Buldana) : On a point of Order, Sir, Members whose names are not in the list are given a chance, whereas those who want to give positive suggestions are ignored.

सभापति महोदय : मैं उसी सूची के अनुसार अवसर दे रहा हूं जो उपाध्यक्ष यहां रख कर गए हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर): इस देश के लोगों ने सरकार को अपना मत केवल भारत को भय रहित बनाने, देश को वंशानुगत शासन से मुक्त करने के लिये ही नहीं, दिया था, वरन् उन्होंने ऐसा भारत को भूख से बचाने और एकाधिकारियों और जमींदारों के शोषण से मुक्त करने के लिये भी दिया था । हम देख रहे हैं कि अभी भी कांग्रेस की नीतियों का ही पालन हो रहा है ।

30 वर्ष के कांग्रेस राज्य ने लोगों को गरीब बनाया है । 70 प्रतिशत लोग गरीबी के स्तर से भी नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं विभिन्न स्तर के लोगों के बीच संसाधनों की भारी असमानता है । इस देश में कुछ लोगों को ही लाभ मिल रहा था । बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी भूमि सुधार का नाम नहीं था । इसका फल यह हुआ कि मार्च, 1977 के चुनाव में लोगों ने उस पार्टी को सत्ताच्युत कर दिया । परन्तु जनता पार्टी ने एक वर्ष में क्या कार्य किया है ?

जनता सरकार पिछले एक वर्ष से सत्ता में है । हमने गत लोकसभा चुनावों के दौरान उन्हें अपना सहयोग दिया था क्योंकि उन्होंने देश में लोकतंत्र को बहाल करने का वचन दिया था । परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि जनता सरकार के गत एक वर्ष के कार्यकरण में दिशा का पूर्णतया अभाव रहा है । उसने जो वायदे किये थे, उनके अनुरूप कोई कार्य नहीं किया है । यह बहुत ही निराशाजनक है कि जनता सरकार तदर्थ नीतियों द्वारा ही कार्य करना चाहती है ।

प्रतिक्रियावादी और दमनकारी तत्व, फासिस्टवादी, अधिनायकवादी और तानाशाही शक्तियां फिर से अपनी स्थिति मजबूत बनाने का प्रयत्न कर रही हैं । यह आवश्यक है कि सरकार काम करे केवल दिखावा न करे । लोग वादों से ऊब गए हैं । जनता सरकार को विरासत में छिन्नभिन्न अर्थ-व्यवस्था मिली थी । परन्तु उन्हें लोगों को यह दिखाना चाहिए कि वे काम करना चाहते हैं, मात्र दिखावा करना नहीं ।

देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों का राज्य है । वे बड़ी कठिनाई अनुभव कर रहे हैं क्योंकि संविधान ने उन पर बड़ा उत्तरदायित्व डाला है । हम केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर चर्चा

करना चाहते हैं । इस संबंध में केन्द्र ने बड़ी बेरुखी अपनाई है हम इस पर स्वतन्त्र और स्पष्ट चर्चा करना चाहते हैं । यदि सरकार चाहती है कि देश उचित विकास की ओर अग्रसर हो तो इस संबंध में गम्भीरता से विचार करना होगा ।

जनता पार्टी ने अपनी चुनाव घोषणा में घाटे की अर्थ-व्यवस्था न रखने की प्रतिज्ञा की थी, परन्तु एक बड़े घाटे का बजट पेश किया गया है । कर लगाए गए हैं तथा अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष करों की तुलना में कहीं अधिक लगे हैं । इसका परिणाम स्पष्ट है । देश के गरीबों को क्या राहत दी गई है ? क्या उन्हें देश भर में आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर मिल रही हैं ? नहीं मिल रही हैं ।

बेरोजगार लोगों का भविष्य अन्धकारमय है । उनकी मदद करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है । पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने सीमित साधनों से बेरोजगार लोगों की कम से कम कुछ मदद देने का प्रयत्न किया है । केन्द्र सरकार को भी इसी प्रकार की योजना आरम्भ करनी चाहिये ।

विदेश मन्त्रालय द्वारा अच्छा काम किए जाने से पड़ोसियों से हमारे संबंध सुधरे हैं । रक्षा बजट में कटौती कर उसे राष्ट्र निर्माण में क्यों न लगाया जाए ?

हम सरकारी क्षेत्र को समाप्त कर रहे हैं । वित्त मंत्री ने स्वयं कहा है कि अपेक्षाओं के विपरीत इन उद्योगों में निवेश बढ़ नहीं रहा है इसका कारण यह है कि लोगों की क्रय शक्ति दिन प्रतिदिन घटती जा रही है ।

वित्त मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी मात्रा में निवेश की बात कही है । भूमि सुधार किए बिना क्या कोई यह कह सकता है कि इसका लाभ निम्नतम स्तर तक पहुंचेगा । ऐसा नहीं हो सका । इसका लाभ केवल सम्पन्न ग्रामीणों को ही मिलेगा ।

बेरोजगारी भूमि सुधार और पीने के पानी की समस्या के हल के लिए युद्धस्तर पर प्रयत्न किए जाने चाहिये ।

श्री विनोदभाई बो० सेठ (जामनगर): मैं प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं । वित्त मंत्री ने कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 40.29 प्रतिशत धन की व्यवस्था बजट में की है । कृषि सिंचाई और बिजली की ओर आवश्यक ध्यान देने के लिए वह बधाई के पात्र हैं ।

अगले पांच वर्ष में 70 लाख हेक्टेर भूमि की सिंचाई होने लगेगी । यह संतोष की बात है मेरा सुझाव है कि खाद्य सामग्री अधिक होने पर वितरण की समस्या उठ खड़ी होती है । इसलिए इस ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये ।

हमने पहली बार 3,500 मैगावाट बिजली के उत्पादन की योजना बनाई है जब कि गत वर्ष 2000 मैगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है । यह कदम सही दिशा में उठाया गया है ।

प्रत्यक्ष करों का न बढ़ाया जाना एक स्वागत योग्य बात है । यह प्रशंसा की बात है कि वित्त मंत्री ने न तो कृषि कर बढ़ाया है और न निगमित कर । हमारी सरकार ने प्रत्यक्ष करों को उचित राहत दी है । अब अपनी ईमानदारी दिखा कर बड़े उद्योगों को चुनौती स्वीकार करनी चाहिये ।

वित्त मंत्री ने सम्पदा शुल्क की सीमा 50,000 से बढ़ा कर एक लाख रुपया कर दी है इसका स्वागत है । इसके साथ ही मेरा सुझाव है कि पंजीयत फार्मों की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ा कर 25,000 रुपये कर दी जाए ।

बिजली और कोयले पर लगाए गए कर तथा सामान्य वस्तुओं पर कर में 5 प्रतिशत की वृद्धि से यदि उत्पादन न बढ़ाया गया तो बाजार में मुद्रा स्फीति बढ़ जाएगी । अतः मन्त्री महोदय को इस बात से सतर्क रहना चाहिये ।

संकट में बड़े नौवहन उद्योग में और निवेश क्यों नहीं किया गया, यह समझ में नहीं आया । इस उद्योग के विकास के संबंध में हम अत्यधिक पिछड़े हुए हैं । अतः मेरा अनुरोध है कि इसके लिए अधिक धनराशि का आवंटन किया जाना चाहिये ।

वित्त मंत्री ने घरेलू उद्योगों, विशेषकर प्लास्टिक उद्योगों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया है । तट कर के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यह उद्योग संकट में हैं, अधिकतर फैक्टरियां बन्द हो गई हैं अतः इस ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये ।

आम आदमी और गांव का आदमी पीने के पानी, सड़क और दवा आदि प्राथमिक आवश्यकताओं के अलावा और कुछ नहीं चाहता । यदि बजट में ये प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो इस देश का भविष्य उज्जवल होगा ।

Shri R.L. Kureel (Mohanlal Ganj) : The total budget of Rs. 15,000 crores has been divided into several headings. If we just see the allocation earmarked for poor, weaker, Harijans and other similar sections of society who live below the poverty line, this budge appears to be disgusting. It is a matter of pity that 60 per cent people of the country who fall under this category have been totally ignored. Only one percent or even less than that amount has been allocated for this section.

This class was neither provided with facilities nor treated at par with other classes. This class constitutes 20 per cent of the population and 20 per cent of the budget should have been diverted for the welfare of this class. The plight of the have nots is likely to worsen with this type of Budget. So far as Scheduled castes and scheduled Tribes are concerned, there appears to be no difference between this and previous Government. This Budget is meant for those having plenty.

This Budget may, therefore be reviewed and it should provide for the welfare of weaker sections.

श्री सी० एम० स्टीफन (इक्की): में बजट में किए गए सभी प्रस्तावों का विरोध करता हूं ।

देश की सम्पत्ति के साथ बड़ा ही निर्दयतापूर्ण व्यवहार कर उसे लुटाया गया है, जो देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बड़ा ही बेरुखा व्यवहार है । सामान्य व्यक्ति की आवश्यकताओं के प्रति बड़ी निर्दयता से बेरुखी बरती गई है । उसकी आवश्यकताओं की भयंकर उपेक्षा करके उस पर ही सारा भार डाला गया है । सम्पन्न व्यक्ति को अतिरिक्त राहत देने और उसकी समस्याओं को हल करने पर ही जोर दिया गया है ।

पिछले वर्ष 85 करोड़ के घाटे की घोषणा के बाद अन्त में 975 करोड़ का घाटा हुआ । अगले वर्ष के लिए घाटा 1050 करोड़ रखा गया है । केन्द्र की देखादेखी प्रत्येक राज्य भी घाटे का बजट पेश कर रहा है और सब राज्यों की कुल मांग 1000 करोड़ रुपये हो जाएगी । इस प्रकार केन्द्र और राज्यों का घाटा मिलकर 2000 करोड़ रुपये हो जायेगा । 1978-79 में भारत का सरकारी ऋण 29,000 करोड़ रुपए होगा । दो वर्ष में ही इसमें 7000 करोड़ की वृद्धि हुई है । यह बड़ी ही गम्भीर स्थिति है जो हमारे सामने आ रही है ।

सोने के भण्डार को बेचा जाएगा यह जान कर हमारी आंखे फटी रह गईं। इसका उद्देश्य तस्करी को रोकना है । तस्करी रोकने के लिए तलाशी, छापे, और गिरफ्तारी को बन्द कर सरकार तीस वर्ष में बनाए गए स्वर्ण भण्डार को कम कर रही है । सरकार विदेशी मुद्रा के उपयोग हेतु सोने का आयात कर रही है । यह सरकार के पूर्ण दिवालिएपन का सूचक है । क्या इस बात की कोई गारंटी है कि सोने की कीमत और नहीं बढ़ेगी और इस बात की भी क्या गारंटी है कि जब तक वह इसे वापस करेंगे तब तक इसके मूल्य में वृद्धि नहीं होगी । सरकार को सोना सोने के बांडों के एवज में मिला हुआ है । उन्हें वह सोना वापस करना है । मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि सरकार यह सोना कैसे वापिस करेगी?

सरकार यह महसूस करती है कि विदेशी मुद्रा एक समस्या बन गई है। सरकार पिछले वर्ष ही विदेशी मुद्रा कोष से धन निकालना चाहती थी पर अर्थव्यवस्था की परिस्थितियों के कारण वह ऐसा नहीं कर पाई। वह योजनाएं नहीं बना सकती और अब उन्होंने विदेश यात्रा भत्ता भी बढ़ा दिया है। विदेशी मुद्रा व्यर्थ गंवाई जा रही है।

राज्य सूची के अन्तर्गत राज्य सरकारें अपने राज्य में उत्पादित होने वाली और बेची जाने वाली बिजली पर कर लगा सकती हैं। केन्द्र सरकार उत्पाद शुल्क लगा सकती है अब सरकार उन पर अतिरिक्त कर लगा रही है उसका भार कौन वहन करेगा? सरकारी क्षेत्र को ही करना होगा जबकि निजी क्षेत्र के एककों को छूट दी गई है।

कराधान की एक भी ऐसी मद नहीं जो आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। मंत्री महोदय सम्पन्न व्यक्तियों के प्रति उदार रहे हैं। उन्होंने रेफरीजरेशन, एककों, एयरकंडीशनिंग एसैम्बली एककों तथा चमड़ा उत्पादन में काम करने वाली कुछ मशीनरी तथा वस्त्र बनाने वालों के प्रति भी उदार रवैया अपनाया है लेकिन मंत्री महोदय ने जहाँ एक ओर सम्पन्न व्यक्तियों के प्रति कृपा दृष्टि रखी है वहाँ दूसरी ओर सारा भार आम जनता पर डाल दिया है।

राष्ट्र की वित्तीय स्थिति की नितान्त उपेक्षा की गई है। आम जनता के दुख दर्द और आकांक्षाओं की भी उपेक्षा की गई है। मन्त्री महोदय ने बड़े आदमियों की छोटी-छोटी कठिनाइयों का पता लगाकर उन्हें हल करने की कोशिश की है। यही इस बजट का सार है। मेरे विचार से यह बजट पतन की ओर ले जाने वाला है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : किसी भी निर्धन देश में विकास को प्रथम प्राथमिकता देनी होती है अतः अधिकांश संसाधनों को विकास कार्यों में लगाना पड़ता है और यही मैंने भी किया है। यह आलोचना, कि इस वर्ष विकासीय परिव्यय में उतनी अधिक वृद्धि नहीं की गई है जितनी कि पिछले दो वर्षों में की गई थी, ठीक नहीं है। परिव्यय का निर्धारण स्थिति की आवश्यकताओं और संसाधनों के उपयोग की क्षमता के आधार पर किया जाता है। इन दोनों बातों को ध्यान में रख कर 11,649 करोड़ रुपये का परिव्यय बिल्कुल ठीक है।

कई सदस्यों ने कहा है कि इस बजट में रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बजट के बारे में यह बहुत भारी गलतफहमी है। यह सच है कि बजट में रोजगार दिलाने के लिए द्रुत कार्यक्रमों की व्यवस्था नहीं की गई है। हम भलीभांति जानते हैं कि ऐसे द्रुत कार्यक्रमों का अंजाम क्या हुआ है। मैंने कुछ क्षेत्रों में अधिक परिव्यय की व्यवस्था की है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं उनमें रोजगार-संभाव्यता पर्याप्त होगी। कृषि तथा अन्य संबद्ध कार्यक्रमों पर किए जाने वाले परिव्यय से रोजगार में वृद्धि होगी।

क्षेत्रीय विकास के संबंध में नई नीति अपनाई जाएगी इसका ब्यौरा योजना आयोग द्वारा तैयार किया जा रहा है और इसके द्वारा आगामी पाँच वर्षों के दौरान 2,000 खंडों का विकास किया जाएगा। हमारा उद्देश्य ऐसी विशिष्ट उत्पादक गतिविधियों पर बल देना है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम की माँग बढ़े। हमारा लक्ष्य 2 करोड़ 50 लाख और नए रोजगार पैदा करने का है।

यह तर्क दिया गया है कि इस बजट के द्वारा औद्योगिक उत्पादों की माँग नहीं बढ़ेगी और इस समय भी इन उत्पादों को माँग मंदी है। यह समझ नहीं आता कि ग्रामीण क्षेत्र में बढ़े हुए पूंजी निवेश तथा उसके अनुरूप बढ़ने वाली ग्रामीण आय के फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादों की माँग क्यों नहीं बढ़ेगी?

श्री टी० ए० पाई ने कहा है कि बजट दिशाहीन है । श्री पाई का आशय मैं समझ नहीं पाया हूं । इस बजट का उद्देश्य जनता सरकार की प्राथमिकताओं को कार्यरूप देना है और साथ ही योजनाबद्ध विकास के समग्र प्रश्न पर सुसंगत दृष्टिकोण अपनाना है । ग्रामीण विकास के द्वारा अधिक आय और अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे । ग्रामीण समृद्धि के माध्यम से इसमें देश की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है ।

कई सदस्यों ने कहा है धन का आवंटन समुचित नहीं है परन्तु हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका व्यय प्रभावी रूप से हो । मैं संगठन के महत्व को समझता हूं और जो इस समस्या से संबद्ध हैं उनका ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । ग्रामीण विकास पर विशेष बल का अर्थ यह होगा कि हमें अपने उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए काफी संगठनात्मक प्रयास करने होंगे । इस संबंध में मैंने राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को लिखा है और उनका ध्यान विशिष्ट रूप से इस मामले की ओर दिलाया है । इस सप्ताह के अन्त में राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

यह भी कहा गया है कि जब से जनता सरकार सत्ता में आई है इसने कुछ अधिक कार्य नहीं किया --एक वर्ष में कुछ भी उपलब्धि नहीं हुई है । यह सरासर गलत है । आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में इन उपलब्धियों के बारे में उल्लेख किया गया है । मूल्यों में स्थिरता और भुगतान संतुलन को ठीक करने के साथ-साथ कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

श्री सुब्रह्मण्यम् ने कहा है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि का श्रेय केवल समय से हुई अच्छी वर्षा को जाता है और उन्होंने यह भी कहा है कि कृषि उत्पादन 1975-76 के उत्पादन से अधिक नहीं है । लेकिन शायद वह यह भूल गए हैं कि वर्ष 1975-76 के दौरान मौसम असाधारण रूप से अच्छा था । यदि वह गत वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण को देखने की कोशिश करते तो उन्हें पता चलता कि इतनी समान सुविस्तृत वर्षा देश भर में पिछले 35 वर्षों में कभी नहीं हुई थी । इस वर्ष मौसम अवश्य अच्छा रहा है लेकिन इसे असाधारण रूप से अच्छा नहीं कहा जा सकता और इसके बावजूद भी हमारा उत्पादन का स्तर समान रहा इसका कारण जल, बीज, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि का अच्छा उपयोग है ।

श्री सुब्रह्मण्यम ने आरोप लगाया है कि मैंने संसाधनों को जुटाने में अकर्मण्यता दिखाई है । मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी अकर्मण्यता के कारण अर्थव्यवस्था के स्थिर रहने के बावजूद भी 1975-76 में मुद्रा सप्लाई में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई वह कुल माँग और सप्लाई पर नियंत्रण रखने में असफल रहे । इसलिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भारी वृद्धि हुई । निश्चय ही सदन वर्तमान सरकार की ही स्थिति में सुधार करने का श्रेय देगा ।

यह भी कहा गया है कि योजना परिव्यय अधिकांशतः जारी योजनाओं पर व्यय किया जायेगा और जनता सरकार अपने वायदों को पूरा करने में, विकास की प्राथमिकताओं में परिवर्तन करने में असफल रही है । जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में कहा है कि जिन संसाधनों पर हमारा अधिकार है उनका आवंटन हमने उन क्षेत्रों को किया है । जिनको हम प्राथमिकता देना चाहते हैं जैसे कि कृषि, सिंचाई, ग्रामीण आधारभूत ढांचा और ग्रामीण उद्योग । यह हमारी योजना व्यय के ढांचे में परिवर्तन करने की इच्छा का प्रमाण है और हर वर्ष बीतने के साथ-साथ यह बात और भी स्पष्ट होती जाएगी ।

सबसे आश्चर्यजनक आलोचना यह है कि जनता सरकार सब कुछ पूंजीपतियों और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को दे देना चाहती है और वह सरकारी क्षेत्र के महत्व को कम कर रही है । साथ ही यह भी कहा गया है कि हम निजी उद्योगों की समीक्षा हेतु कुछ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । यह दो विपरीत कथन हैं । दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है ।

जनता पार्टी की उद्योग नीति के तथा कथित संभ्रम और उससे पूंजी निवेश पर पड़ने वाले हानिकर प्रभाव के बारे में काफी कुछ कहा गया है । मेरे विचार में लोकतंत्र में उन मामलों पर, जिनका लोगों के जीवन से सीधा सम्बन्ध है, उचित और पूरी चर्चा करा लेना बेहतर है । यह तथाकथित भ्रम इसलिए पैदा हुआ है, क्योंकि प्रतिपक्ष के सदस्य अभी तक लोकतांत्रिक वाद-विवाद के आदी नहीं थे । लेकिन अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता सरकार क्या चाहती है ।

जहाँ तक कर प्रस्तावों का संबंध है सामान्य रूप से यह आलोचना की गई है कि अप्रत्यक्ष कर अधिक लगाए गए हैं और इसका धनवानों की अपेक्षा निर्धनों पर अधिक असर पड़ेगा । एक निर्धन देश में अप्रत्यक्ष करों पर निर्भरता अपरिहर्य है । साथ ही यह भी आवश्यक है कि अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी होना चाहिए । झा समिति ने भी कहा है कि हमारे देश में अप्रत्यक्ष कर पद्धति के माध्यम से काफी प्रगति हुई है ।

बजट की इसलिए भी आलोचना की गई है, क्योंकि इसमें विषमताओं को कम करने के ध्न पर कथित रूप से ध्यान नहीं दिया गया है । विरोधी दल के सदस्यों के मुंह से यह बात शोभा नहीं देती क्योंकि उन्होंने अपने शासन में ऊंची आय वाले वर्ग की आय तथा उनकी सम्पत्ति पर लगने वाले करों की दर में कमी कर दी थी । लेकिन हमने पिछले वर्ष आयकर पर अधिभार बढ़ाकर और सम्पत्ति कर की दर बढ़ाकर कुछ हद तक संतुलन कायम किया और इस वर्ष अनिवार्य जमा राशि बढ़ा कर इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों ने यह तर्क दिया है कि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि से मूल्यों में वृद्धि होगी और कोयले तथा बिजली पर लगाए गए कर के फलस्वरूप उद्योगों पर भार पड़ेगा और यह सब खर्चे उत्पादन लागत में जुड़ जाएंगे । फलस्वरूप वस्तुओं के मामले में कर भार बहुत कम होगा और क्या इससे मूल्यों में वृद्धि होगी यह मांग की स्थिति पर, उत्पादन के स्तर पर और जिस कुशलता से उद्योग अपनी उत्पादन लागत घटायेंगे, इस पर निर्भर करेगा ।

सदस्यों को यह याद रखना चाहिए कि ब्याज की दर में हाल ही में हुई समुचित कमी के फलस्वरूप चालू पूंजी लागत में पर्याप्त बचत होगी । अतः मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनका उद्देश्य केवल मूल्य स्थिरता तक सीमित है और वे अनावश्यक रूप से इस सरकार की आलोचना नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें यह बात बार-बार नहीं दोहरानी चाहिए कि मूल्य में वृद्धि हो जाएगी ।

श्री सुब्रह्मण्यम ने यह जानना चाहा है कि पूंजी लाभों को इतनी जल्दी समाप्त क्यों किया जा रहा है, जबकि गत वर्ष ही इन्हें लागू किया गया था । माननीय सदस्यों को याद होगा कि ऐसा हमने अनुत्पादक आस्तियों के रूप में रखे गए धन को निवेश में लगाने के उद्देश्य हेतु किया था । परन्तु एक वर्ष से अनुभव से हमें यह ज्ञात हुआ है कि जहां तक बैंक के जमाखातों में पड़े धन और विद्यमान कम्पनियों के साम्य शेयरों का संबंध है ऐसे लाभों को देने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए हम इन्हें समाप्त कर रहे हैं ।

यह भी आरोप लगाया गया है कि इतने अधिक घाटे का बजट आज तक किसी भी वित्त मंत्री द्वारा पेश नहीं किया गया है । चालू वर्ष के लिए अनुमान लगाए गए । 975 करोड़ रुपये के घाटे में से 414 करोड़ रुपए राज्यों को उनका घाटा पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में दिया

जाएगा और यह कहना कि घाटे के संबंध में मैंने नया रिकार्ड कायम किया है, गलत है । 1972-73 में जब राज्यों के घाटे के संबंध में ऐसी ही स्थिति थी तो 1293 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया गया था ।

केन्द्रीय बजट के घाटे को बढ़ाने में राज्य सरकारों द्वारा ओवर ड्राफ्ट के रूप में निकाली गई भारी राशियां भी एक प्रमुख कारण है । राज्यों में पुरानी सरकारों द्वारा किए गए अपव्यय के कारण उनकी वित्तीय स्थिति विकट हो गई थी और उनको इस कठिनाई से उबारने के लिए केन्द्र सरकार के पास केवल यही एकमात्र उपाय रह गया था कि वह उनकी वित्तीय सहायता करे।

सोने की बिक्री तथा सोने के आयात संबंधी नीति के बारे में बहुत गलतफ़हमी है । जो सोना हम बेचना चाहते हैं वह मुद्राकोष के रूप में रखा गया सोना नहीं है बल्कि वह सोना है जो हमें अपनी खानों से मिलता है तथा सीमाशुल्क कार्यालयों द्वारा जब्त किया गया है । तस्करी को रोकने के लिए ही इसे बेचा जा रहा है । इससे बजट का घाटा दूर करने में भी सहायता मिलेगी।

जेवरात के निर्यात हेतु, सोने के आयात के बारे में भी काफ़ी गलतफ़हमी है यह उपबन्ध पहले से ही है । मैं केवल वर्तमान व्यवस्था पर लगाए गए प्रतिबन्ध को हटा रहा हूं । जेवरात बनाने और हीरे तराशने के माध्यम से विदेशी मुद्रा की आय सबसे अधिक होती है और बहुत से लोगों को इससे रोज़गार प्राप्त होता है।

कई सदस्यों ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि हमारा गैर-विकासीय व्यय निरंतर बढ़ता जा रहा है और इसमें जहां तक सम्भव हो कमी की जानी चाहिए । मैं इससे सहमत हूं लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें कमी की गुंजाइश बहुत सीमित है । अधिकांश गैर-विकासीय व्यय रक्षा कार्यों पर, खाद्य सामग्री तथा राजसहायताओं इत्यादि के देने पर किया जाता है । देश की सुरक्षा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए रक्षा व्यय में कमी करने का प्रश्न युक्तिसंगत नहीं दिखाई देता। खाद्य सामग्री संबंधी राजसहायता कम करने से शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के कमज़ोर वर्ग पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा । फिर भी गैर-विकासीय व्यय में अधिकाधिक बचत करने के उपाय जारी रखने की कोशिश करुंगा ।

कहा गया है कि जनता पार्टी व्यापारियों को खुश करने के लिए बिक्री कर समाप्त कर रही है। जनता पार्टी पर कीचड़ उछालने की कोशिश में प्रतिपक्ष के सदस्य यह भूल गए हैं कि बिक्री कर से व्यापार और उद्योग को कितनी असुविधा और परेशानी होती है । राज्य सरकारें भी इस राजस्व के स्रोत को छोड़ना नहीं चाहतीं इसलिए फिलहाल हमने बिक्री कर समाप्त करने के इरादे को त्याग दिया है और अब हम चुंगी को समाप्त करने पर बल देंगे ।

कई सदस्यों ने कहा है कि बिजली पर कर लगाकर केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के बिजली कर संबंधी विशेषाधिकार का अतिक्रमण कर रही है । संविधान के अन्तर्गत राज्य सरकारें बिजली की खपत और बिक्री पर कर लगा सकती हैं । वर्तमान उत्पाद शुल्क बिजली उत्पादन पर है और इसलिए इससे किसी भी तरह किसी संवैधानिक उपबन्ध का उल्लंघन नहीं होता ।

अपने बजट प्रस्तावों को तैयार करते समय मैंने देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को मजबूत, प्रगतिशील और गतिशील बनाने की हर संभव चेष्टा की है । आज की स्थिति राष्ट्र के सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए बहुत अनुकूल है । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निस्संदेह सरकार को सही नेतृत्व मिलना चाहिये । हमारे आगे एक बहुत कठिन कार्य है, जिसको हल करने के लिए हमें एक व्यापक राष्ट्रीय मतैक्य तैयार करना है और राजनीतिक दलों तथा ग्रुपों में जो भी मतभेद हों, राजनीति का सहारा लेकर अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करनी होगी । देश के पुनर्निर्माण तथा विकास के इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में हम इस सभा के सभी वर्गों तथा इस देश के देशभक्त नागरिकों का समर्थन तथा सहयोग चाहेंगे ।

लेखानुदानों की मांगें (सामान्य) 1978-79

DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (GENERAL) 1978-79

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1978-79 के लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :—

THE FOLLOWING DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT FOR THE YEAR 1978-79 WERE PUT AND ADOPTED

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व	पूंजी
		रु०	रु०
कृषि और सिंचाई मंत्रालय			
1.	कृषि विभाग	42,71,000	..
2.	कृषि	35,78,47,000	97,62,03,000
3.	मीन उद्योग	5,54,31,000	5,69,44,000
4.	पशुपालन और डेयरी विकास	17,12,30,000	1,21,04,000
5.	वन	5,72,19,000	63,75,000
6.	खाद्य विभाग	78,28,54,000	6,32,77,000
7.	ग्राम विकास विभाग	48,47,86,000	4,12,91,000
8.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2,12,000	
9.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अदायगियां	11,99,95,000	..
10.	सिंचाई विभाग	4,19,94,000	1,45,15,000
नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय			
11.	वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय	29,81,000	..
12.	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	49,18,92,000	67,60,90,000
13.	नागरिक पूर्त्ति तथा सहकारिता	6,25,38,000	3,67,57,000
संचार मंत्रालय			
14.	संचार मंत्रालय	31,14,000	2,21,87,000
15.	विदेश संचार सेवा	1,88,68,000	1,84,02,000
16.	डाक-तार—कार्यकरण व्यय	108,84,15,000	
17.	डाक-तार—सामान्य राजस्व को लाभांश, प्रारक्षित निधि में विनियोग और सामान्य राजस्व से उधारों की वापसी	31,08,97,000	..
18.	डाकतार पर पूंजी परिव्यय		57,89,73,000
रक्षा मंत्रालय			
19.	रक्षा मंत्रालय	14,78,76,000	11,71,73,000
20.	रक्षा सेवाएं—सेना	316,32,08,000	..
21.	रक्षा सेवाएं—नौसेना	34,25,62,000	
22.	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	97,68,98,000	..
23.	रक्षा सेवाएं—पेंशनें	25,10,46,000	..

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
24.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		48,89,86,000
	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय		
25.	शिक्षा विभाग	29,31,000	..
26.	शिक्षा	36,36,59,000	18,33,000
27.	समाज कल्याण विभाग	4,14,73,000	
	ऊर्जा मंत्रालय		
28.	ऊर्जा मंत्रालय	11,28,000	..
29.	विद्युत विकास	10,65,28,000	34,96,43,000
30.	कोयला और लिग्नाइट	4,71,15,000	66,16,50,000
	विदेश मंत्रालय		
31.	विदेश मंत्रालय	18,92,88,000	2,46,38,000
	वित्त मंत्रालय		
32.	वित्त मंत्रालय	5,61,86,000	
33.	सीमा शुल्क	5,50,73,000	
34.	संघ उत्पाद शुल्क	8,44,02,000	
35.	आय पर कर, सम्पदा शुल्क, धन कर और दान कर	8,31,78,000	..
36.	स्टाम्प	3,10,17,000	21,00,000
37.	लेखापरीक्षा	10,26,97,000	..
38.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	8,46,45,000	3,63,28,000
39.	पेंशनें	11,12,50,000	..
39.	अफीम और एल्कालाइड फैक्टरियां	28,61,99,000	38,62,000
41.	राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अंतरण	280,93,58,000	..
42.	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय	40,65,86,000	304,46,73,000
43.	सरकारी सेवकों आदि को उधार		11,66,67,000
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
44.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	14,77,000	..
45.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	30,80,53,000	13,53,71,000
46.	परिवार कल्याण	20,34,60,000	17,000
	गृह मंत्रालय		
47.	गृह मंत्रालय	41,40,000	..
48.	मंत्रिमंडल	21,39,000	..
49.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	1,23,80,000	..
50.	पुलिस	36,43,94,000	1,21,67,000

1	2	3	
		राजस्व	पूंजी
		रुपए	रुपए
51.	जनगणना	86,63,000	..
52.	गृहमंत्रालय का अन्य व्यय	31,76,58,000	14,15,34,000
53.	दिल्ली	23,67,78,000	14,64,33,000
54.	चंडीगढ़	3,59,64,000	1,61,87,000
55.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4,16,27,000	2,24,50,000
56.	दादरा और नागर हवेली	42,41,000	42,76,000
57.	लक्षद्वीप	84,63,000	31,76,000
उद्योग मंत्रालय			
58.	उद्योग मंत्रालय	51,56,000	..
59.	उद्योग	4,26,83,000	39,95,22,000
60.	ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	9,15,83,000	8,67,68,000
61.	वस्त्रोद्योग, हथकरघा तथा हस्तशिल्प	10,07,71,000	7,51,42,000
सूचना और प्रसारण मंत्रालय			
62.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	13,89,000	..
63.	सूचना और प्रचार	3,17,74,000	27,29,000
64.	प्रसारण	11,52,66,000	3,00,64,000
श्रम मंत्रालय			
65.	श्रम मंत्रालय	13,68,000	..
66.	श्रम और रोजगार	11,50,66,000	1,60,000
विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय			
67.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	2,35,35,000	17,000
68.	न्याय प्रशासन	6,42,000	
पेट्रोलियम रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय			
69.	पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय	18,19,000	..
70.	पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग	13,27,39,000	31,44,47,000
71.	रसायन और उर्वरक उद्योग	20,52,44,000	685,06,96,000
योजना मंत्रालय			
72.	योजना मंत्रालय	43,000	
73.	सांख्यिकी	2,29,85,000	
74.	योजना आयोग	79,86,000	
नौवहन और परिवहन मंत्रालय			
75.	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	50,83,000	..
76.	सड़कें	17,08,68,000	16,39,42,000
77.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	6,66,05,000	32,61,50,000
78.	सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	12,09,000	1,63,00,000
इस्पात और खान मंत्रालय			
79.	इस्पात विभाग	2,13,61,000	89,80,48,000
80.	खान विभाग	5,83,000	..
81.	खान और खनिज	8,75,17,000	10,04,83,000

1	2	3	
		राजस्व	पूंजी
		रुपए	रुपए
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय			
82.	पूर्त्ति विभाग	4,09,000	..
83.	पूर्ति और निपटान	1,26,43,000	..
84.	पुनर्वास विभाग .	4,63,28,000	2,16,20,000
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय			
85.	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	8,90,000	..
86.	मौसम विज्ञान	2,89,52,000	1,39,76,000
87.	विमानन	4,68,78,000	4,69,61,000
88.	पर्यटन .	78,62,000	56,03,000
निर्माण और आवास मंत्रालय			
89.	निर्माण और आवास मंत्रालय	19,40,000	..
90.	लोक निर्माण .	12,87,04,000	6,38,41,000
91.	जलपूर्ति और मल निकासी	10,45,00,000	..
92.	आवास और नगर विकास	2,58,31,000	6,13,84,00
93.	लेखन सामग्री और मुद्रण	5,66,26,000	..
परमाणु ऊर्जा विभाग			
94.	परमाणु ऊर्जा विभाग . .	8,57,000	
95.	परमाणु ऊर्जा, अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं .	12,95,18,000	32,86,54,000
96.	न्यूकलीय स्कीमें	9,55,50,000	7,89,89,000
97.	संस्कृति विभाग	1,82,54,000	
98.	पुरातत्व	1,19,99,000	
इलेक्ट्रोनिक्स विभाग			
99.	इलेक्ट्रोनिक्स विभाग	1,68,86,000	5,74,40,000
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग			
100.	विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग	5,55,60,000	20,83,000
101.	भारतीय सर्वेक्षण . . .	3,26,67,000	..
102.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को अनुदान	7,68,92,00	..
अंतरिक्ष विभाग			
103.	अंतरिक्ष विभाग . . .	7,37,91,000	5,24,07,000
संसद्, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग			
104.	लोक सभा	83,04,000	..
105.	राज्य सभा	33,11,000	..
106.	संसदीय कार्य विभाग . . .	4,44,000	..
107.	उपराष्ट्रपति का सचिवालय . .	94,000	..

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1978
APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1978

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1978-79 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1978-79 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री एच० एम० पटेल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1978-79 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1978-79 के एक भाग की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडबार चर्चा करते हैं। प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 से 4, अनुसूची, खंड 1, अधिनियम, सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खंड 2 से 4, अधिनियम सूत्र, अनुसूची, खंड, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिये गये"

Clauses 2 to 4, the Schedule, Clause, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

"कि विधेयक पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार मार्च 17, 1978/26 फालगुन, 1899 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March, 17, 1978/Phalguna 26, 1899 (Saka):

MGIPRRND—8 LSS/78—Sec. I-Day—2-8-78—210.